

॥ कोबातीर्थमंडन श्री महावीरस्वामिने नमः ॥

॥ अनंतलब्धिनिधान श्री गौतमस्वामिने नमः ॥

॥ गणधर भगवंत श्री सुधर्मस्वामिने नमः ॥

॥ योगनिष्ठ आचार्य श्रीमद् बुद्धिसागरसूरीश्वरेभ्यो नमः ॥

॥ चारित्रचूडामणि आचार्य श्रीमद् कैलाससागरसूरीश्वरेभ्यो नमः ॥

आचार्य श्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर

पुनितप्रेरणा व आशीर्वाद

राष्ट्रसंत श्रुतोद्धारक आचार्यदेव श्रीमत् पद्मसागरसूरीश्वरजी म. सा.

जैन मुद्रित ग्रंथ स्केनिंग प्रकल्प

ग्रंथांक : १



श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र

आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर
कोबा, गांधीनगर-श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र
आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर
कोबा, गांधीनगर-३८२००७ (गुजरात)
(079) 23276252, 23276204
फेक्स : 23276249

Websiet : www.kobatirth.org

Email : Kendra@kobatirth.org

शहर शाखा

आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर
शहर शाखा
आचार्यश्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर
त्रण बंगला, टोलकनगर
परिवार डाइनिंग हॉल की गली में
पालडी, अहमदाबाद - ३८०००७
(079) 26582355

अकबर की धार्मिक नीति

डॉ० नीला जैन

महाराणी लक्ष्मीबाई कला एवं साहित्य महाविद्यालय
वाराणसी (मध्य प्रदेश)

अकबर की धार्मिक नीति

जीवाजी विश्व विद्यालय ग्वालियर, एम. ए. (इतिहास)

सन् १९७७ ई० परीक्षार्थी

लघु-प्रबन्ध

प्रस्तोत्री-

कु० नीना जैन

निर्देशक-

प्रो० आर. एन. तिगनाथ

प्राध्यापक एवं अध्यक्ष इतिहास विभाग

महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, ग्वालियर

केन्द्र-

महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

अकबर की धार्मिक नीति

प्रो० बार. स्न. तिमनाथ,
प्राध्यापक स्वयं अध्यक्षा इतिहास विभाग,
महाराणी रुक्मी बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

- : प्रमाण - पत्र :-

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्न. र.
इतिहास की परीक्षा के अष्टम प्रश्न पत्र के स्थान पर
प्रबन्ध प्रस्तुत करने की सुविधा का उल्लेखनीय उपयोग
कुमारी नीना जैन ने किया है। इस लघु प्रबन्ध का
विषय है - "अकबर की धार्मिक नीति -"

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे निर्देशन में कु०
नीना जैन ने यह प्रबन्ध लिखा है और यह मौलिक,
सुचिन्तित और उच्च कृति है।

दिनांक. ११ मार्च १९७७

(बार. स्न. तिमनाथ)

-०-

-०-

-०-

अकबर की धार्मिक नीति

प्रस्तावना

अकबर भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में अपना शीर्ष स्थान रखता है। मध्यकाल में मुसलिम तलवारों की युति के मध्य सहायोग और सहानुभूति की झलक लिये हुए यह सम्राट अपना अद्वितीय स्थान रखता है। मुसलिम विजेताओं की देशीय राजाओं और प्रजा के प्रति तीव्र क्रूरता और हिंसा की नीति के बीच अकबर अपनी सौहार्दयता के लिये प्रसिद्ध है। उसकी यह सौहार्दयता मूल रूप से धार्मिक नीति में प्रस्फुटित हुई है, जिससे वह महानता के उच्चासन पर बसने में सक्षम हो सका। उसकी बान्तरित जिज्ञासा और वास लालसा धार्मिक सहिष्णुता स्वयं नवीनता का रूप लेकर मध्य युग के अशांति पूर्ण वातावरण में शांति का सन्देश लेकर हमारे समक्ष आई। इस अशांति पूर्ण और असहिष्णुता के बीच अकबर की धार्मिक सहिष्णुता अपना निराला स्थान रखती है। इसी निरालेपन ने सहज ही मेरे जिज्ञासु मन को अपनी ओर आकर्षित किया। फलतः यह लघु प्रबन्ध आपके समक्ष है।

यद्यपि 'अकबर की धार्मिक नीति' यह विशेष्य अपने बाप में उपाधि हेतु विशद अध्ययन की रेखाओं से परिपूरित है फिर भी लघु प्रबन्ध की परिधीमा को ध्यान में रखते हुए इसे मैंने संक्षिप्त रूप ही प्रदान किया है।

प्रायः मध्यकाल के अग्रगण्य इतिहासकार व विद्वानों सभी के समक्ष अकबर की धार्मिक नीति अपना विशिष्ट स्थान लिये हुए दिखाई देती है और मध्यकालीन धार्मिक नीति का अध्ययन करने पर अकबर की धार्मिक नीति ही विशाल स्वयं नवीन रूप लिये हुए दिखाई देती है। इस क्षेत्र में अत्याधिक विशद रूप में कार्य हो चुका है जिसने अकबर की धार्मिक नीति में निहार ला दिया है। मेरा यह लघु प्रबन्ध भी इस

अकबर की धार्मिक नीति

दिशा में छोटा सा बालकीय प्रयास है। जिसमें अकबर की धार्मिक नीति का विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है।

वस्तु इस दुःसाध्य से लगने वाले कार्य को सरल बनाने में गुरुवर प्रो० वार० एन० तिलनाथ (अध्यक्ष इतिहास विभाग) ने मुझे अनेक प्रकार से अमूल्य सहयोग दिया। इस समस्त कार्य की पूर्ति का श्रेय उन्हीं को है जिन्होंने न केवल मुझे सहायता ही दी अपितु समय समय पर नैराश्य से परिपूर्ण हृदय को नवीन आशा की किरणों से परिपूरित कर ऐतिहासिक जगत में भटकती हुई को नवीन मार्ग प्रदान किया। साथ ही कार्य करने की नवीन विधियाँ से मुझे अवगत करा कर सर्वत्र उत्प्रेरित किया इस सब को व्यक्त करने की न मुझ में सामर्थ्य है और न मेरे शब्दों में। आपका आशीर्वाद मेरे प्रत्येक शुभ कला की सफलता के लिये प्रेरणा स्रोत बन गया।

शासकीय महाविद्यालय, शिवपुरी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर के० वी० अछाना के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करने में मैं पुलक का अनुभव कर रही हूँ जिन्होंने इस अकिंचिन को सहायता देने में कभी भी मुझ नहीं मोड़ा।

प्राथमिक विद्यालय राजपुरा, पुरानी शिवपुरी के सुयोग्य अध्यापक श्री अवणलाल वर्मा, ज्यो० टी० पी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिवपुरी के - डा० जी० डी० चतुर्वेदी तथा व्याख्याता श्री एस० एस० शर्मा के प्रति भी मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिन्होंने समय समय पर अपना अमूल्य समय देकर मुझे हार्दिक सहयोग दिया।

इसके साथ ही प्रस्तुत प्रबन्ध में विभिन्न विद्वानों और इतिहासकारों के हिन्दी तथा अंग्रेजी के ग्रंथों से भी मुझे असीम सहायता - प्राप्त हुई है। अतः उन विद्वानों व इतिहासकारों की भी मैं आभारी

मुकबर् की धार्मिक मीति

हूं और श्री जे० के० सलूजा, भारत टायपिंग स्कूल तथा श्री कृष्णा
प्रिंटिंग प्रेस शिवपुरी को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने अतीवक रुचि
व श्रम के साथ कार्य सम्पादित किया ।

इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं यह लघु प्रबन्ध प्रस्तुत कर रही
हूं ।

(कुमारी नीता जैन)

अकबर की धार्मिक नीति

अनुक्रमणिका -

क्रमांक. अध्याय

पृष्ठ क्रमांक

प्रथम अध्याय -

खण्ड - अ - अकबर के पूर्व सुल्तानों
की धार्मिक नीति ।
महमूद गजनवी व मुहम्मद गौरी,
दास वंश, खिलजी वंश,
तुगलक वंश लोधी वंश ।

खण्ड ब - अकबर के पूर्वजों की धार्मिक नीति-
बाबर, हुमायूँ ।

द्वितीय अध्याय -

अकबर का व्यक्तित्व :

वेशभूषणा, भोजन, सादरता स्वभाव,
धार्मिक उदारता, चारित्रिक दुर्बलताएँ,
ईश्वरीय निष्ठा ।

तृतीय अध्याय -

धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले तत्त्व -
तत्कालीन परिस्थितियाँ, व अन्य तत्त्व ।

चतुर्थ अध्याय -

धार्मिक नीति का विकास (सुतबा पढ़ने
से पूर्व १५७६ तक) : प्रारम्भिक धार्मिक -
विचार, धार्मिक नीति का क्रमिक विकास,
इस्लाम के प्रति दृष्टि कोण ।

अकबर की धार्मिक नीति

क्रमांक. अध्याय

पृष्ठ क्रमांक

प्रथम अध्याय :

विभिन्न धर्माचार्यों से सम्पर्क, बुतबा
व महजर :

हिन्दू, पारसी, जैन, ईसाई,
बुतबा, महजर ।

द्वितीय अध्याय :

अकबर और दीन - ए - इलाही

दीनइलाही का व्युत्पत्ति, स्वरूप,
प्रारम्भ, विधि - विधान, सिद्धान्त,
नियम, वर्गीकरण व सदस्य संस्था,
वसफरुता, दीन-ए-इलाही के बारे
में विभिन्न मत, बालोचना एवं
समीक्षा ।

तृतीय अध्याय :

धार्मिक नीति के परिणाम ।

खण्ड - 'अ'

अकबर से पूर्व सुल्तानों की धार्मिक नीति

मुकबर के पूर्व सुल्तानों की धार्मिक नीति : (खण्ड ब)

इस्लाम व भारत में इसका प्रवेश :

इस्लाम का उत्कर्ष व प्रसार विश्व इतिहास में युगान्तर घटना है। पैगम्बर मोहम्मद के पूर्व अरब मूर्ति पूजकों का देश था किन्तु ५७० में मोहम्मद के जन्म व उनके ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस्लाम अरब वासियों के समक्ष में रंगमंचीय नाटक की भांति यकायक उपस्थित हुआ और शीघ्र ही बड़ी तेजी के साथ विकास कर गया। जब मोहम्मद साहब ने ६३० ई० में कुरैश की शक्ति नष्ट करके मक्का को विजित कर लिया तब लोग - इस्लाम के काफी संस्था में अनुयाई हो गये और इस्लाम ने वृहत् रूप धारण कर लिया।

भारत में इस्लाम का आगमन बड़ी तीव्रता के साथ हुआ। - लोगों की धारणा है कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार विजेताओं की शक्ति तथा अत्याचार के कारण हुआ। किन्तु डा० ताराचन्द्र ने अपनी पुस्तक इन्क्वैरिस् ऑफ इस्लाम अंड इंडियन कल्चर में यह बताया है कि इस्लाम का प्रचार शांति पूर्ण ढंग से दक्षिण की ओर से हुआ। यही नहीं टामस बनार्ड का भी यही कहना है कि - इस्लाम का धर्म प्रचार न तो अत्याचारी के निर्दय कृत्यों का परिणाम है और न मुसलिम योद्धा के उस काल्पनिक रूप के कारण हुआ है जिसमें वह एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुरान लिये चित्रित किया गया है। उनके धर्म प्रचार का मुख्य कारण उनके उपदेशकों का अथक परिश्रम तथा उनके व्यापारियों की कार्य दामता है जिन्होंने इस मुअज्जल के कौने कौने में अपने धर्म की वाणी सुनाई, डा० ईश्वरी प्रसाद ने भी इसी मत का समर्थन किया है। वास्तव में दक्षिण भारत में मालाबार आदि तटों पर शांति पूर्ण ढंग

१ - डा० ईश्वरी प्रसाद - मेडीकल इन्डिया पृष्ठ १२, १९४६

से और उत्तर भारत में शक्ति और वीरता के द्वारा इस्लाम का प्रसार हुआ। सिन्ध पर अरबों की विजय ने इस्लाम के प्रसार का रास्ता खोल दिया क्योंकि जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया उन्हें जजिया से मुक्त कर दिया और जिन्होंने नहीं स्वीकारा वे जजिया कर के बोझ से दबा दिये गये। अन्ततोगत्वा सुवक्त गीन एवं महमूद गजनवी के आक्रमणों व मुहम्मद गौरी की विजयों ने भारत में इस्लाम का राज्य स्थापित कर दिया। इस प्रकार इस्लाम का प्रारम्भ धार्मिक रूप में हुआ परन्तु परिस्थितियाँ ने उसे राजनैतिक रूप दे दिया। (२)

महमूद गजनवी और मुहम्मद गौरी की धार्मिक नीति :

महमूद गजनवी भारत में धार्मिक उद्देश्यों से पूर्ण हृदय लेकर आया था। इस्लाम ने उसकी असीम महत्वाकांक्षाओं को धार्मिकता का जामा पहना दिया था। कहा जाता है कि उलीफा के मान्यता पत्र के बदले में उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह प्रति वर्ष भारत वर्ष के काफिरों पर आक्रमण करेगा। उसका दरबारी इतिहासकार उसकी बताता है कि उसके आक्रमणों का उद्देश्य जिहाद था। जिसका मूलोद्देश्य इस्लाम का प्रसार और कुफ़र का मूलोच्छेदन करना था। वह लिखता है कि - सुल्तान महमूद ने पहले सिन्धुतान पर आक्रमण करने का संकल्प किया परन्तु बाद में उसने हिन्द के विरुद्ध जेहाद करना ही अधिक अच्छा समझा (तारीख-ए-यमीनी) ईश्वरी प्रसाद एवम् ए० स्ल० श्रीवास्तव आदि इतिहासकार भी यही बताते हैं कि धार्मिकता ही महमूद के आक्रमणों का मूल कारण थी। किन्तु प्रो० हवीव बताते हैं कि महमूद धार्मिक न था भारत पर आक्रमण उसने धार्मिक उद्देश्यों को लेकर नहीं वरन लूट के लालच से किये (३)

(२) दिनकर - संस्कृति के चार अध्याय।

(३) प्रो० हवीव - महमूद आफ गजना पृष्ठ ५३

यहां तक कि सोमनाथ के मंदिर ३ के बारे में उन्होंने लिखा है कि - ब्राह्मणों का धन देने का वचन और महमूद की बस्तीकृति की कहानी वाद में गढ़ी गई है । ५ किन्तु अन्य मुसलमान विद्वान इसका समर्थन नहीं - करते हैं ।

वास्तविकता यह है कि महमूद इस्लाम की धार्मिक भावनाओं से ओत प्रोत था जिससे उत्साहित होकर उसने आक्रमण किये । वाद में आक्रमणों में प्राप्त सम्पत्ति में उसे और भी विजयों के सम्बन्ध में उत्पुक बना दिया ।

धार्मिक द्रोत्र में मुहम्मद गौरी का उद्देश्य गाँव था उसका प्रमुख ध्येय भारत में अपनी राजनैतिक सत्ता की स्थापना करना था । यद्यपि समकालीन इतिहासकार हसन निजामी की ताजुल मबासिर तथा मिनहाज की तवकाते नासिरी से यह पता चलता है कि कन्नौज में गौरी ने अत्याधिक नरहत्या की और कानास में अनेक मंदिरों का विध्वंस कराया । किन्तु अन्य धार्मिक अत्याचारियों की भांति उसने कलात धर्म परिवर्तन तथा धर्म के नाम पर कठोर अत्याचार नहीं किये ।

४ - श्री नाजिम ने सुल्तान महमूद नाम की पुस्तक में पृष्ठ ११८ पर लिखा है कि जब महमूद ने मूर्ति देखी तो आज्ञा दी कि इसका ऊपरी भाग गदा से तोड़ दो फिर चारों ओर बाग लगा दी जाय, फरिश्ता का कथन है कि मूर्ति ओखली थी । सत्य प्रतीत नहीं होता । ऊवेरुनी ने लिखा है कि लिंग ठोस होने का कता था ।

५ - मोहम्मद हबीब - महमूद आफ गजना - पृष्ठ ५३.

वस्तुतः यह कह सकते हैं कि वह महमूद गजनी की अपेक्षा अधिक धार्मिक सहिष्णु था ।

दास वंश के सुल्तानों की धार्मिक नीति :

दास वंश के सुल्तान ही दिल्ली सल्तनत के प्रारम्भिक सुल्तान थे जिन्होंने निष्ठा पूर्वक सल्तनत की जणै मजबूत करने में योगदान दिया इन सुल्तानों में स्वक अलतमश और कलबत ही प्रमुख थे । इनका शासन पूर्णतः इस्लामी नियमों पर ही आधारित था ।

दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक स्वक की इस्लाम में अत्याधिक निष्ठा थी । यहाँ तक कि उसने अनेक हिन्दू मंदिरों को तोड़ा और मस्जिदों का निर्माण कराया । उसमें धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था इस्लाम में उसका पूरा विश्वास था ।

अलतमश का जहाँ तक प्रश्न है वह स्वक से भी धार्मिक कट्टरता में आगे था । हसन निजामी बताता है कि जालोर में पहुँचने पर मंदिरों का जो कि सिर उठाये थे नाम भी न रहा और कुफ्र के बन्धों से इस्लाम का प्रकाश चमक उठा । ६ गिनहाज भी लिखता है कि मालवा पर चढ़ाई की और फैला के किले पर अधिकार कर लिया वहाँ एक मंदिर जो तीन सौ वर्षों में तैयार हुआ था जो १०३ गज ऊँचा था विध्वंस कर दिया गया । ७ इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से अलतुतमिश इस्लाम का कट्टर अनुयायी था यद्यपि आधुनिक मुसलिम इतिहासकारों ने उसकी उदारता की प्रशंसा की है । परन्तु धार्मिक उदारता काकही विवरण नहीं दिया । वास्तविकता भी यही है कि उसने धार्मिक उदारता की नीति का अनुसरण नहीं किया । उसने सदैव उल्मा वर्ग का समर्थन किया जो कि सुन्नी धर्म का अनुयायी था । वह कट्टर धार्मिक मुसलमान था जो प्रतिदिन नियम पूर्वक पाँच बार नमाज पढ़ता स्वम् अन्य धार्मिक कृत्य किया करता था ।

६ - रिजवी - आदि तुर्क कालीन भारत पृ० २७५

७ -

मिनहाज लिखता है कि " इस प्रकार का धर्म निष्ठ और साधु फकीरों ईश्वर भक्तों तथा धर्म गुरुओं और धर्माचार्यों के प्रति इतना ब्यालु तथा श्रद्धालु राजा इस सृष्टि में कभी उत्पन्न नहीं हुआ । " १२२८ में बच्चासी खलीफा से प्रमाण पत्र लेकर उसने एक नवीन बध्याय जोड़ा और तुर्की सल्तनत को धार्मिक मान्यता भी प्राप्त कर दी ।

कलवन की धार्मिकता उसके धार्मिक स्वरूप की उत्कृष्टता को प्रकट करती है । एक ओर जहां वह उलेमा वर्ग पर कठोर नियंत्रण रखता था वहीं पर साधु, फकीर एवं बालिमाँ के प्रति वह ब्याध्याधिक उदार था । मिनहाज तो उसकी उदारता को उच्चतम बिन्दु तक पहुंचा देता है वह लिखता है कि " यदि नगर में कोई शैख सैयद सन्त कथवा बालिम का स्वर्गवास हो जाता तो सुल्तान उसके जनाजे के साथ उपस्थित रहता । " इस प्रकार इस्लाम में उसकी अटूट वास्था थी किन्तु हिन्दुओं से वह घृणा करता था । वह कहा करता था कि ब्राह्मण जो कि कुफ्र के इमाम है, को देखते ही नष्ट कर देना चाहिए । कलवन धर्मान्ध था और अपनी बहु-संख्यक जनता के साथ उसका व्यवहार असहिष्णुता पूर्ण रहा । तुर्की की श्रेष्ठता में उसका विश्वास था । वस्तुतः धार्मिक असहिष्णुता के दौत्र में वह अपने पूर्ववर्ती शासकों से भी आगे था ।

खिलजी वंश के सुल्तानों की धार्मिक नीति :

खिलजी वंश के सुल्तानों की धार्मिक नीति भी ब्यामानुषिक हत्याएँ व नृशंता से परिपूर्ण थी । खिलजीयों में दासवंश की कट्टर इस्लामिक धार्मिकता उभर कर सामने आ गई है । इस वंश के शासकों ने मुख्य रूप से जलालुद्दीन फीरोज़ खिलजी एवं जलालुद्दीन प्रसूह हैं ।

सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी इस्लाम का परम भक्त था वह कहा - करता था " मैं अपनी नीति के विषय में केवल उन लोगों का ही अनु-करण करता हूँ जो पैगम्बरों की आज्ञाओं का पालन करना अपना परम

कर्तव्य समझते हैं। " " मैं प्रतिदिन एक छिपारा कुरान पढ़ता हूँ। पाँचों समय की नमाज पढ़ता हूँ। " ८ उसके सम्पूर्ण जीवन में धार्मिक अनुरक्ति स्पष्ट प्रकटित होती है वह मुसलिम प्रजा को बर्तयावधिक प्रेम करता था। क्योंकि रण थम्पार विजय के सम्बन्ध में वह कहता है कि " इस प्रकार के दस किलों को मुसलमानों के एक बाल को शानि पहुँचा कर लेने के पक्ष में नहीं। " ९ किन्तु सीदी मौला की हत्या से उसकी कुराना प्रदर्शित होती है। कुछ मुसलिम इतिहासकार बरनी, इसामी आदि इस कृत्य के लिये सुल्तान की आलोचना करते हैं परन्तु वास्तव में उसका दण्ड अपराध के योग्य था क्योंकि बरनी स्वयम् लिखता है कि " विरजतन कोतवाल और हथिया पायक रात रात भर सीदी के पास बैठ कर षड्यंत्र रचा करते थे। १० इससे स्पष्ट है कि ज़ालुद्दीन उसके दण्ड के लिये दोषी नहीं माना जा सकता है। अतः ज़ालुद्दीन की धार्मिकता में कोई बाँध नहीं आती है। वास्तव में तो इस्लाम में उसकी बगावत आस्था थी।

हिन्दुओं के प्रति व्यवहार में ज़ालुद्दीन की नीति भी अपने पूर्व शासकों की अपवाद सिद्ध नहीं हुई। यद्यपि सुल्तान सहृदय एवं दयालु था किन्तु हिन्दुओं की मूर्ति पूजा आदि का तो वह कट्टर विरोधी था। बरनी लिखता है कि " ज़ाली राज्यकाल में अधर्मियों वदमजहूर्वा, हिन्दुओं तथा नास्तिकों को किसी स्थान में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी। ११ ज़ालुद्दीन को इस बात का बड़ा दुःख था कि वह हिन्दुओं

८ - रिजवी खिलजी कालीन भारत पृष्ठ १२

६ -	११	११	११	२५
१० -	११	११	११	२२
११ -	११	११	११	२०

की मूर्ति पूजा का अन्त न कर सका तथा उन्हें दाने दाने को मोहताज नहीं कर सका ।

अलाउद्दीन खिलजी धर्म के क्षेत्र में अपने पूर्व कालिक सुल्तानों की पंक्ति में नवीन स्थान ग्रहण करता है । यह तो स्पष्ट है कि वह इस्लाम का भक्त था किन्तु उलैमावों आदि के हस्तक्षेप को वह राजनीति में सहन नहीं कर सकता था । यही नहीं राजनैतिक कार्यों के बाग़े धार्मिक पक्ष को प्राथमिकता भी वह नहीं देता था । जैसा कि बरनी बताता है^{१२} मैं नहीं समझता कि यह बाज़ारें शरा के अनुसार है या शरा के विरुद्ध है । मैं जो कुछ राज्य के लिये उचित समझता हूँ उन्हीं की बाज़ा देता हूँ । १२ वही तरह अनेक स्थानों पर वह राजनैतिक कार्यों को प्राथमिकता देता है यही कारण है कि तत्कालीन कट्टर लेखक बरनी ने सुल्तान को अंशतः धर्म विहीन भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है । जैसे वह लिखता है^{१३} शरावों की बाज़ा पालन करने पर वह कोई ध्यान नहीं देता था । नमाज़ रोज़े का न तो उसे ज्ञान ही था और न जानकारी ही । १३ साथ ही वह यह भी बताता है कि अलाउद्दीन एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था । परन्तु निजामी इसका तर्क संगत खण्डन करते हैं तथा अपने पक्ष की परिपुष्टि के लिये अनेक मत देते हैं । १४ अन्ततः यही कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन में इस्लाम के प्रति निष्ठा तो थी किन्तु वह राजनैतिक कार्यों के उसे बाधक नहीं होने देना चाहता था ।

१२ - बरनी - तारीख - २ - फ़ीरोज़ शाही पृष्ठ २६६

१३ - रिजवी - खिलजी कालीन भारत पृष्ठ ६३

१४ - निजामी - दी ग़ोम्प्रीहंसिव हिस्ट्री ऑफ़ इन्डिया - दी देहली सल्तनत - भाग ५ पृष्ठ ३३६

हिन्दुओं को अलाउद्दीन फूटी जांती भी समुद्र नहीं देखना चाहता था । उसने अपने शासन में हिन्दुओं को अत्यधिक दीन हीन बना दिया था । काजी मुगीस द्वारा दिये गये उत्तर को बरनी ने लिखा है कि " हिन्दु मुस्तफा के दुश्मनों में सब से बड़े दुश्मन है मुस्तफा अल्लेहिस्सलाम ने हिन्दुओं के विषय में यह आज्ञा दी है कि उनकी हत्या कर दी जाय उनकी धन सम्पत्ति लूट ली जाय या उन्हें बन्दी बना लिया जाय या तो उनसे इस्लाम स्वीकार करा लिया जाय अन्यथा हत्या कर दी जाय । १५ इस समकालीन इतिहासकार के वर्णन से हिन्दुओं की दीन स्थिति का स्पष्ट चित्र समझा जा जाता है किन्तु निजामी इसकी बालोचना करते हुए बताते हैं कि " पैगम्बर ने कभी हिन्दू को नहीं देखा । और न ही बाद के इ: सुन्नी धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन है । १६

कुछ भी हो यह तो निश्चित है कि अलाउद्दीन हिन्दुओं को निम्नतम स्थिति तक ले आना चाहता था फलतः हिन्दुओं को जीवन यापन अत्यधिक कठिन हो गया । इस लिये बरनी लिखता है कि " हिन्दुओं को लज्जित पतित और वरिष्ठ बना दिया है । मैंने सुना है कि हिन्दुओं की स्त्रियाँ तथा बालक मुसलमानों के द्वार पर भीस मांगा करती हैं । १७ इस प्रकार अलाउद्दीन कट्टर धर्मान्ध सिद्ध हुआ जिसने इस्लाम की रक्षा के लिये काफिरों का सफाया कर दिया ।

तुगलक वंश के सुल्तानों की धार्मिक नीति :

तुगलक शासकों में धार्मिक नीति के विभिन्न पक्ष हमें देखने को मिलते हैं । जहाँ एक ओर प्रारम्भिक काल में मोहम्मद धर्म को कोई प्राथमिकता नहीं वही फीरोज प्रारम्भ से ही कट्टर धर्मान्ध था । इस प्रकार

१५ - रिजवी - सिलबी कालीन भारत - पृष्ठ ७०

१६ - निजामी - दी क्रोम्प्रीहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इन्डिया - दी वेल्थी

१७ - रिजवी सिलबी कालीन भारत पृष्ठ ७४. सततनत भाग ५ पृष्ठ ३३७

तुगलक काल में धार्मिक नीति के नवीन पक्षों की हमारे समक्ष आते हैं ।

तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक अपने निजी जीवन में कट्टर मुस्लीम मुसलमान था । तुसरो की हत्या करने के बाद वह एक श्रेष्ठ इस्लामी शासक के रूप में पदासीन हुआ । अतः उसको धर्मान्ध - होना स्वभाविक सा ही था । यही कारण है कि इस्लामी नियमों के विरुद्ध व्यवहार करने पर वह शेर निजामुद्दीन बालिया से भी अत्यन्त नाराज था ।

हिन्दुओं के प्रति गयासुद्दीन का व्यवहार प्रशंसनीय नहीं था । जलालुद्दीन के अनेक नियमों को उसने जारी रखा और हिन्दुओं को सम्पत्ति एकत्रित करने की आज्ञा नहीं दी गयी । जहाँ तक अधिक कर न लगाने का प्रश्न है इसके सम्बन्ध में बरनी स्पष्ट लिखता है कि "सुल्तान ने हिन्दुओं पर अधिक कर इस लिये नहीं लगाया कि वह निराश होकर अपनी भूमि तथा व्यवसाय छोड़कर भागने पर बाध्य नहीं करना चाहता था । इस प्रकार गयासुद्दीन का भी हिन्दुओं के प्रति व्यवहार उचित नहीं था ।

मोहम्मद तुगलक के आते ही धार्मिक क्षेत्र में हम नवीन मोड़ देखते हैं । अपने प्रारम्भिक काल में उसने धर्म निरपेक्षाता का परिचय दिया, और प्रशासन आदि में उलेमा पर नियंत्रण रखा । अशरफ तो यहाँ तक लिखते हैं कि भारतीय मुसलमानों की योजनावद्ध रूप से मनाही कर दी गई थी और सुल्तान विदेशी लोगों पर विश्वास करने लगा । यही नहीं बरनी को इस बात का बड़ा दुःख था कि सुल्तान उलेमा आदि की हत्या करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट, प्रदर्शित नहीं करता था । यही कारण है कि उसने मोहम्मद तुगलक को एक विचित्र शासक के रूप में प्रदर्शित किया है । उसने हिन्दुओं को भी उच्च पद देना प्रारम्भ कर दिया था । डा० मेहदी हुसैन ने अपनी पुस्तक - राज एन्ड फॉर ऑफ दी मुहम्मद बिन तुगलक में रतन नामक हिन्दू का विवरण दिया है जो

सिन्ध का सुवेदार था किन्तु ईश्वरी प्रसाद यह बताते हैं कि वह सुवेदार न होकर राजस्व अधिकारी था । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसका अपनी वहुसंख्यक प्रजा से धर्म के कारण असहिष्णुता पूर्ण व्यवहार नहीं था ।

इस्लाम के प्रति मोहम्मद की पूर्ण निष्ठा थी इन्वतूता उसकी नमाज की किल लोल कर प्रशंसा करता है । वरनी ने भी उसकी दानशीलता तथा नमाज के प्रति रुचि का स्पष्ट विवरण दिया है किन्तु मुसलिमों को कट्टर दण्ड के समय वह बाक़ोशित हो जाता है और सुल्तान की कुराई करने में किसी प्रकार पीछे नहीं हटता । वह बड़े सुन्दर शब्दों में लिखता है -

“ कि एक और मैं उसकी धर्म निष्ठा और नम्रता अपनी बाँसों से देखता था तो दूसरी ओर कोई दिन ऐसा व्यतीत नहीं होता था जब कि सुन्नी मुसलमानों के झीका खीरे ककड़ी की भाँति न काट डाले जाते हो । --- ऐसा कोई सप्ताह व्यतीत नहीं होता था जब कि अनेक मुसलमानों की - हत्या न कराई जाती हो । और उसके मल्ल के ब्दार के बागे रक्त की नदी न बहती हो । १८ इस प्रकार उसने मुसलिम जनता को भी कठोर दण्ड दिये किन्तु इन दण्डों के फल स्वरूप मुसलिम प्रजा उससे नाराज हो गयी और विद्रोह करने लगी । जिससे प्रभावित होकर उसने क़लीफा से आज्ञा पत्रप्राप्त करने के लिये बड़ी सेवा की । वरनी लिखता है कि - “ देहली में कुव्वे सजाये गये सुल्तान अबीरुल मोमिनीन की लिवा तथा मनशूर अपने सिर पर रख कर शहर के ब्दार से मल्ल के ब्दार के भीतर तक गया और अत्याधिक वावर सम्मान किया । ” १९

१८ - रिजवी - तुगलक कालीन भारत - भाग १ पृष्ठ ३६

१९ - ,, ,, ,, ,, पृष्ठ ७ ६०

इस तरह हम देखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद हमें धर्म क्षेत्र में विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करता है। वास्तव में वह दिल्ली सुल्तानों की पक्ति में एक नवीन रूप का अवलोकन करता है।

फरीरोज तुगलक धार्मिक दृष्टि से एक श्रेष्ठ मुसलमान के रूप में हमारे समक्ष आता है। इस्लाम के प्रचार और प्रसार को वह अपना धार्मिक कर्तव्य समझता था। वह अपने ग्रन्थ फतूहाते फरीरोजशाही में लिखता है कि मैंने अपनी काफिर प्रजा को फाम्पर का धर्म अंगीकार करने के लिये प्रोत्साहित किया और घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति को जो अपना धर्म छोड़कर मुसलमान हो जाएगा, जजिया से मुक्त हो जाएगा। उसे इस बात का बड़ा खेद था कि ब्राह्मण जो कि कुफ़र के इमाम हैं - जजिया से वंचित हैं फलतः उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया।

उलैमा के प्रति भी वह अपनी पूर्ण श्रद्धा तथा भक्ति रखता था वह जानता था कि मोहम्मद की मृत्यु के बाद उन्हीं ने उसे शासक नियुक्त किया था तथा सुल्तान मोहम्मद की असफलता का कारण भी उलैमा से संघर्ष था। इन सब कारणों से फरीरोज अत्याधिक सजग था साथ ही उसकी आत्म प्रवृत्ति भी धार्मिकता की ओर अधिक झुकी हुई थी। इस लिये उसकी इस्लाम में पूर्ण निष्ठा थी।

हिन्दुओं के प्रति फरीरोज की नीति कट्टर धर्मान्ध मुसलमान की थी वह हिन्दुओं के धार्मिक रीति रिवाजों को पूर्णतः नष्ट कर देने के पक्ष में था। उसने नगर कोट, जाजनगर पर आक्रमण के समय वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों को भूमि सात कर दिया। अनेकों मूर्तियों को तुड़वा कर फिकवा दिया। अफीफ की तारीख और फरीरोज की आत्म कथा हिन्दुओं पर किये गये अत्याचारों का स्पष्टांकन करती है। अपनी पुस्तक फतूहात में फरीरोज लिखता है कि "मुझे यह सूचना मिली कि कुछ हिन्दुओं ने सालिहपुर गांव में एक नया मंदिर बनवा लिया और मूर्ति

पूजा किया करते हैं तो मैंने कुछ व्यक्तियों को मंदिर के विनाश के लिये भेज दिया । २० इस प्रकार के अनेक उदाहरण उसकी नृसंघता का परिचय देते हैं । वस्तुतः अन्ततः यही कहा जा सकता है कि फीरोज इस्लाम के अतिरिक्त किसी भी धर्म को जागृत अवस्था में नहीं देखना चाहता था । यही कारण है कि इस्लामी निष्ठा के लिये हिन्दुओं पर अनेक अत्याचार किये ।

छोधी सुल्तानों की धार्मिक नीति :

छोधी शासकों ने भी धार्मिक क्षेत्र में अपने पूर्व शासकों का अनुकरण किया उन्होंने उल्टेमावों को पूर्ववत् उच्च पदों पर ही प्रतिष्ठित किया । लेकिन उन्होंने फीरोज तुगलक बादि की तरह उल्टेमावों को ही राज्य का महत्व पूर्ण वर्ग नहीं माना अपितु वह उल्टेमावों पर भी नियंत्रण रखते थे ।

बल्लोल छोधी अवश्य बफगान बमीरों के साथ ही उल्टेमावों को भी अत्यधिक महत्व देता था । किन्तु सिकन्दर ने इस महत्व को कम कर दिया और यही स्थिति ब्राह्मीय के समय भी रही । कुछ लोगों का कहना है कि बल्लोल ने सईद वाईन नामक सन्त की सेवा की थी और उसे बमीष्ट धन (२००० रुपये) दिया था जिसके बदले में सन्त ने प्रसन्न होकर ये शब्द कहे - ईश्वर को दिल्ली साम्राज्य की राजगद्दी को वाप मुहोपित करें । २१ कुछ भी हो यह तो निश्चित है कि बल्लोल दरवेह सन्त एवं उल्टेमावों का अत्याधिक बादर करता था लेकिन सिकन्दर के वाते ही उल्टेमा की इस स्थिति पर नियंत्रण लग गया । यद्यपि यह निश्चित है कि सिकन्दर बड़ा धार्मिक व्यक्ति था और राज्य प्रबन्ध में

२० - रिजवी - तुगलक कालीन भारत - भाग २ पृष्ठ ३३३

२१ - डोर्न - महजन बफगानी पृष्ठ ४३ तारीखे दाऊदी में २००० टंक के स्थान पर १३०० टंक लिखे हैं ।

उलेमा के परामर्श को भी वह मानता था । किन्तु राज्य पर उलेमा के प्रभाव को वह स्वीकार नहीं करता था । फीरोज की मांति मुस्लिम विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिये वह दहेज का प्रवन्ध किया करता था । अपने धर्म के लिये उसमें इतना उत्साह था कि मथुरा के मंदिर तुड़वाने और उनके स्थान पर सराय तथा मस्जिद बनवाने की उसने आज्ञा दे दी थी । हिन्दुओं को यमुना के घाटी पर स्नान करने की आज्ञा नहीं थी । वास्तव में उसने हिन्दू धर्म को कुचलने और इस्लाम का उत्थान करने के लिये हर संभव प्रयत्न किया उसकी बाधीनता में दिल्ली सल्तनत इस्लाम के प्रचार का उतना ही सक्रिय साधन बन गई जितना कि फीरोज तुगलक के समय में थी । इस लिये हम कह सकते हैं कि उसकी धार्मिक नीति कट्टर इस्लामी थी । इब्राहीम की भी इस्लाम में पूर्ण निष्ठा थी । किन्तु उसने सिकन्दर की मांति हिन्दुओं के प्रति धृणात्मक व्यवहार नहीं किया । वास्तविकता तो यह थी कि बान्तरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमणों के कारण वह इस और अपना ध्यान ही नहीं दे सका ।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर के पूर्व दिल्ली सुल्तानों की धार्मिक नीति इस्लाम धर्म प्रधान थी । प्रायः प्रत्येक सुल्तान ने इस्लाम के संवर्धन और विकास के हर सम्भव प्रयास किये और हिन्दुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये । इस काल में शासन में उलेमा वर्ग बड़ा ही प्रभाव शाली था । कुछ शासकों के समय तो उलेमा ही राज्य के प्रधान बन गये जिन्होंने सम्पूर्ण राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया ।

अधिकांशतः प्रत्येक शासक की नीति इस्लाम को ध्यान में रख कर ही निर्धारित होती थी और इस लिये यदि इस काल को धर्म राज्य कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं ।

खण्ड - 'ब'

अकबर के पूर्वजों की धार्मिक नीति

अकबर के पूर्वजों की धार्मिक नीति (खण्ड ब)

अकबर का जन्म मध्य एशिया के तुर्की बादशाह बगीर तैमूरलंग की सातवीं पीढ़ी में हुआ था। पितृ पक्ष में वह तैमूर से सम्बन्धित था, उसके पितामह बाबर की माता तेरहवीं सदी के प्रसिद्ध मध्य एशिया के ब्राह्मण वादी मंगोल चंगेज खां के द्वितीय पुत्र चंगताई से उत्पन्न मंगोल के खान युतुस खां की पुत्री थी। अकबर के पिता हुमायूँ ने ईरान के निवासी अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू से विवाह किया था और इसी हमीदा बानू बेगम से अकबर का जन्म हुआ था। इस तरह अकबर के पूर्वज मध्य एशिया व ईरान से सम्बन्धित थे। यद्यपि चंगेज खां व तैमूर लंग में धार्मिक कट्टरता का अभाव था। वे समयानुसूल धार्मिक कृत्य करते थे, लेकिन यहां हम उनकी धार्मिक नीति का विवेचन न कर केवल अकबर के पितामह बाबर और पिता हुमायूँ की धार्मिक नीति का ही वर्णन करेंगे।
बाबर की धार्मिक नीति :

यद्यपि बाबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि उसमें धार्मिक कट्टरता थी। सुन्नी मत के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास ने उसे दूसरे मतपंथ के लोगों से मित्रता करने से नहीं रोका। वह नियम पूर्ण रोजे रखता था, नमाज पढ़ता था तथा अन्य धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करता था। वह शराब का शौकीन अवश्य था लेकिन अपने बेटे हुमायूँ की तरह वह नशे का गुलाम नहीं था। ईश्वर के प्रति उसका इतना बड़ा विश्वास था कि उसे "ईश्वर पुत्र" ठीक ही कहा गया है। वह कहा करता था "ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी शरण में रह कर हमें जाने बढ़ना चाहिये" १

१ - ए. ए. श्रीवास्तव - मुगल कालीन भारत पृष्ठ ४३

जब जब उसे विजय श्री प्राप्त होती थी वह भगवान को अनेकानेक धन्यवाद देता था और मानता था कि यह उसकी अनुकम्पा का परिणाम है। पानीपत के युद्ध के बाद भी उसने इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये थे। "एक माले की लम्बाई के बराबर जब सूर्य ऊंचा जा गया तो युद्ध शुरू हुआ और दोपहर तक चलता रहा। तब शत्रु क्लिष्ट हो गया और भगदड़ मच गई। मेरे लोग विजयी हुए और उत्साह से भर गये। भगवान की दया और कृपा से यह कठिन कार्य मेरे लिये आसान हो गया और वह शक्ति शाली सेना बाधे दिन के भीतर मिट्टी में मिल गयी।" २ बुन्नी मत का अनुयायी होते हुए भी बाबर ने समरकन्द में शियामत को प्रोत्साहन दिया था।

जहाँ तक बाबर का हिन्दू वर्ग के प्रति व्यवहार का सम्बन्ध है वह अपने युग की परिस्थितियों से ऊपर न उठ सका। राणा सांगा के विरुद्ध उसने जिहाद आरम्भ किया था और अपने आदमियों को यह कह कर उसके विरुद्ध लड़ने के लिये मलकाया कि वह काफिर है और उसके - विरुद्ध युद्ध करना उनका धार्मिक कर्तव्य है। बस सब से अच्छा यही है कि अपने लिये ये दो बातें ठीक कर लेनी चाहिये कि यदि शत्रु को परास्त किया तो गाजी ३ हुए और मारे गये तो शहीद ४ हुए। दोनों प्रकार से अपनी मुक्ति है और पदवी बढ़ी और बढ़ कर है। विजय प्राप्ति के बाद बाबर ने गाजी का खिताब ५ प्राप्त किया था। चन्देरी के मेदिनीराय

२ - एस० आर० शर्मा - अनुवादक मधुरालाल शर्मा भारत में मुगल साम्राज्य पृ० २३

३ - गाजी उन्हें कहते हैं जो दूसरे मतवालों को मारते हैं।

४ - शहीद वह है जो धर्म के लिये मारे जाते हैं।

५ - इस विजय पर बाबर ने पहले पल्ल यह पदवी धारण की क्योंकि इस बार शत्रु मुसलमान नहीं थे।

के विरुद्ध भी उसने ऐसा ही धर्म युद्ध लड़ा था और चन्देरी से उत्तर पश्चिम की ओर एक पहाड़ी घिरे पर काफिरों के घिरों का मीनारा बनवाया । बाबर किस निर्दयता के साथ लुटेरों का दमन किया करता था इसका बहमद यादगार ने वर्णन किया है । “ जब वह सरहिन्द पहुंचा तो समाना के काजियाँ मैं से एक ने यह शिकायत की कि मोहन मुन्दाहिर ने उसकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया है, उसको जला दिया है और उसके लड़के को मार डाला है । इस पर विश्व विजेता बादशाह ने क्ली कुली हमदानी को तीन हजार घुड़ सवारों के साथ बदला लेने के लिये नियुक्त किया और आदेश दिया कि मुन्दाहिर ने प्रार्थी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है और उसको जो हानि पहुंचाई है उसका पूरा पूरा बदला लिया जाय । मुन्दाहिर के लगभग एक हजार आदमी मारे गये और एक हजार आदमी औरते और बच्चे बंदी बना लिये गये । बहुत हत्यारों की गई । कटे हुए घिरों का ढेर लग गया और मोहन मुन्दाहिर को जीता पकड़ लिया गया । ६ चाहे बाबर मैं अनेक गुण थे लेकिन था तो वह एक मुसलमान बादशाह । यही कारण है कि चन्देरी मैं राजपूतों के आत्म बलिदान के विषय मैं उसने कहा था कि वे सब नर्क मैं पहुंच गये पश्चाताप करने के बाद जब उसने तमगा नामक कर उठाया तो उससे केवल मुसलमान ही मुक्त किये गये थे हिन्दू नहीं । वयोध्या मैं उसने अपनी मस्जिद ऐसे स्थान पर निर्माण करायी थी जिसे श्री राम चन्द्र जी का जन्म स्थान मान, लार्सी हिन्दू पूजते थे । ७ बाबर की इस नीति के कारण पोपाल के हस्तलिखित

६ - एस. वार. शर्मा - हिन्दी अनुवादक - मथुरालाल शर्मा भारत में
मुगल साम्राज्य - पृष्ठ ४२-४३

७ - ए. एल. श्रीवास्तव - मुगल कालीन भारत - पृष्ठ ४४

पत्र ८ की जो बाबर का माना जाता है और जिस में संक्षेपतः उसकी उदार नीति का उल्लेख है, स्वीकार करना कठिन है। लेकिन इसका यह बर्णन नहीं है कि बाबर की उदारता के विषय में जो उल्लेख मिलता है उसका यहां विरोध किया जा रहा है। फरिश्ता ने लिखता है कि - बाबर की उपस्थिति से ही दौलत खां के कुटुम्ब की हज्जत बची थी। ६

८ इस पत्र में लिखा है कि हे मेरे पुत्र। भारत वर्ष में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। भगवान को धन्यवाद दो कि शहशाह ने इस देश का शासन तुम्हारे सुपुर्न किया है। इस लिये तुम्हारा कर्तव्य है कि -

१ - धार्मिक पदापात का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिये और निष्पक्ष होकर तुमको न्याय करना चाहिये। जनता के विभिन्न वर्गों की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिये।

२ - विवेक कर तुमको गो-वध से दूर रहना चाहिये। ऐसा करोगे तो लोगों के दिलों में तुम्हें जगह मिलेगी। इस देश के लोग तुम्हारे कृतज्ञ होंगे और तुम्हारे साथ उनका कृतज्ञता का बृद्ध बन्धन हो जायेगा।

३ - तुम किसी जाति के प्रार्थना मकान को मत गिराना और सदैव न्याय प्रिय रहना, जिससे बादशाह और प्रजा का परस्पर सम्बन्ध बच्छा बना रहे और जिससे देश में शांति और सन्तुलन रहे।

४ - इस्लाम का प्रकार वमन शास्त्र की अपेक्षा स्नेह शास्त्र से और सहानुभूति से अधिक होगा।

५ शिया और सुन्नी के पारस्परिक फगड़ों की ओर ध्यान मत देना, अन्यथा इससे इस्लाम निर्दल होगा।

६ अपनी प्रजा की विशेषताओं को ऐसा मानना जैसे वर्णों की विभिन्न कृत्यों को ऐसा करने से शासन को कोई रोग नहीं लगेगा।

६ - एस.आर. शर्मा हिन्दी अनुवादक - मथुरा लाल शर्मा - भारत में मुगल साम्राज्य पृष्ठ ४१

इसी तरह एसीकिन ने बाबर की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि^{१०} बाबर के चरित्र में सब से प्रशंसनीय बात यह है कि उसके व्यवहार में हमेशा कृपालुता, और मानवता बनी रहती थी यदि उसकी जीवनी में कहीं निर्दय हत्याओं का वर्णन आता है तो वह उस युग की विशेषता है, उसके स्वभाव की नहीं १० अन्य कट्टर पंथी सुन्नी मतावलम्बियों की तरह उसने इस्लाम धर्म के काफिरों को सताने का अपना कर्तव्य नहीं बना लिया था। हिन्दू वर्ग के प्रति बाबर का व्यवहार सल्तनत-युग के अन्य शासकों के व्यवहार की भांति बुरा नहीं था।

हुमायूँ की धार्मिक नीति :

बाबर की तरह हुमायूँ भी निष्ठावान मुसलमान था। पाँचों वक्त की नमाज वह नियमित रूप से बढ़ता था। और इसके साथ-साथ अन्य धार्मिक रीति-रिवाजों का भी पालन करता था अपने पिता की भांति वह भी साम्प्रदायिक कट्टरता से दूर था। सुन्नी होते हुए भी शिया मतावलम्बियों के प्रति उसके हृदय में द्वेष भाव नहीं था। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि बाबर से विरासत में मिली हुई उदार भावना और दूसरा उसकी पटरानी हमीदा बानू बेगम शिया थी और विश्वास पात्र सेवक बैराम साँ भी शिया ही था। जब वह फारस में था तो राजनैतिक लाभ के लिये शियामत के रीति-रिवाजों को भी मानता रहा। यद्यपि उसने परिस्थितिवश ही शियामत ग्रहण किया था क्योंकि फारस का कट्टर शियामतावलम्बी शाहतहमस्प हुमायूँ को शियामत में दीक्षित करने के लिये उत्सुक था और यदि हुमायूँ इसके लिये तैयार नहीं होता तो उसे कल प्रयोग द्वारा ऐसा करने के लिये बाध्य किये जाने की क्षिपी हुई धमकी दी गई थी।

१० - एस. बाबर, शर्मा - हिन्दी अनुवादक - मथुरालाल शर्मा -
भारत में मुगल साम्राज्य - पृष्ठ ३६

वह नमाज और वज्र यथा समय करता था और वज्र करने से पहले कभी भी बुदा का नाम अपने मुँह से उच्चारण नहीं करता था । ११ एक बार उसने अपने प्रधान न्यायाधीश या सदर मीर बकुल हय को केवल बकुल के नाम से पुकारा । परन्तु जब उसने वज्र कर ली तो उससे दामा चाही और कहा कि उसके नाम में हय शब्द बुदा का धोतक है । इस लिये वह वज्र करने से पहले इस शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता था ।

जहाँ तक हिन्दुओं के साथ हुमायूँ के व्यवहार की बात है उसका अपने युग की परिस्थितियों के ऊपर उठना कठिन था यद्यपि उन दिनों की प्रचलित रीति नीति के विरुद्ध उसने इस्लाम के काफिरों पर बर्त याबार करने से इन्कार कर दिया फिर भी वह इसी नीति का पूरी तरह से पालन न कर सका । कलियत मोपाल पत्र (जिसका वर्णन पिछले पृष्ठों में किया गया है) में वर्णित हिन्दुओं को धार्मिक स्वतंत्रता देने तथा गौहत्या पर रोक लगाने की तथा कथित बाजाबों के होते हुए भी हुमायूँ ने अपनी बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा के धर्म - कर्म में उसी तरह ब्रेड काड़ की जिस तरह मुगलों के पहले मुसलमान सुल्तान करते थे । कालिंजर में उसने हिन्दुओं के मंदिर तोड़े । उनके धार्मिक विचार विश्वासों पर चोट पहुंचाने से भी वह नहीं चुका । १२ वह अपने धार्मिकान्वियों का बहुत ही पदापात करता था यद्यपि उसकी यह नीति सदैव हानिकर सिद्ध हुई फिर भी यदि विपत्ति हिन्दुओं से युद्ध करते समय उनकी और के किसी मुसलमान सैनिक से उसका सामना हो जाता था तो वह उस पर वार नहीं करता था । इस बात का प्रमाण हमें उस समय मिलता है जिस समय बहादुर शाह (गुजरात के शासक) ने बित्तौड़ पर आक्रमण

११ - फारिश्ता - ब्रिज - भाग २ पृष्ठ १७८

१२ - ए. ए. श्रीवास्तव - मुगल कालीन भारत पृष्ठ ८२.

करना उचित नहीं समझा क्योंकि ऐसा करके वह अप्यस लेना नहीं चाहता था । जब कि उसका एक पाई धर्म युद्ध करके काफिरों को हरा रहा था । फिर भी वह कोई निर्गम प्रताड़क नहीं था और न हिन्दू धर्म को नष्ट करने की कोई सुनिश्चित नीति ही उसने अपनाई । एल्फिंस्टन ने कहा है “ स्वभाव से न वह चालाक था, न निर्दयी । यदि वह यूरोप में एक संतुलित सम्राट होता तो सम्भवतः वह चार्ल्स द्वितीय से अधिक शूर या दक्षत पिपासु नहीं होता । ”

इस तरह हम देखते हैं कि बाबर व हुमायूँ की धार्मिक नीति दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की अपेक्षा उदार थी ।

-०-

-०-

-०-

अकबर का व्यक्तित्व

अकबर का व्यक्तित्व

बबीर तैमूर ने भारत वर्ण को लुब्धक के जोर से जीता था । पर वह एक बाकल था कि बाया, गरजा, बरसा और देखते देखते डूब गया । बाबर उसके पड़पोते का पोता था जो उसके सवा सौ वर्ष बाद हुआ था । उसने साम्राज्य की स्थापना बारम्ह की थी, पर वही प्रयत्न में उसका देहान्त हो गया । उसके पुत्र हुमायूँ ने साम्राज्य प्रसाद की नींव डाली और कुछ ईंटें भी रखीं, पर शेरशाह के प्रताप ने उसे दम न देने दिया । अन्तिम अवस्था में जब फिर उसकी और प्रताप रूपी वायु का फौका बाया, तब वायु ने उसका साथ न दिया । अन्त में सन् - १५५६ ई० में प्रताप शाही अकबर ने राज्यीरोहण किया । तेरह बरस के लड़के की क्या बिसात, पर ईश्वर की मल्लिका देखो कि उसने साम्राज्य प्रसाद को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया और नींव को ऐसा दृढ़ किया कि पीढ़ियाँ तक वह न छिड़ी । वह छिड़ना पड़ना नहीं जानता था, पर फिर भी अपनी कीर्ति के रेंह सेही कलम से लिख गया कि काल काल उम्मे घिस घिस कर मिटावा है, पर वे जितना घिसते हैं उतना ही बमकते जाते हैं । उसकी गणना विश्व के शक्ति शाही व महार्त्तम शासकों में की जाती है । उसके व्यक्तित्व के विषय में उसके समकालीन इतिहासकारों ने प्रकाश डाला है । पुर्तगाली ईसाई शिष्ट मण्डल के पादरी मांसरोट और अकबर के पुत्र जहाँगीर ने अकबर के व्यक्तित्व का विस्तृत वर्णन किया है ।

According to father Monserrate : He was in face and stature fit for the dignity of king, so that any body, even at the first glance, would easily recognise

him as the king. His shoulders were broad, and his legs slightly bandy, and adapted to riding. His Complexion was fair, but slightly suffused with a darker tint. He carried his head slightly inclined to one side, towards the right shoulders, his frow was broad and open, and his eyes sparkled as does the sea when lighted by the Sun. His eyelids were heavy as are those of the Sarmatians, the chinese, the Nipponians and nearly all asiatics of the northern regions. His eyebrows were narrow, and his nose was middle size and drooping, but had a high bridge. His nostrils were expanded as though he were enraged, and on the left one he had a wart, which met the upper lip. He shaved his beard, but not his moustache, following the custom of young Turks before they assume the full costume of manhood, who, after they have taken the virile toga, cherish and arrange their beards, Unlike his foregatherers he did not shave his head, nor did he wear a cap, but bound his hair with a turban, which, they say he did in imitation of the Indian custom, in order to conciliate them. He dragged his left leg slightly, as though he were lame in it, though he had not been injured in the foot. He has in his body, which is very well made, and neither thin and meagre nor fat and gross much courage and strength. When he laughs he is distorted, but when he is tranquil and serene he has

a noble mien and great dignity. In his wrath he is majestic. " १ "

जहाँगीर ने लिखा है कि " उसका शरीराकार मध्यम था परन्तु कुछ लम्बा प्रतीत होता था । उसका गेहूँवा रंग था, उसकी बाँधे व माँहें काली थीं और उसका रंग रूप साफ होने की अपेक्षा कुछ साँका था, उसका शरीर सिंह के समान था, हाँती चौड़ी थी, उसके हाथ तथा मुँह लम्बी थीं । उसके नाक की बाईं ओर एक मसा था, जो देखने में बड़ा अच्छा मालूम होता था तथा इसका आकार बाँधे मटर के बराबर था, कुछ व्यक्ति जो मुल लड़ांग विद्या के ज्ञाता थे, इस मसे की समदृता तथा माग्यशाली होने का प्रतीक बताते थे । उसकी तेजस्वी आवाज बहुत ही प्रभाव शाली थी । बोलने तथा व्याख्यान करने में वह बहुत ही प्रवीण था । अपने कार्यों तथा स्वभाव में संसारी जीव नहीं था, वरन् उसमें ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान था । " २

उपरोक्त तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अकबर का व्यक्तित्व जानकारक था । वह घुटनों तक नीचा रेशमी अंगरखा पहनता था । जो कि स्वर्ण सूत्रों की बुनाई तथा फूल पत्तियों के आकर्षक कशीदाँ से सुशोभित रहता था और एक बड़े फीते द्वारा वह उसे बाँधता था । उसका पायजामा सड़ी तक पहुँचता था और उसमें मोती लगे रहते थे । मोती के गुच्छे से वह पायजामे को बाँधता था । उसके जूते भी बनुटे और अपने ही ढंग के होते थे । वह आकर्षक पगड़ी बाँधता था । उसकी पगड़ी बहुमूल्य मोतियाँ और रत्नाँ से सुशोभित रहती थी । पगड़ी बाँधने के ढंग में हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रणाली का सम्मिश्रण रहता था । वह पारसियाँ जैसी वेशभूषा भी पहनता था ।

1- Sir Wolseley Haig : The Cambridge History of India
Vol. IV P. 155

2- Tuzuk-i-Jahangiri- Vol. I P. 34

According to V.A. Smith : He is said to have worn the sacred shirt and girdle which every Parsee must wear under his Clothes. " 3

अकबर स्वल्पाहारी था और सामान्यतः एक ही बार भरणे भोजन करता था, वह भी प्रायः मध्याह्न में । प्रीतिभोजन या दावतों को छोड़कर अकबर प्रायः क्वैले में ही भोजन करता था । बाल्याकाल में ही उसे आभिषण भोजन में ही वमिरुचि नहीं थी । ज्याँ - ज्याँ उसकी वायु बढ़ती गई वह आभिषण भोजन के प्रति उदासीन होता गया । जीवन के उत्तर काल में तो वह पूर्णतः निराभिषण हो गया था । वह कहता था कि - " यह उचित नहीं कि एक बादमी अपने पेट को पशुर्वा की कन्न बनाये । " ४ हो सकता है कि यह हिन्दुर्वा और जैनियों के प्रभाव से हुआ हो लेकिन उसे आभिषण भोजन के प्रति शुरु से ही रुचि न थी । उसने स्वयं कहा कि " मुझे अपनी होंटी उग्र से ही मांसाहार नीरस लगता है । जब कभी मैं आज्ञा देकर मांस बनवाता था तब भी उसको खाने की बहुत ही कम परवाह करता था । इसी स्वभाव से मेरी दृष्टि पशु रक्षा की ओर गई और मैंने पीछे से मांसाहार का सर्वथा त्याग कर दिया । " ५

अकबर के इन विचारों से पता चलता है कि उसे आभिषण भोजन से घोर घृणा थी । ऐसा माना जाता है कि अकबर ने अपनी हिन्दू रानियों के प्रभाव से भोजन में मांस, लहसुन व प्याज भी त्याग दिया था । अपनी तरलणावस्था में वह मद्यपान करता था । १५८० में ताड़ी

3- Smith : Akbar the great Mogul P. 163.

4- Ain-i-Akbari Vol. III Translated in to English by H.S.Jarrett P. 443.

5- Ain-i-Akbari Vol. III Translated in to English by H.S.Jarrett P. 446.

के प्रति रुचि उत्पन्न हुई और वह ताड़ी पीने लगा पर प्रौढ़ावस्था में ताड़ी पीना छोड़ दिया । अकबर अफीम के निद्राकारी निषेजन को ब पसंद करता था, अफीम की बनी हुई कई चीजें खाता था परन्तु प्रौढ़ावस्था में उसने मद्यपान त्याग दिया । यद्यपि अकबर के समय में तम्बाकू और हुकके का प्रचार व्यापक रूप से हो गया था पर वह स्वयं तम्बाकू नहीं पीता था । अकबरफलों का शौकीन था । Jahangir says: Akbar had a great liking for fruit, especially grapes, melons and pomegranates, and was in the habit of eating it whenever he indulged in either wine or opium. "6

अकबर विनोदी स्वभाव का प्रसन्नचित्त वाला व्यक्ति था । मधुरबचन बोलना उसका स्वभाव था । अहंकार तथा दम्भ से उसे घृणा थी । वह एक म्लिन सार नरेश था और छोड़े बड़े सभी व्यक्तियों से मिलता था । वह अपने सद्व्यवहार और मधुर स्वभाव के कारण अपने अमीरों, सामन्तों, दरबारियों तथा प्रजाजनों में अत्यन्त लोकप्रिय था । इस विशेषता के कारण सभी उसके प्रति व्रदा रखते थे । उसके व्यक्तित्व में एक सास गुण यह था कि वह अपना काम मीठा बन कर निकालने का ही प्रयत्न करता था । वह मानता था कि अगर मीठी दवा से रोग मिटता हो तो कड़वी दवा का उपयोग नहीं करना चाहिये । इसी नीति के द्वारा उसने अनेक राज्यों और वीरों को अपने अधीन कर लिया था । उसका व्यवहार उच्च कोटि का था और वह सदा न्याय का पदा ग्रहण करता था ।

6- Tuzuk-i-Jahangir Translated by Rogers and Beveridge
Vol. I P. 270- 350.

He said, If I were guilty of an unjust act; I would rise in judgement against my self. " 7.

यद्यपि अकबर की क्रोधाग्नि शीघ्र ही शान्त हो जाती थी, लेकिन उसका क्रोध होता बहुत भयंकर था और क्रोधावेश में वह भयंकर दण्ड दे बैठता था। क्रोधावेश में उसने अपने धायमाई बाधम तां को किले की - दीवार से गिरवा कर मरवा दिया था, मामा मुअज्जम को कठोर दण्ड दिया था तथा राजमूल के एक मशालची को, जो सो गया था, दुर्ग की दीवार से फिंकवा कर वध करवा दिया था। परन्तु अकबर का ऐसा क्रोध अल्पकालीन ही होता था। सामान्यतः वह पूर्ण आत्म नियंत्रण बरतता था। पराजित शत्रु के प्रति वह मानवोचित उदार व्यवहार करता था - परन्तु विरोधियों के प्रति उतना ही कठोर हो जाया करता था। विदेशी राजकुमारों, विदेशियों, विदेशों से उसके संरक्षण में आये राजकुमारों के प्रति वह अधिक शिष्टता, नम्रता और उदारता का व्यवहार करता था।

अकबर को विभिन्न प्रकार के आमोद - प्रमोद और आसक्त में रुचि थी। वह जंगल में भयंकर से भयंकर शेरों, चीतों तथा हाथियों का शिकार करता था। वह स्वयं बकूक निशाने बाज, बद्धुत लक्ष्य मेदी और चतुर शिकारी था। वह प्रवीण अश्वारोही था और दूर से दूर हाथियों को वश में कर लेने की उसमें अपूर्व क्षमता थी। घुड़सवारी में उसकी रुचि थी तथा घोड़े की पीठ पर बैठ कर वह प्रायः दिन में पचास - साठ किलोमीटर दूर की यात्रा कर लेता था। उसे घुसेबाजी, मल्लयुद्ध तथा पल्लवानों की कुशितयां देखने की भी रुचि थी। कभी कभी वह वर्ग - संघर्ष में भी रुचि लेता था। हो सकता है कि इस प्रकार के संघर्ष देखने की उसमें तुर्की और मंगोल परम्परा रही हो। जीगान खेलने, संगीत सुनने, पोलो खेल देखने, विदूषणों के काम तथा बाजीगरों के करतब एवं मदारियों के

तमाशे देखने का भी उसे शौक था । नगाड़ा बजाने में वह ददा था । खेलों में उसे इतनी अधिक रुचि थी कि कभी-कभी तो वह रात्रि में प्रकाश करवा कर खेल करवाता था । उसने अपने अस्तकल में कई सहस्र ऊंटों - घोड़ों और हाथियों को पाल रखा था । इन विभिन्न प्रकार के वामोद - प्रमोद, आखेट, खेल - तमाशे तथा पशु पालन में रुचि रखने पर भी अकबर हर्ष में इत्ता लिप्त नहीं रहता था कि वह अपने प्रशासन और राज-काज को भूल ही जाये । इन प्रदर्शनों, पशु - युद्धों, खेल - तमाशों आदि के बीच भी अकबर अपनी समस्याओं पर मनन और चिन्तन करता रहता था ।

अकबर का दैनिक जीवन बड़ा ही संयमित था । उसकी आदतें सीधी - साधी, संयमित और गौरव शाली तथा गम्भीर थीं । वह बहुत कम सोता था । जहांगीर ने लिखा है " वे रात भर जगा करते थे, दिन में कम सोते थे । दिन और रात में मिला कर डेढ़ पहर से अधिक नहीं सोया करते थे । वे रात्रि जागरण को अपनी वायु की वृद्धि के समान मानते थे । " ८ इसी प्रकार स्मिथ ने भी लिखा है कि - He slept little and lightly, seldom more than three hours in the night time. The hours which he kept must have been dreadfully trying to the Court. " 9

समय का सदुपयोग कर बड़ी सावधानी से करता था और दिन में राजकार्य और राजसभा में व्यस्त रहता था । वह अपना समय दार्शनिकों, विद्वानों और धर्माचार्यों के सत्संग में व्यतीत करता था । अनेक बार वह एकान्त में बैठकर आध्यात्मिक समस्याओं पर चिन्तन और मनन भी किया करता

8- एस.आर. शर्मा हिन्दी अनुवादक मथुरालाल शर्मा - भारत में मुगल साम्राज्य - पृष्ठ - २८३.

9- Smith : Akbar the great Mogul. P. 340.

था । अबुलफजल लिखता है कि "सम्राट मैं इतनी अच्छी वादते हैं कि मैं उनका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता । यदि मैं इस विषय पर - कोर्णों की भी रचना करूं तो भी वह सम्पूर्ण नहीं होगा ।" १०

अकबर की सादरता के विषय में विद्वानों में मतभेद है । यद्यपि वह अपने पिता हुमायूँ और पितामह बाबर की तुलना में सुशिक्षित और विद्वान तो नहीं था किन्तु पूर्णतया निरक्षर भी नहीं था । उसके पिता हुमायूँ का अधिकांश समय अपने माहुरों के विरुद्ध सैनिक अभियानों और युद्धों में तथा निर्वासन के संकटों में व्यतीत हुआ था । इस लिये वह अकबर की शिक्षा की समुचित व्यवस्था न कर सका । फिर भी काकुल पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद उसने अकबर की शिक्षा के लिये विद्वान मौलवी नियुक्त किये । परन्तु अकबर का मन पढ़ने - लिखने में नहीं लगता था । उसने अपना बाल्याकाल खेलों, शिकार और घुड़दौड़ में व्यतीत कर दिया । अतएव वह पूर्ण रूपेण सादार एवं विद्वान न बन सका । श्री एन. एल. लॉ - लिखते हैं कि - अकबर पूर्ण रूपेण निरक्षर नहीं था । यदि वह लिख नहीं सकता था तो कम से कम पढ़ तो अवश्य ही लेता था । - ११ इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मत है कि अकबर निरक्षर था वे उसकी सादरता में संदेह करते हैं जैसा कि अबुल फजल ने लिखा है - उसके पवित्र हृदय एवं पुण्यात्मा की अभिरुचि कभी भी बाहरी पढ़ने लिखने की ओर नहीं झुकी । सादरता के प्रति उदासीन रहने पर भी उसका उत्कृष्ट ज्ञान माना समस्त मानवता के लिये इस बात का द्योतक था कि सम्राट को ज्ञान कोण और समस्त

10-Ani-i-Akbark- Vol. I Trans. by H.Blochmann,

Second edition P. 165.

11 - N.L. Law : Promotion of learning in India during

Mohomedan Rule P.P.139-43.

विषयों की अनुपम सूझ फटने से नहीं प्राप्त हुई बल्कि यह सब उसके लिये ईश्वरदत्त वरदान था जिसके विकास में मानवीय भ्रम का कोई स्थान नहीं था।¹² इसी प्रकार जहाँगीर लिखता है कि यद्यपि उसका पिता निरक्षर था तथापि उसे ज्ञान क्षेत्र विभिन्न स्तरों से इतना गूढ़ परिचय प्राप्त था तथा किसी विषय की विवेचना करने में वह इतना प्रवीण था कि किसी भी मनुष्य के लिये उसका निरक्षर आभास होना एक कल्पनातीत बात थी। इन साक्ष्यात असुविधाओं के होते हुए भी वह अज्ञानी न था। According to Sir Wolseley Haig : In spite of his illiteracy he was far from being unlearned nor was his intellect uncultivated, for a he delighted in - listening to the reading of works on history, theology Philosophy and other subjects and of discussing afterwards what had been read and his memory was such that he acquired through the ear a stock of learning as great as that which most of his associates could acquire through the eye." 13.

अतः हम अकबर को अक्षिपात कह सकते हैं लेकिन अज्ञानी नहीं। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि अक्षिपात होने पर भी अकबर में हीनता की भावना नहीं थी। वह कहा करता था कि -¹⁴ सभी पैगम्बर अक्षिपात व्यक्ति थे। इस लिये मुसलमानों को अपने पुत्रों में से एक को इस दशा में रखना ही चाहिये।¹⁵ १४ दैनिक व्यवहार में वह अक्षिपात

12- Ainslie - Akbari Vol. I P. 529

13- The Cambridge History of India Vol. IV P. 154.

14 - Ain-1-Akbari Trans. by H.S. Jarrett Vol. III P. 432

प्रतीत नहीं होता था ।

यद्यपि अकबर न तो पूर्ण रूप से साधारण था और न विद्वान ही, परन्तु उसमें जीवन का व्यावहारिक ज्ञान अत्यधिक था । औपचारिक - निरक्षरता से उसे जरा भी कठिनाई न हुई । वह कुशाग्र बुद्धि वाला सम्राट था । उसकी स्मरण शक्ति इतनी क्लृप्तान व अलौकिक थी, जिससे उसे पढ़ कर सुनायी गयी पुस्तकों की बर्तवस्तु, विभागीय मामलों के विवरण यहां तक कि सैकड़ों व्यक्तियों, चिड़ियों, घोड़ों व हाथियों के नाम स्मरण रहते थे । वह जो कुछ सुनता था या जो कुछ उसे विभिन्न ग्रन्थों से पढ़ कर सुनाया जाता था सभी उसे याद हो जाता था ।

Smith says, Akbar was intimately acquainted with the works of many Muhammadan historians and theologians, as well as with a considerable amount of general Asiatic literature, especially the writings of Sufi or mystic poets.

अतः अकबर दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र और अध्यात्मवाद के विभिन्न गुरु-सं- रहस्यों पर अच्छी तरह बातलाप और वाद विवाद कर सकता था । तर्क करने में वह बड़े विद्वानों को भी परास्त कर देता था । विज्ञ सभी- तियों में वह जिस वाक् पटुता का परिचय देता था उसे सुन कर कोई यह अनुमान भी न लगा सकता था कि वह व्यक्ति निरक्षर होगा । किसी भी विषय पर वह अपना मत कुशलता, स्पष्टता और सरलता से व्यक्त करता था । ज्ञान, प्रतिभा और मानसिक शक्तियों में वह श्रेष्ठ था तथा उसमें उच्च कोटि की प्रयोगात्मक बुद्धि थी । अपने उच्च आदर्शों को वह कार्य रूप में परिणत करता था और अपने आदर्शों की उपयोगिता का परिचय देता था ।

15- Smith : Akbar the great Mogul P. 338.

अकबर गुणग्राही सम्राट था । वह विद्वानुरागी और साहित्य प्रेमी बादशाह था । पुस्तकों के प्रति उसे असीम प्रेम था । उसने एकविंशत सुसज्जित पुस्तकालय बनवाया जिसमें विद्वानों द्वारा लिखे गये चौबीस हजार हस्तलिखित ग्रन्थ संग्रहित किये । विद्वान लोग इस पुस्तकालय की श्रेष्ठ पुस्तकों को पढ़ कर अकबर को सुनाते थे । इससे अकबर ने अपनी तीव्र स्मरण शक्ति के कारण साहित्य, दर्शन, राजनीति, इतिहास, धर्मशास्त्र आदि का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था । चित्रकला में तो उसे तरुणावस्था से ही रुचि थी । चित्रकला विभाग का वह स्वयं निरीक्षण करता था । साक्षर न होने पर भी उसे मुद्रित कला में रुचि थी । बाल्यावस्था से ही उसे संगीत से प्रेम था । बकुल फजल के अनुसार^{१६} वह संगीत की ओर बहुत ध्यान देता था तथा जो व्यक्ति इस सुन्दर कला को सीखता था अथवा जानता था अकबर उन सब को सहायता प्रदान करता था ।^{१६}

अकबर एक वांछाकारी पुत्र, अनुग्रह शील भाई एवं पिता तथा अनुरागशील पति था । अपने परिवार के सदस्यों और सम्बन्धियों के प्रति वह अत्यन्त उदार, दयालु, तथा स्नेह पूर्ण व्यवहार करता था । वह बहुधा इस बात पर शोक प्रकट करता था कि उसके पिता का इतनी शीघ्र स्वर्गवास हो गया कि वह उनकी कोई सेवा न कर सका । अपने उदार, सरल और स्नेही स्वभाव के कारण वह अपने परिवार वालों का बड़ा लाड़ला था । अपनी माता का वह शान शौकत से स्वागत करता था और सम्मान के लिये राजमहल से कई किलो मीटर आगे बढ़कर भेंट और स्वागत करता था । पर अपनी माता, राजमहल की अन्य बेगमों व गुरुबदन के प्रति विशेष प्रेम होने पर भी वह उन्हें प्रशासन और राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने देता था । अकबर ने अपनी धायमाताओं व धाय माइयों के

के प्रति भूव सम्मान रखा । माहम अनगा के जनाजे के साथ वह दूर तक चला और जीजी अनगा के जनाजे को कन्या भी दिया । धाय बन्धु अजीज कोका के प्रति उदारता प्रकट की तो सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के विद्रोह करने पर भी उसे परास्त कर दामा कर दिया । उसका कहना था कि हाकिम उसके पिता की स्मृति है । अपने पुत्र - पुत्रियों के प्रति भी अकबर बहुत अधिक स्नेह रखता था । सलीम का अनुचित व्यवहार भी अकबर के पितृ स्नेह और कृपा को कम न कर सका । अनेक बार विद्रोह करने पर भी अन्त में उसने सलीम को क्षमा ही कर दिया । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रति उसका बड़ा स्नेह और सद्व्यवहार था । बच्चों को तो वह बहुत ही प्यार करता था । "Akbar said, children are the young salpings in the garden of life. To love them is to turn our minds to the Bountiful creator " 17.

अकबर अपने पारिवारिक सदस्यों के अलावा अपने मित्रों, साथियों और सहयोगियों के प्रति भी अत्यन्त मैत्री एवं स्नेह पूर्ण सम्बन्ध रखता था बीरबल, टोडरमल, फंजी और अबुल फजल के साथ तो उसका व्यवहार अत्यन्त मैत्री पूर्ण और सहृदयता का था । बीरबल की मृत्यु पर तो उसने दो-दो दिन और दो रातों तक कुछ भी खाया - पिया नहीं । उसे इस बात का अत्यन्त दुःख था कि युद्ध के बाद भी उसे बीरबल का शव न प्राप्त हो सका । और हिन्दू परम्पराओं के अनुसार वह उसकी दाह क्रिया न कर सका । इसी प्रकार अपने अन्य मित्र अबुल फजल के देहावसान की शोक केला में वह फूट फूट कर रोया, उसे इतनी अधिक मार्मिक वेदना हुई कि

17 - Ain-i-Akbari Vol. III Trans. by H.S.Jarrett P- 431.

उसने तीन दिन तक कुछ भी न खाया पीया । अपने राजपूत सम्बन्धियों, सहयोगियों और मित्रों के प्रति भी अकबर उदार और स्नेही था ।

अकबर तर्क और विवेक में विश्वास करता था । वह बुद्धिहीन, नकल या अनुकरण को बुरा मानता था । He said : If imitation were commendable the prophets would have followed their predecessors."18

वह बुद्धि और विवेक में अधिक आस्था रखता था और चाहता था कि लोग बुद्धि, विवेक और तर्क के अनुसार ही कार्य करें । वह धार्मिक और लौकिक बातों को अपनी बुद्धि व विवेक के अनुसार उनके गुणों के आधार पर ही अंगीकार करता था । परन्तु अकबर की इस बुद्धिवादिता के साथ उसका अन्ध विश्वास भी जुड़ा हुआ था । अनेक बार वह अन्ध विश्वासी हो जाता था । शुभ और अशुभ दिनों और शुक्रों में, ज्योतिष और भविष्य वाणीयों में, कत्कार और फूका फांकी में वह विश्वास करता था अनेक युवतियां अपने शिशुओं को निरोग करने के लिये या बच्चा होने के लिये उसकी मनाती मानती थी । और यदि ऐसा हो जाता था तो वह उसके लिये चढ़ावे लाती थी । अबुल फज्ज लिखता है कि - " - शाश्वत सुख, प्रामाणिक हृदय, अच्छे आचरण की सलाह, शारीरिक बल सुसंस्कार पुत्र प्राप्ति, मित्रों का पुनः समागम, दीर्घायु, धन सम्पत्ति और उच्च पदवी आदि अन्यान्य अनेक मुराद लेकर मून्ड के मून्ड मनुष्य सम्राट अकबर के पास आते थे । सम्राट त्रैय का जानने वाला था, इस लिये वह हर एक को सन्तोष प्रद उत्तर देता था । और उनकी धार्मिक समस्याओं को हल करने की योजनाएँ गढ़ता था । ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता था जिस दिन लोग अकबर के पास से मंत्रौच्चचारण द्वारा पानी के कटोरे पवित्र करवाने के लिये न आते हों ।" 19 इस प्रकार अकबर में बुद्धिवादिता

18 - Ain-i-Akbari Vol. III Trans. by H.S. Jarrett P.427

19 - Ain-i-Akbari Vol. I Trans. by H.Elechnann P.164.

और अन्य विश्वास का अनुठा सम्मिश्रण था ।

अकबर अपने युग का अत्यन्त महत्वाकांक्षी सम्राट था । According to Smith : The ruling passion of Akbar was ambition. His whole reign was dedicated to conquest. "20 वह कहा करता था कि प्रत्येक सम्राट को युद्ध के लिये तैयार रहना चाहिये और सेना को निरन्तर युद्ध कला का प्रशिक्षण देना चाहिये । युग की परम्पराओं के अनुरूप वह निरकुंश व स्वेच्छाचारी सम्राट था लेकिन फिर भी वह प्रजावत्सल सम्राट था । वह रात दिन प्रजा - हित के कार्यों में व्यस्त रहता था । यद्यपि वह मुसलमान कुल में जन्मा था तथापि उसके हृदय में दया के भाव अधिक थे । प्रजा के प्रति राजा के क्या कर्तव्य है यह वह मही प्रकार जानता था । पानी की तंगी के कारण फतेहपुर सीकरी में बंधाया हुआ तालाब जिसे चिन्ह अब भी मौजूद है उसकी दयालुता की साक्षी दे रहे हैं । उसने हिन्दू, मुसलमान, जाति और सम्प्रदाय के भेद भाव को मिटा कर सब को समान समझा । यही कारण था कि उसने धृष्टिगत तीर्थ यात्रा कर व जजिया कर हटा दिये । उसने प्रजावत्सल सम्राट के रूप में तात्कालिक परिस्थितियों के प्रतिकूल तथा समाज के लिये घातक सिद्धान्तों एवं रीति - रिवाजों को चाहे वे धर्मानुमोदित ही - क्यों न हों, हटा दिया । वह साधारण प्रजाजनों के साथ सहानुभूति रखता था तथा उनकी प्रार्थनाओं एवं शिकयारों को अनुग्रह पूर्वक सुनता था । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वह प्रायः प्रति दिन एक ऐसा अक्षर देता था जब प्रजाजन, अमीर या सामान्त उसे पेट और बातचीत कर सकें । उसका कहना था कि - यह मेरा कर्तव्य है कि सब व्यक्तियों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जावे - " 21 इन्हीं बातों से वह अपनी प्रजा में अधिक लोक प्रिय हो गया था । लेकिन कानून, शान्ति और प्रशासकीय

20- Smith - Akbar the Great Mogul. P. 346.

21 - Ain-i-Akbari Trans. by H.S. Jarrett Vol. III

व्यवस्था के लिये अपराधी को दण्ड देना आवश्यक समझता था और बिना किसी भेद भाव के दण्ड देता था । सप्ताह में दो दिन वह राज्य के सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में दरबार में बैठकर अपने सामने प्रस्तुत होने वाले या नीचे के न्यायालयों से अपील के लिये आने वाले मुकदमों को सुनता था । अकबर की बुद्धि इतनी तीव्र थी और मानव प्रकृति का उसे इतना अधिक ज्ञान था कि जब वह स्वयं न्याय करता था तो संक्षिप्त प्रणाली अपनाता था । उसकी निष्पक्ष न्याय प्रियता के बारे में बहुत अजल - लिखता है - "सम्राट अपने न्यायालय में सम्बन्धी और अपरिचित में, अमीरों के प्रमुख और भित्तारी में कोई भेद - भाव नहीं रखता है ।" २२

इस समय अकबर का राज्याभिषेक हुआ था उस समय वह नाम मात्र का बादशाह था उसके पास कोई स्थायी राज्य नहीं था । दिल्ली और आगरा उसके अधिकार से निकल चुके थे और उन पर हेमू का आधिपत्य था । राज्यारोहण के समय पठ पंजाब के कुलु भागों का ही बादशाह था और वहां भी उसका प्रतिद्वंदी और दिल्ली के सिंहासन का दावेदार सिकन्दर शाह सूर उसके वंश और राज्य को समूल नष्ट करने को तत्पर था । परन्तु अपनी निरन्तर विजयों से अकबर ने एक शक्तिशाली विशाल और बृहद राज्य स्थापित कर लिया था उसकी मृत्यु से पूर्व इस साम्राज्य में उत्तर में काश्मीर से लेकर दक्षिण भारत में खानदेश और अहमदनगर के प्रदेश और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक के प्रान्त सम्मिलित थे । उसका अर्थ था कि "साम्राट को विजय के लिये सदैव तत्पर रहना चाहिये, अन्यथा उसके पड़ोसी उसके विरुद्ध शस्त्र उठा देंगे । सेना को रण शिक्षा मिलती ही रहनी चाहिये, ताकि प्रशिक्षण के अभाव में वह क्लिप्ता न हो जाये ।" २३

22- Akbarnama : Trans. by H.Beveridge Vol.III P. 387

23 - Ain-i-Akbari Vol. III Trans. by H.S.Jarrett.P.451.

उसके व्यक्तित्व का एक महत्व पूर्ण अंग उसकी धार्मिक उदारता थी । मध्य युग की धर्मान्धता, संकीर्णता, कट्टरता, दुराग्रही बनिष्टकारी रुढ़ियाँ और राष्ट्र विरोधी परम्पराओं से वह ऊपर उठ गया था । उसने अपने शासन काल के प्रारम्भ में ही यह अनुभव कर लिया था कि उसके स्थायी और दृढ़ शासन के लिये भारत के सभी सम्प्रदायों, जातियों और वर्गों का तथा मुसलमानों और गैर मुसलमानों का सहयोग, सहभावना, समर्थन और राज मक्ति प्राप्त करना आवश्यक है । इसी लिये उसने सभी धर्मों, सम्प्रदायों और वर्गों के प्रति उदारता, दया और सहानुभूति व समानता की नीति बरती । उसने गैर मुसलमानों पर होने वाले शासकीय अत्याचारों और घातक नीति के विरुद्ध कदम उठाये तथा शासन व राज्य द्वारा इस्लाम का प्रचार बन्द करवा दिया तथा हिन्दुओं पर लगे धार्मिक नियंत्रण तोड़ दिये । युद्ध बन्धियों को मुसलमान बनाना निषिद्ध कर - दिया । उसने सब धर्मों के प्रति सुलह - ए - कुल अथवा सहन शीलता की नीति अपनाई । सत्य तो यह है कि अकबर के धार्मिक विचार अत्यधिक व्यापक थे और उसका धार्मिक दृष्टि कोण बहुत ही विशाल था । वह सभी धर्मावलम्बियों के प्रति इतना अधिक सहिष्णु, कृपाळु, विनय शील, उदार निष्पक्ष और मैत्री पूर्ण था कि प्रत्येक मतावलम्बी उसे अपने ही मत का अनुयायी समझता था । दीन दुखियों की सेवा करना और उनके दुर्गों को दूर करने का प्रयत्न करना वह अपना कर्तव्य समझता था । अपनी प्रजा को चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान सताना पाप समझता था ।

उपरोक्त गुणों के होते हुए भी अकबर का व्यक्तित्व दोनों से मुक्त न था । अन्य मध्य कालीन सम्राटों के समान ही वह भोग किलासी था । उसने मुसलिम शासकों की पुत्रियाँ और राजपूत कन्यायाओं से विवाह किये थे । वह स्वयम् बहु पत्नित्व में विश्वास करता था । यद्यपि सम्राट मनसा अथवा कर्मणा निपट व्यभिचारी, व्यसनी और भोगासक्त भी नहीं कहा

जा सकता फिर भी अपने जीवन के पूर्वार्द्ध में स्त्रियों के विनाय में उसने अवश्य कुछ स्वतंत्रता से काम लिया और उसके अन्तः पुर में स्त्रियों की संख्या पांच हजार थी । स्त्रि सम्बन्धित और सेविकाओं की संख्या इसमें से घटा देने पर भी उसकी बेगमों की संख्या कुछ कम न रही होगी । मि० ई० बी० हैवेल का कथन है कि उसके बहुत सी स्त्रियाँ थीं । वह तो यहां तक लिखता है कि " मुगलों की दन्तकथाओं के अनुसार बादशाह यदि किसी भी विवाहित स्त्रि पर मुग्य हो जाता था तो उसके पति को मजबूरन तलाक देकर अपनी स्त्रि ^{बादशाह} के लिये छोड़ देनी पड़ती थीं " २४ कहा जाता है कि वह सुन्दर लावण्यमयी लहनाओं की प्राप्ति के लिये राजमहल में प्रति सप्ताह मीना बाजार का आयोजन करता था, जिसमें केवल महिलाएँ ही भाग ले सकती थीं । बीकानेर में पृथ्वीराज राठौर की पत्नि से सम्बन्धित किंवदंतियां भी हैं, जिसमें उसने अपने सतीत्व और मान रक्षा के लिये कटार निकाली थीं । परन्तु अभी तक ऐसे कोई - लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए हैं जिसे स्त्रियों के प्रति अकबर के दृष्टि कौण और विचारों पर प्रकाश पड़े । अकबर के तीव्र और कटु बालोक्त बदायूनी ने या जेसुइट पादरियों ने अकबर के यौन जीवन या स्त्री - विनायक दुर्बलता का कोई विवरण नहीं दिया है । ऐसा माना जाता है कि मध्य युग में ईरानियों और तुर्कों में प्रचलित अप्राकृतिक मैथुन के दुर्गुण से अकबर केवल मुक्त ही नहीं था अपितु जो लोग इसमें लिप्त होते थे उनसे वह घृणा करता था । वह झूल कपट का भी व्यवहार करता था । कभी कभी उसके मनोसंयम का बांध टूट जाता था तथा क्रोध के दुस्साह बावेश

२४ - ई० बी० हैवेल के अनुसार - मुनिराज विद्याविजयजी द्वारा उद्धृत हिन्दी अनुवादक कृष्ण लाल वर्मा - पुरीश्वर और सम्राट अकबर - पृ० २३८.

में आकर वह अनुचित रूप से दण्ड बादि भी दे दिया करता था । परन्तु इस प्रकार की संयम दण्डिता यदा कदा और दार्शनिक ही होती थी । सत्य तो यह है कि अकबर एक मनुष्य था और उसमें अनेक दुर्गुण भी थे, तथापि उसके कई असाधारण गुणों ने उसके दुर्गुणों को ढक दिया था ।

अन्त में हम अकबर के व्यक्तित्व के इस महत्व पूर्ण बंश पर आते हैं जो कि उसके जीवन में महत्व पूर्ण स्थान रखता है और वह है ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा । मानव और ब्रह्म के मध्य के आध्यात्मिक तत्त्व सम्बन्धि गवेषणा का विषय उसे बड़ा मोहक लगता था । वह ईश्वर में बृह निष्ठा, वास्था और विश्वास रखने वाला व्यक्ति था । अबुल फजल लिखता है कि अकबर पूरे जीवन भर सत्य की खोज में लगा रहा और अपने कर्तव्य पालन को ईश्वरीय उपासना का एक अंग मानता रहा । अकबर के पुत्र जहांगीर ने अपनी आत्म कथा में लिखा है कि - " अपने साम्राज्य राज कोश, अपार गढ़े हुए धन, पुरानी अगणित राशि, असंख्य लड़ाकू हाथी और अरबी घोड़े आदि होते हुए भी वे भगवान के सामने बाल बर-बर भी उपहास की झूक नहीं करते थे और उसको कभी नहीं मुलाते थे । वे प्रत्येक सम्प्रदाय, धर्म और जाति के सत्पुरुषों की संगति में रहा - करते थे । और उनकी बुद्धि और स्थिति के अनुसार उनका आदर करते थे । " २५ अकबर की कुछ अथोलिखित सूक्तियाँ से स्पष्ट हो जाता है कि सर्व शक्ति मान परमेश्वर के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी ।

" There exists a bond between the creator and the Creature which is not expressible in language."

२५ - जहांगीर के अनुसार - एस्.आर. शर्मा द्वारा उद्धृत - हिन्दी अनुवादक मथुरालाल शर्मा - भारत में मुगल साम्राज्य - पृष्ठ - २८३.

" That which is without form can not be seen whether in sleeping or waking, but it is apprehensible by force of inagination. To behold God in vision is In fact, to be understood in this sense."

" Each person according to his condition gives the supreme being a name, but in reality to name the unknowable is vain."

" There is no need to discuss to point that a vacuum in nature is impossible. God is omnipresent."

" The legend of Satan is an old world notion. Who has the power to oppose the will of God." 26.

ऐसी ही अनेक उक्तियाँ और भी प्रस्तुत की जा सकती हैं, किन्तु उपर्युक्त उक्तियाँ ही काफी हैं क्योंकि इनसे ही हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि अकबर के हृदय में ईश्वर के प्रति अमिट भ्रदा थीं । वह अपने जीवन का प्रत्येक क्षण आत्म निरीक्षण और ईश्वर की लोज में व्यतीत करता था । वह प्रायः प्रश्न किया करता था कि " क्या धार्मिक और सांसारिक प्रवृत्तियों में समावेश नहीं हो सकता ? " २७ उसका कहना था कि सांसारिक कार्यों में संलग्न रहते हुए भी आदमी को भगवान का निरन्तर ध्यान रखना चाहिये । सदा सत्य की लोज में लगे रहने पर भी वह प्राचीन हिन्दू राजा जनक की भांति ही (जिन्हें राजर्षि की - उपाधि प्राप्त थी) इसी सिद्धान्त पर चलता था कि एक सच्चा धार्मिक होने के साथ ही कोई व्यक्ति सांसारिक ^{कामों में} ~~कृत्य~~ ^{कार्यों} को सफलता पूर्वक

26- Ain-i-Akbari Trans. by H.S.Jarrett Vol.III P.424-25

27 - Ain-i-Akbari Vol. I P. 162.

सम्पन्न करता रह सकता है। मन की यह दशा केवल वांछनीय ही नहीं वरन् व्यावहारिक भी है। उसका कहना था कि - "जिस प्रकार हिन्दु स्त्रियां छोटे छोटे कुर्जों से पानी लेने जाती हैं और सिर पर दो दो, तीन तीन गगरी रखे हंसी करती हुई चली जाती हैं किन्तु पानी की एक बूँद भी झुकने नहीं देती, इसी प्रकार सब कार्य करते हुए मनुष्य यदि चाहे तो अपने मन से ईश्वर के विचार को एक दाण के लिये भी पृथक् नहीं कर सकता।" २८

अकबर के इन विचारों से पता चलता है कि वह एक विभूत - धार्मिक व्यक्ति था लेकिन ईसाई पादरी बार्तोली का कहना है कि उसके विचार जानने का किसी में सामर्थ्य ही नहीं था वह लिखता है कि - "अकबर अपने आंतरिक विचारों को जानने का या वह किस धर्म या किस मत के अनुसार वर्तव्य करता है सो समझने का कभी किसी को भी मौका नहीं देता था। उसके हरेक काम में यह बुद्धि थी कि वह बाहरी भेद और प्रपंच से दूर रहता था, और जितनी कल्पना की जा सकती है उतना - प्रामाणिक और क्लेश रहता था, मगर वास्तव में था वह बड़ा ही गहरा और स्वतंत्र। उसके बचन इस प्रकार के शब्दों में निकलते थे कि, जिसके दो अर्थ हो जाते थे, कई बार तो उसके कार्य वचनों से इतने विरुद्ध होते थे कि बहुत सौज करने पर भी उसके आंतरिक भाव जानने की कुंजी नहीं मिलती थी।" २९

इससे मालूम होता है कि अकबर की स्थिति धार्मिक विषय में या तो अधिकचरी थी अव्यवस्थित थी या उसे कोई ज्ञान ही नहीं सका था लेकिन इतना अवश्य है कि उसके हृदय में कुछ धर्म संस्कार की मात्रा

28 - Ain-i-Akbari- Vol. III Trans. by H.S.Jarrett, P.424-25.

29 - According to Bartoli quoted from Smith : Akbar the great Mogul. P. 73.

जरूर थी । उसके हृदय में बार बार यह सवाल उठा करता था कि जिसके लिये लोगों में इतना आन्दोलन होता है वह धर्म बीज क्या है ? और उसका वास्तविक तत्त्व क्या है ? उसके हृदय में यह सवाल उठा, उसके पसले ही, दूसरे शब्दों में कहें तो उसके हृदय में वास्तविक धर्म की तलाश करने की इच्छा पैदा हुई, उसके पसले ही उसके मन में मुसलमानी धर्म पर अरुचि हो गई थी । इसके साथ ही उसके हृदय में हिन्दू - मुसलमानों को एक करने की भावना भी उत्पन्न हुई थी । उस इच्छा को पूर्ण करने के लिये ही उसने दीन इलाही नामक एक नये धर्म की स्थापना की थी और इस नवीन धर्म में हिन्दू - मुसलमानों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया था । इस प्रयत्न में उसको बहुत कुछ सफलता भी मिली थी ।

-०-

-०-

-०-

धर्मिक नीति को प्रभावित करने वाले तत्व

- धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले तत्व -

चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी में धर्म के नाम पर अनेक अमानुषिक अत्याचार हुए। पर अकबर ने पूर्ववर्ती सुलतानों की संकीर्ण कट्टर - धार्मिक नीति का परित्याग करके सुलह - ए - कुल - की नीति अपनाई, अपूर्व धार्मिक सहिष्णुता स्थापित की। सभी धर्मावलम्बियों को समान माना तथा उनके साथ निष्पदा व्यवहार किया। उसने एक संकीर्ण, साम्प्रदायिक, राजसत्ता की विचार धारा को परिष्कृत और परिवर्तित कर दिया। अकबर की धारणा थी कि इस्लाम के सिद्धान्त संकीर्ण, एकांगी और पाषाण के समान निर्जीव नहीं, अपितु व्यापक, गतिशील तथा जाग्रत संस्था के रूप में हैं, जो देश, काल और परिस्थितियों के अनुकूल संशोधित, परिवर्तित और परिष्कृत किये जा सकते हैं। अकबर के इन व्यापक दृष्टि कोण से मुगल राजसत्ता का स्वरूप एकदम परिष्कृत हो गया। उसने धर्म, सम्प्रदाय, नस्ल या अन्य किसी बाधा पर मनुष्यों में भेद भाव करना मानवता और नैसर्गिक सत्य धर्म के विरुद्ध समझा। उसने इस्लामी विधी विधानों को जो या तो साम्प्रदायिक तथा अन्य असहिष्णुता पूर्ण भेद भावों के बाधा थे अथवा हिन्दू मुसलिम मतभेदों को समर्थन देते थे, स्थगित कर दिया और हिन्दुओं को भी शासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया। जब टोडरमल की पदोन्नति हुई तब मुसलमान अमीरों और पदाधिकारियों ने ईर्ष्या और द्वेष से इस निर्णय का विरोध किया और अकबर से प्रार्थना की कि टोडरमल को उसके पद से पृथक् कर दिया जाये। इस पर अकबर ने रुष्ट होकर कहा कि -

“तुम मैं से प्रत्येक ने अपने निवास गृह में हिन्दुओं को नियुक्त कर रखा है, तो फिर मैंने एक हिन्दू को रखने में क्या गलती की है।” १

1- Al-Badaoni. Vol. II Trans. by W.H. Lowe - P. 65.

यद्यपि वह प्रारम्भ में इतना उदार और सहिष्णु नहीं था, प्रारम्भ में तो उसे इस्लाम में अत्यधिक वास्था थी और वह इस्लाम का सच्चा अनुयायी था किन्तु विभिन्न परिस्थितियों से और घटनाओं से उसकी धार्मिक नीति विचार और दृष्टि कोण में परिवर्तन हुआ। अब हम उन परिस्थितियों का वर्णन करेंगे जिन्होंने अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित किया।

१. तत्कालीन अशांति के निवारण के लिये हिन्दुओं के सहयोग की आवश्यकता -

जब अकबर का राज्यारोहण हुआ उस समय सारा देश विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। काकुल का दौत्र उसके सौतेले भाई मिर्जा हकीम के नेतृत्व में लगभग स्वतंत्र हो चुका था। बदखां में अकबर का चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा स्वतंत्र शासक था उसमें बड़ा होने के कारण वह अपने बापकी तैमूरी राज्य का दावेदार समझता था। कन्धार सामरिक दृष्टि से महत्व का होने से फारस के राजा की दृष्टि उस पर लगी हुई थी। सुलेमान मिर्जा ने काकुल आकर हकीम मिर्जा से मिल कर अकबर के विरुद्ध षडयंत्र किया। हकीम मिर्जा का जो संरक्षक था मुनीम खां, वह अकबर के संरक्षक और प्रधान मंत्री बैराम खां से केमनस्य रखता था। अकबर का एक प्रमुख सरदार शाह अबुल माली बुल्लम बुल्ला उसका विरोध कर रहा था। अकबर का प्रसिद्ध अमीर और उच्च पदाधिकारी तारदीबेग भी अकबर के संरक्षक बैराम खां से शत्रुता रखता था। इसप्रकार सभी प्रमुख अमीर और स्वयं अकबर के सम्बन्धि ही उससे विश्वास घात कर रहे थे।

जिस समय अकबर गददी पर बैठा उस समय उसकी आयु केवल तेरह वर्ष की थी। इतनी छोटी अवस्था में उसके लिये सम्पूर्ण शासन भार सम्भाल सकना असम्भव था। इस लिये उसे स्वामिमक्त संरक्षक की अत्याधिक आवश्यकता थी। संरक्षक पद के लिये बार दावेदार थे - मुनीम खां

शाह अबुल माली, बैराम खां, और तारकी बेग। इन चारों में से जब बैराम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया तो अन्य तीनों बैराम खां से कटुता और वैमनस्य रखने लगे।

अकबर के तीन अफगान प्रतिबन्दी थे - सिकन्दर बुर, मुहम्मद - आदिल शाह और इब्राहीम बुर। ये दिल्ली सिंहासन के आकांक्षी थे।

एक बात और भी थी कि भारत में अभी तक मुगलों को विदेशी समझ कर हीनता तथा घृणा से देखा जाता था। अकबर के पूर्वज तैमूर की लूट मार, विध्वंसकारी कार्य और नृशंस हत्याओं के कारण भारतीयों के दिलों में मुगलों के प्रति स्वाभाविक घृणा पैदा हो गई थी। बाबर और हुमायूँ ने भी कोई लोकोपयोगी कार्य नहीं किये जिसे जनता का सौभाग्य उन्हें मिलता।

गोंडवाना स्वतंत्र राज्य था। गुजरात में मुसलमान सुल्तान मुजफ्फर शाह राज्य कर रहा था और मालवा में शुजात खां का उत्तराधिकारी बाज बहादुर स्वतंत्र शासक था।

इस प्रकार सारा देश स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था। स्मिथ कहता है^२ जब अकबर कलानौर में तख्त पर बैठा तो यह नहीं कहा जा सकता था कि उसके पास कोई राज्य था। बैराम खां के नेतृत्व में जो झोटी सी सेना थी, उसका कुछ डगमगाता हुआ सा अधिकार पंजाब के कुछ जिलों पर था और वह सेना भी ऐसी नहीं थी जिस पर पूरा विश्वास किया जा सके। अकबर को वास्तव में सम्राट बनने के लिये यह सिद्ध करना था कि वह दूसरे उम्मीदवारों की अपेक्षा अधिक योग्य है और कम से कम उसको अपने पिता का लौया हुआ राज्य तो पुनः प्राप्त करना ही था।

इस समय भारत की आर्थिक स्थिति तो राजनैतिक स्थिति से भी अधिक खराब थी। अबुल फजल लिखता है कि^३ अकाल की पर्यंकरता के

२ - एच. बार, शर्मा हिन्दी अनुवादक मधुरालाल शर्मा - भारत में मुगल साम्राज्य - पृष्ठ १५५

के कारण मनुष्य - मनुष्य का मांस खाने के लिये विवश हो गया था और एकाकी यात्रियों को पकड़ कर खा जाने के लिये लोगों के दल बन गये - थे ।^{११३}

चतुर्विध सतराँ से घिरा हुआ यह चित्र-ण था अकबर के राज्या-
रोहण के समय का । ऐसे समय में अकबर का भारत में टिक सकना कठिन
प्रतीत होता था । अतः ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक था कि वह
हिन्दुओं को अपने पदा में करने के लिये उनके प्रति समान व्यवहार, सहि-
ष्णुता व उदारता की धार्मिक नीति अपनाये ।

२. साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिये हिन्दुओं का सहयोग आवश्यक -

अकबर इस बारीकी को अच्छी तरह समझ गया था कि भारत -
हिन्दुओं का घर है । क्योंकि इतिहास ने यह तथ्य प्रमाणित कर दिया
था कि सुलतानों में वे ही लोग अधिक सफल हुए जिन्होंने हिन्दुओं का
सहयोग, समर्थन और सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया । इसके अलावा
अकबर का स्वयम् का विचार था कि^{११४} मुझे इस देश में ईश्वर ने बादशाह
बना कर भेजा है । यदि केवल विजय प्राप्त करना हो, तब तो यह होगा
कि देश को तलवार के जोर से अपने अधीन कर लिया और देश वासियों को
दबा कर उजाड़ डाला, परन्तु जब मैं इसी घर में रहने लूँ, तब यह सम्भव
नहीं है कि सारे लाम और सुत तो मैं और मेरे अमीर मोगे और इस देश
के निवासी बुद्धि सहे, और फिर भी मैं आराम से रह सकूँ । देशवासियों
को क्लिबुल नष्ट और नाम शेष कर देना और भी अधिक कठिन है ।^{११५}
अपने विचारी से अकबर इस निष्कर्ष^{पर} पहुँचा कि इस्लाम देश का राष्ट्रीय
धर्म होने के अनुपयुक्त है, क्योंकि मुसलिम राज्य की बहु संख्यक जनता -

३ - Akbarnama Vol. II P. 57.

४ अकबरी दरबार - हिन्दी - अनुवाद - रामचन्द्र वर्मा पन्ना भाग पृ०

हिन्दू थी। उनका धर्म उत्कृष्ट था वतः उसका विनाश नहीं किया जा सकता था।

इस प्रकार हिन्दुओं को शत्रु बनाकर न तो उनको नष्ट किया जा सकता था और न ही सुबुद्ध साम्राज्य का निर्माण सम्भव था। वह ऐसा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था जो बहु संख्यक हिन्दुओं और मुसलमानों के सहयोग तथा सहायता पर, शासितों की शुभेच्छा व सद्भावना पर आश्रित हो, जिसमें किसी जाति, धर्म व रंग का भेद - भाव न हो, जिसमें हिन्दुओं और मुसलमानों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, तथा दोनों को ही समान सुरक्षा, न्याय और स्वतंत्रता प्राप्त हो, यही कारण था कि जब उसने देश का शासन अपने हाथ में लिया, तब ऐसा ठंग निकाला जिसे साधारण भारतवासी यह न समझे कि विजातीय तुर्क और विषयीं मुसलमान कहीं से आकर हमारा शासक बन गया है। इस लिये देश के लाभ और हित पर उसने किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगाया। हिन्दुओं के सहयोग से उसका साम्राज्य एक ऐसी नदी बन गया जिसका किनारा हर जगह से घाट था।

इस प्रकार राजनैतिक कारणों से प्रेरित होकर अकबर ने तलवार की नोक पर राज्य स्थापित करने और उसे कलाने तथा इस्लाम को राज्य धर्म बनाने की भावना त्याग दी और हिन्दुओं के प्रति समान व्यवहार तथा धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई।

3. अकबर के पूर्वजों के उदार धार्मिक विचार -

यद्यपि अकबर भारत में एक विदेशी था। जैसा कि स्मिथ ने भी लिखा है - Akbar was a foreigner in India. He had not a drop of Indian blood in his veins. " 5

5- Smith : Akbar the great Mogul. P. 9.

किन्तु फिर भी वह धार्मिक मामलों में उदार था, इसका बहुत कुछ श्रेय उसके पूर्वजों की उदार धार्मिक विचार धारा को दिया जा सकता है। उसके शरीर में तुर्क, मंगोल और ईरानी रक्त था। मातृ पक्ष की ओर से अकबर चंगेज खां के वंश से सम्बन्धित था। यद्यपि चंगेज खां बौद्ध धर्म को मानता था, परन्तु उसे अपनी प्रजा के विभिन्न धार्मिक कृत्यों में सम्मिलित होने में कोई संकोच नहीं होता था। चंगेज और उसके पूर्वज परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको बदल लेते थे। पितृ पक्ष की ओर से अकबर तैमूर के वंश से सम्बन्धित था और तैमूर चंगेज खां का भी सम्बन्धित था। तैमूर भी कभी सुन्नी और कभी शिया हो जाता था। अकबर का पिता मह बाबर स्वयं तैमूर वंश का था। बाबर की माता चंगेज वंश के मंगोल शासक युनस की पुत्री थी। बाबर धर्मनिष्ठ और ईश्वर में बड़ा आस्था, रखने वाला व्यक्ति था, यद्यपि वह सुन्नी था लेकिन वह स्वतंत्र विचारों का पोषक था। बाबर का पुत्र और अकबर का पिता हुमायूँ भी स्वि कट्टर धर्मांध नहीं था। उसने परिस्थिति वश फारस में शिया धर्म ग्रहण कर लिया था। हुमायूँ की पत्नि हमीदा बानू बेगम जो कि फारस के शिया शैल अली अकबर जामी की पुत्री थी, हुमायूँ के समान वह भी संकीर्ण विचारों वाली नहीं थी। इस तरह अकबर के पूर्वज राजनैतिक आवश्यकताओं के कारण और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिये धार्मिक मामलों में उदार हो जाते थे। अतः वंश परम्परा से अकबर में धार्मिक कट्टरता बाने के लिये कोई स्थान नहीं रह गया था।

४. अकबर के संरक्षक तथा शिक्षार्थी का उदार दृष्टि कोण -

अकबर का संरक्षक और प्रधान परामर्श दाता बैराम खां विद्वता और काव्य के गुणों से विभूषित था। लेखकों व विद्वानों का वह आश्रय दाता था। वह शिष्यामत को मानने वाला था। बदायूँनी लिखता है कि - "बुद्धिमत्ता, उदारता, निष्कपटता, स्वभाव की अच्छाई,

अधीनता और नम्रता में वह सब से जागे था । वह दरवेशों का मित्र था, और स्वयम् बहुत धार्मिक और नैक हरादों का मनुष्य था । " ६ बूल्जे हेग का भी कहना है कि बुद्धिमत्ता, उदारता, निष्कपटता, सद प्रवृत्ति, आज्ञा कारिता एवं विनम्रता में वह सर्वोपरि था । अकबर पर अपने संरक्षक के उदार विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा । बैराम खां ने ही अकबर की शिक्षा के लिये सुयोग्य, उदार विचार वाले व सुसंस्कृत विद्वान अब्दुल - लतीफ को नियुक्त किया । अब्दुल लतीफ अपने धार्मिक मामलों में इतना उदार था कि अपनी जन्म भूमि फारस में लोग उसे सुन्नी कहते थे और उत्तरी भारत में यहाँ अधिक सुन्नी उसे शिया समझते थे । इतना महान होते हुए भी यद्यपि वह अकबर को पढ़ाने में असमर्थ रहा किन्तु उसने अकबर को जो सुलह - ए - कुल का पाठ पढ़ाया उसे अकबर वाजीवन नहीं भूला । सुलह - ए - कुल अर्थात् सर्वजनित शान्ति के पाठ से अकबर ने समझ लिया था कि यदि साम्राज्य में शान्ति बनाये रखनी है तो धार्मिक विचारों को उदार बनाना होगा, धार्मिक भेद - भावों को मिटाना होगा और - हिन्दुओं को भी मुसलमानों के समान साम्राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त करना होगा ।

५. राजपूत कन्याओं से विवाह और अकबर पर उनका प्रभाव -

राजपूतों के प्रति अकबर का व्यवहार किसी अविचारशील भावना का परिणाम नहीं था और न ही राजपूतों की धीरता, वीरता, स्वदेश भक्ति और उदारता के प्रति सम्मान का ही परिणाम था । उसका तो यह व्यवहार एक सुनिर्धारित नीति का परिणाम था और यह नीति - स्वल्प, योग्यता की स्वीकृति तथा न्याय नीति के सिद्धान्तों पर आधारित थी । आरम्भ में ही अकबर ने यह अनुभव कर लिया था कि उसके -

मुसलमान अनुयायी तथा कर्मचारी जो विदेशी भाड़े के टटटू होने के कारण अपनी स्वार्थ सिद्धी से ही मुख्यतः प्रेरित होते थे, उन पर पूरी तरह - परीक्षा नहीं किया जा सकता था। उसे यह बात स्पष्ट हो गयी थी कि यदि उसे भारत वर्ण में अपने राज्याधिकार को सुरक्षित रखना है तो उसे यहीं के प्रमुख - प्रमुख राजनैतिक तत्त्वों का सहयोग व समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। इस तरह अपनी दूरदर्शिता से अकबर ने उस तथ्य को हृदयंगम कर लिया जिसे समझने में उसके पिता और पिता मह ने भूल की थी। इसी नीति का अनुसरण करते हुए उसने राजपूत राजकन्याओं से विवाह किये। जनवरी १५६२ में अकबर फतेहपुर सीकरी से अजमेर के ख्वाजा मुहनुद्दीन चिश्ती की मजार की यात्रा के लिये गया। यात्रा के बाद जब वह लौटा तो सांभर में रुका और यहां ६ फरवरी १५६२ को मारमल की राजकन्या हरकू बाई का विवाह अकबर से कर दिया गया। "७ अजमेर के राजा की देवा - देवी बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़, तथा डूंगर-पुर के राजपूत राज्यों ने भी अकबर से विवाह सम्बन्ध करके अपनी - अपनी राजकन्याओं की डोलियां मुगल रनवास में भेजी।

अकबर ने अपनी इन राजपूत रानियों को हिन्दू धर्म त्याग कर - इस्लाम ग्रहण करने के लिये बाध्य नहीं किया। उसने राजमल्ल में हिन्दू रानियाँ और उनकी सहचरियाँ को उनके हिन्दू धर्म के अनुसार पूजा - पाठ करने, मनन चिन्तन करने और धार्मिक संस्कारों को मानने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। अकबर की प्रमुख हिन्दू रानी, अजमेर के मारमल की पुत्री हरकू बाई के लिये मुगल धर्म में तुलसी का पौधा लगाया गया था। इन रानियों के प्रभाव से अकबर सूर्य की उपासना करता था और कभी - कभी तिलक भी लगाता था। इस प्रकार राजपूत कन्याओं से विवाह करने से एक ओर तो अकबर को साम्राज्य में हिन्दुओं का सहयोग मिला तथा दूसरी

और इन राजन्यायों ने अकबर के धार्मिक विचारों को प्रभावित किया ।

६. अकबर का स्वयम् का उदार दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिक अनुभव -

अकबर को अपने पूर्वजों तथा शिक्षकों से तो उदार विचार मिले ही थे । इसके अलावा उसका स्वयम् का दृष्टिकोण भी उदार था ।⁸ उसके हृदय में यह भाव अंकुरित हो गया था कि सभी वर्गों के धर्मों के लोगों की निः स्वार्थ सेवा से बढ़ कर ईश्वर को प्रसन्न करने का कोई अन्य मार्ग नहीं है ।⁹ ८ उसकी कुछ धारणा थी कि सच्चा धर्म वही है जिसमें वर्ग, जाति, सम्प्रदाय और रंग रूप का भेद - भाव नहीं हो उसका विश्वास था कि ईमानदारी और सच्चाई से अपने धर्म के सिद्धान्तों पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों न हो, मुक्ति प्राप्त करता है । अकबर ने अपने सैनिक अभियानों और युद्धों के दौरान भी अन्य मुसलिम आक्रमणकारियों के समान मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा - फोड़ा नहीं । परास्त नरेशों के साथ भी बहुत पूर्व उदारता का व्यवहार किया । इसी बीच अकबर को दो तीन आध्यात्मिक अनुभव भी हुए जिन्होंने उसे और भी अधिक उदार बना दिया ।¹⁰ मार्च १५७८ में एक रात्रि को - लाहौर के पास आलेट यात्रा से ध्यान मग्न अवस्था में अपने पड़ाव की ओर भूमि पर गिर पड़ा । इसको¹¹ " ईश्वर संदेश " मानकर वह स्वयम् भक्ति में साष्टांग पड़ गया ।¹² ९ इस महत्व पूर्ण आध्यात्मिक जाग्रति से अकबर धर्म में सहिष्णु और असम्प्रदायिक हो गया । एक अन्य स्थान पर बहुत फजूल लिखता है कि एक देवी आख़्बंद अकबर के शरीर में व्याप्त हो गया और परमात्मा के साक्षात्कार की अनुभूति से किरण फुटी । अकबर का ईश्वर से प्रत्यक्ष सम्पर्क हो गया और उसे एक नवीन आध्यात्मिक अनुभव हुआ ।¹³ १० जहाँ यह घटना घटी थी, वहाँ पर अकबर

8- Ain-i-Akbari Vol. III P.P. 449-50.

9- Akbarnama Vol. III P. 234-35, 37.

10 - Akbarnama Vol. III, P. 241-45.

ने एक विशाल और विस्तृत उद्यान निर्मित करवाया और फतेहपुर सीकरी में गरीबों और फकीरों को एक करोड़ रुपये का सोना, चांदी, व सिक्के दान में वितरित किये गये ।¹¹ ११

इस प्रकार इन आध्यात्मिक अनुभवों ने अकबर को और भी अधिक दान शील, धार्मिक व उदार बना दिया ।

७. भक्ति आन्दोलन और सूफ़ी विचार धाराओं का अकबर पर प्रभाव -

अकबर के विचारों और धर्म पर तत्कालीन भक्ति आन्दोलन, - विभिन्न सन्तों, साधुओं, फकीरों और सूफ़ियों की विचार धाराओं का प्रभाव पड़ा । हिन्दू सन्तों, भक्तों, साधुओं और सूफ़ी फकीरों तथा शैखों ने धर्म के बाहरी आडम्बर को व्यर्थ बतलाया । उन्होंने धार्मिक प्रथाओं और कर्म कान्ठ का खन्डन किया । जीवन और चरित्र की पवित्रता तथा एक ईश्वर की सत्ता पर बल दिया । अकबर की राजसभा में भी सूफ़ी विद्वान थे जब अकबर सूफ़ी शैख मुबारक और उसके दो प्रतिभाशाली पुत्र फौजी और अबुल फजल के सम्पर्क में आया तब कट्टरता और धर्मान्धता से मुक्त संसार उसके सामने आया । वह अपने धार्मिक विचारों में तो - अत्यन्त उदार था ही, साथ ही साथ अन्य धर्मों के धार्मिक विचारों, विश्वासों और रीति - रिवाजों के प्रति भी सहानुभूति रखता था । फौजी स्वतंत्र विचारों वाला प्रतिभा शाली विद्वान था । इस लिये मुगल दरबार में वह धर्मांध कट्टर मुल्खाओं का विरोधी था । अबुल फजल भी मध्य युग की धर्मांधता, संकीर्णता और साम्प्रदायिकता से ऊंचा उठा हुआ था । जब अकबर की उपस्थिति में हबादत खाने में भिन्न - भिन्न धर्मों की गोष्ठियां और वाद विवाद होते थे तो अबुल फजल इनमें सक्रिय भाग लेता था । फौजी और अबुल फजल इस्लामी शास्त्रों के अपने गहन ज्ञान का लाभ उठा कर धार्मिक शास्त्रों के अपने उद्घरणों और तर्कों से धर्मान्ध -

11 - Muntkhabut - Tawarikh. P. 265.

मुल्लाखानों के तथ्यों और कथनों को काट देते थे और बादशाह को पृथ्वी पर हुदा का नायब बता कर मुल्लाखानों के हथियारों को कुंठित कर देते थे। अबुल फजल ने अपनी बालोका, तर्क और ओजस्वी भाषणों से अनुदार साम्प्रदायिक तत्त्वों का विरोध किया। इससे रुढ़िवादी सुन्नी नेता शाही का उत्साह भंग हो गया। सुफ़ी सिद्धान्तों ने अकबर के मस्तिष्क को उदार विचारों से भर दिया, वे अकबर को इस्लाम धर्म की संकीर्णता से दूर ले गये और उसको दिव्य कर दिया कि वह पवित्र वास्तविकता की खोज करें।

८. अकबर की सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति -

अकबर धर्मनिष्ठ और चिन्तनशील व्यक्ति था। वह सत्य को खोजने और पाने का उच्छुक था। Badaoni says : From a feeling of thankfulness for his past successes, he would sit many a morning alone in prayer and meditation, on a large flat stone of an Old building which lay near the place in a lonely spot, with his head bent over his chest and gathering the bliss of early hours of dawn.¹² उसने धर्म के क्षेत्र में बहुरूपता का अनुभव किया और विभिन्न धर्मों में सत्य को पहचानने का प्रयत्न किया। जब कभी वह समय पाता वैश्व बंधन कर भाग जाता और योगियों, सन्तों व सन्यासियों के पास बैठा रहता तथा सभी धर्मों के सत्यों को जानने का प्रयास करता, उसके हृदय में बार बार यह सवाल उठा करता था कि जिसके लिये लोगों में इतना आन्दोलन हो रहा है वह धर्म क्या चीज है ? और उसका वास्तविक तत्त्व क्या है ?

12 - Al-badaoni Trans. by W.H. Lowe Vol. II P. 203,

Ain-i-Akbari Vol. I Trans. by H.Blochmann second edition P. 179.

वह जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को भी जानने का प्रयास करता था । जीवन के आरम्भ से ही अकबर जानना चाहता था कि ईश्वर और मनुष्य का क्या सम्बन्ध है ? और इस विषय के समस्त प्रश्न क्या क्या हैं ? वह कहता था “ दर्शन शास्त्री का मुँह पर जादू का सा असर होता है कि वन्य सब बातों को छोड़ कर मैं इस विचार की ओर झुक जाता हूँ चाहे मुझे आवश्यक कार्यों की अपेक्षा करनी पड़े । ” १३ अकबर का - विचार शील मन कभी भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि - केवल इस्लाम धर्म ही सच्चा धर्म है । उसकी इस जिज्ञासु और सत्यान्वेषण की वृत्ति, उसके गहन आध्यात्मिक चिन्तन और मनन तथा उसकी नवीन विचार धाराओं ने उसे इस निष्कर्ष पर ला दिया कि प्रेम, उदारता क्या व सहिष्णुता के सिद्धान्त ही सत्य धर्म के तत्त्व हैं, अबुल फज्ज लिखता है कि जीवन भर उसकी खोज बीन का यह परिणाम हुआ कि अकबर विश्वास करने लगा था कि सभी धर्मों में समझदार लोग होते हैं और वे स्वतंत्र विचारक भी होते हैं ----- सत्य सभी धर्मों में है तो यह समझना मूल है कि सच्चाई सिर्फ इस्लाम धर्म तक है जब कि इस्लाम धर्म अपेक्षा कृत नवीन है जिसकी आयु केवल हजार वर्ष की ही होगी १४ अकबर को विश्वास हो गया था कि विविध धर्मों तथा सम्प्रदायों से भरे हुए उसके विशाल साम्राज्य में प्रेम, उदारता, व सहिष्णुता के सिद्धान्त ही शान्ति ला सकते हैं ।

६. अकबर का हिन्दू अधिकारियों से सम्पर्क और उनका प्रभाव -

अकबर की राजसभा और प्रशासन में व सेना में अनेक हिन्दू अधिकारी और सेनानायक थे । राजपूतों का तो यह समझने कि उसके साम्राज्य के

13- Ain-1-Akbari Vol. III Trans. by H.S. Jarrett, P.433

14- Ain-1-Akbari Vol. I P. 179.

स्तम्भ थे। भगवन्त दास, मानसिंह, टोडरमल, बीरबल, जान्नाथ कछवाह, मार्घासिंह आदि इनमें प्रमुख थे। मानसिंह अकबर के सेनापतियों में प्रमुख था तथा अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक। वृन्दावन में उसने जो गोविन्द देव का मंदिर बनवाया वह उसकी धर्मनिष्ठा का ज्वलन्त उदाहरण है। प्रशासन में उसने अकबर को उदार नीति अपनाने का परामर्श दिया। ऐसा माना जाता है कि जजिया तथा अन्य अवांछनीय करों की समाप्ति करवाने में मानसिंह का हाथ था। इसी तरह टोडरमल भी बड़ा ही प्रतिभावान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। वह हिन्दू धर्म का कट्टर अनुयायी था। मध्य युग के मुसलिम शासन में ऊँचे पद पर रहते हुए और दरबार में महत्व शाली कार्य करते हुए भी टोडरमल ने अपने हिन्दू धर्म को अपनाये रखा, अपने पूजा - पाठ, मन्त्र चिन्तन, धार्मिक आचार - विचार आदि को बनाये रखा। बीरबल अकबर का अनन्य मित्र, अत्यधिक कृपापात्र, परामर्श दाता और साथी था। बदायूनी व मौलाना मुहम्मद हुसैन आदि इतिहास कार मानते हैं कि अकबर बीरबल के प्रभाव से ही सूर्य के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने लगा था। इसी प्रकार जान्नाथ - कछवाहा तथा भगवन्त दास आदि हिन्दुओं ने भी अकबर के विचारों को प्रभावित किया। इन हिन्दुओं ने न तो अपना धर्म छोड़ा और न ही रीति - रिवाज, बल्कि अकबर को अपने धर्म से प्रभावित किया। अकबर पर तो हिन्दुओं के धार्मिक विचारों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था, क्योंकि हिन्दू तो उसके चारों ओर इस प्रकार थे जैसे कि श्वास - वायु।

१० अकबर की राजनैतिक महत्वाकांक्षाएँ -

जिस समय अकबर गददी पर बैठा उस समय सारा राज्य असंगठित व अव्यवस्थित था। उसके पास कोई स्थाई सेना भी नहीं थी। अकबर की महत्वाकांक्षा एक सुसंगठित, सुव्यवस्थित व स्थाई राज्य स्थापित करने की थी। बकुल फजल के अनुसार अकबर की विजय नीति का उद्देश्य स्थानीय

शासकों के निरंकुश शासन से पीड़ित प्रजा को सुख, शान्ति और सुरक्षा प्रदान करना था। प्राचीन हिन्दू आदर्शों से प्रेरित होकर अकबर भी - सम्पूर्ण देश को राजनैतिक दृष्टि से एक सूत्र में बांधने और प्रजाजन को सुख - शान्ति तथा सुरक्षा प्रदान करने की ओर प्रयत्नशील हुआ। इसके लिये उसने अनुभव कर लिया था कि जब तक विभिन्न धर्म, सम्प्रदायों और बर्गों के लोगों को एक सूत्र में नहीं बांधा जायेगा, तब तक उसका राज्य दुर्ध और स्थायी नहीं हो सकेगा। उसे राजपूतों व अन्य हिन्दुओं के सहयोग की आवश्यकता थी। इस लिये उसने राजपूतों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये। "सेना और शासन विभाग के बड़े बड़े पद तुर्कों के समान ही - हिन्दुओं को भी मिलने लगे। दरबार में हिन्दू - मुसलमान सब बराबर - बराबर बिसाई देने लगे।" १५ अतएव अकबर को राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिये ऐसी उदारता पूर्ण, गुण ग्राहक सहिष्णुनीति अपनाने के लिये बाध्य होना पड़ा जिससे किसी धर्म या सम्प्रदाय को चोट न पहुँचे।

११. इबादत खाने में इस्लाम धर्म केक्टर नेताओं और उल्माओं के पतित चरित्र का नग्न प्रदर्शन और अकबर पर उनका प्रभाव -

१५७५ ई० में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक बहुत बड़ियाँ इमारत बनवाई और उसका नाम इबादत खाना अथवा पूजा घर रखा गया। मोहम्मद हुसैन लिखते हैं कि "यह वास्तव में वही कोठरी थी, जिसमें शैख सलीम - चिश्ती के पुराने शिष्य और भक्त शैख अब्दुल्ला निग्राजी सरहिन्दी किसी समय स्कान्तवास किया करते थे। उसके चारों ओर बड़ी - बड़ी इमारतें बनाकर उसे बढ़ाया।" १६ प्रत्येक जुमा शुक्रवार की नमाज के उपरान्त शैख सलीम चिश्ती की खानकाह से आकर इसी नई खानकाह में दरबार खस होता था। बदायूनी लिखता है कि - "उसने ११ (अकबर) सन् १५७५ ई० में फतेहपुर सीकरी में निर्मित इबादत खाने में इस्लाम के प्रसिद्ध विद्वानों, १५ - अकबरी दरबार हिन्दी अनुवादक - रामचन्द्र वर्मा पहला भाग पृ० १२० १६ - अकबरी दरबार हिन्दी अनुवादक, रामचन्द्र वर्मा पहला भाग पृ० ७०

शेखों, मौलवियों, मुफ्तियों आदि को धार्मिक विचार विमर्श और वाद विवाद के लिये आमंत्रित किया, जिससे वह इस्लाम धर्म का अधिक ठीक ज्ञान प्राप्त कर सकें। १७ बहुत बड़े बड़े विद्वान मौलवी आदि तथा कुछ थोड़े से जुने हुए मुसलमान वहाँ रहते थे। इनमें मसदूम - उल - मुल्क, अब्दुन्नी, काजी याकूब, मुल्ला, बदायूनी बाजी इब्राहीम, शेख मुबारक, अब्दुल फाजल, काजी जलालुद्दीन आदि प्रमुख थे। इस इबादत खाने में ईश्वर और धर्म - सम्बन्धी बातें होती थी। परन्तु विद्वानों की मण्डली भी कुछ क्लिष्टाण हुआ करती है। वहाँ जब धार्मिक वाद विवाद तो पीछे होंगे, पहले बैठने के सम्बन्ध में ही फगड़े होने लगे कि अमुक मुफ्ति से ऊपर क्यों बैठा है और मैं उससे नीचे क्यों बैठाया गया ? इस लिये इस सम्बन्ध में यह नियम बना की अमीर लोग पूर्व की ओर, सैयद लोग पश्चिम की ओर, विद्वान आदि दक्षिण की ओर तथा (त्यागी व फकीर) आदि उत्तर की ओर बैठें। 178 प्रत्येक शुक्रवार की रात को बादशाह इस सभा में स्वयम् जाता था। वह वहाँ के सभा सदस्यों से बातलाप करता था और नई - नई बातों से अपना ज्ञान मण्डार बढ़ाता था। पर बड़े दुःख की बात है कि जब मसजिदों के मूखों को बढ़िया बढ़िया भोजन मिलने लगे और उनके हाँसले बढ़कर उनकी हज्जत होने लगी तब उनकी आँखों पर चर्बी छा गई। सब वापस में फगड़ने लगे। पहले तो केवल कोलाहल होता था, फिर उपद्रव भी होने लगे। अकबर के दरबार में रहने वाला कटटर मुसलमान बदायूनी धर्म सभा में बैठने वाले मौलवियों में जो फगड़ा होता था उसके लिये लिखता है कि - " बादशाह अपना बहुत ज्यादा बक्त इबादत खाने में शेखों और विद्वानों की संगति में रह कर गुजारता था। खास तौर पर शुक्रवार की रात में - जिसमें वह रात भर जागता रहता था - किसी मुख्य तत्व की या किसी अवान्तर विषय की चर्चा करने में निमग्न रहता था। उस समय विद्वान और शेख, पारस्परिक विरुद्धोक्ति और मुकाबिला करने की रण - भूमि

में अपनी जीम रूपी तलवार का उपयोग करते थे । पक्षा समर्थन कार्यों में इतना वितंडावाद खड़ा हो जाता था कि, एक पक्षा वाला दूसरे पक्षा वाले को बेवकूफ और ढोंगी बताने लग जाता था ।^{१८} इन वाद - विवाद और धार्मिक चर्चाओं के दौरान इन विद्वानों की संकीर्णता, अमदृष्टता तथा अहंकार का नग्न नृत्य प्रारम्भ हुआ । एक विद्वान किसी बात को हलाल कहता था तो दूसरा उसी को हराम प्रमाणित कर देता था । वे स्वयम् अकबर की उपस्थिति में ही आपे से बाहर हो जाते थे । और परस्पर एक दूसरे को काफिर बतलाते थे । बकुल - फज्ज और फाँजी भी आ गये थे । तथा दरबार में उनके पक्षापाती भी उत्पन्न हो गये थे । ये लोग एक दूसरे के कार्यों की पाँल ओलते थे, बेईमानियों के अनेक किस्से सुनाते थे, जैसे दीन - दुलियों और विद्वानों को दान में दी गयी रकम के विषय में मसदूम - उल - मुल्क की बेईमानी, अब्दुल्ला पर हत्या करने का आरोप आदि । प्रत्येक विद्वान की यही इच्छा थी कि जो कुछ मैं कहूँ उसी को सब ब्रह्म वाक्य माने । जो जरा भी चीं-चपड़ करता था उसके लिये काफिर होने का फतवा रखा हुआ था । कुरान की वायते और कहावते सब के तर्क का आधार थीं । पुराने विद्वानों के दिये हुए जो फतवे अपने मतलब के होते थे, उन्हें भी वे कुरान की वायतों के समान ही प्रमाणिक बतलाते थे ।^{१९} विद्वानों की यह दशा थी कि जबानों की तलवारे खींच कर फिल पड़ते थे, कट मरते थे और आपस में तर्क वितर्क तथा वाद - विवाद करके एक दूसरे को पूरी तरह से दबाने का ही प्रयत्न करते थे । शेर सदर और मसदूम - उल - मुल्क की तो यह दशा थी कि आपस में गुत्थम गुत्था तक कर बैठते थे ।^{२०} १६ बदायूनी

१८ - AL-badaoni Trans. by W.H.Lowe Vol. II P. 262.

१९ अकबरी दरबार हिन्दी अनुवाद रामचन्द्र वर्मा पहला भाग पृ० ७५-७६

भी लिखता है कि वाद विवाद के समय^{११} एक रात उस समय उल्मावों की गर्दनों की नसे फूल गयीं और एक मयानक शोर गुल और कोलाहल मच गया। सम्राट अकबर इनके अशिष्ट व्यवहार पर बड़ा ही क्रोधित हुआ।^{१२} इन नेताओं के ऐसे संकीर्ण, कट्टर पन, स्वार्थ और पतित चरित्र से अकबर को अत्यधिक द्रोम हुआ उसने समझ लिया कि सत्य की लौज उनके बस की बात नहीं। धर्म की ही नींव सोदने वाले ऐसे मुत्लावों से उसे स्वभावतः चिढ़ होने लगी और वह शिया - सुन्नी, हनफी - शफी के फगड़ों से मुक्त धर्म को स्थापित करने को जातुर हो उठा।

१२ विभिन्न धर्माचार्यों से अकबर का सम्पर्क और उनका प्रभाव -

हबादत खाने में इस्लाम धर्म के कट्टर नेताओं और उल्मावों के पतित चरित्र से कट्टर इस्लाम में अकबर का विश्वास झिल गया था। कयामत के इस्लामी सिद्धान्तों को उसने मानने से इन्कार कर दिया और इस्लाम की बात तो उसने एक ओर ही रख दी। उसे यह विश्वास ही नहीं होता था कि कोई स्वर्ग कैसे जाता है ? यहां से लम्बी बातचीत करके इतनी जल्दी वापिस आ जावे कि उसका विस्तर गरम का गरम मिले। अब उसने हबादत-खाने के द्वार दूसरे धर्म - सम्प्रदायों जैसे हिन्दू, जैन, पारसी, ईसाई, के लिये भी खोल दिये। यद्यपि हबादत खाने में धार्मिक विचार - विमर्श होते ही रहे किन्तु अकबर ने अन्य मतों और सम्प्रदायों के विद्वानों को बुला कर नीजि बैठकें आयोजित करनी आरम्भ कर दीं। इससे विद्वान लोग बड़ी ही गम्भीरता और शान्ति से धर्म चर्चा करते थे। उससे अकबर को बहुत आनन्द होता था। Abulfazal Says : "The Shahanshah's Court became the home of inquirers of the seven claims, and the

20 - AL-Badaoni Trans. by W.H. Lowe Vol. II P. 205.

assemblage of the wise of every religion and sect."21.

हिन्दू, जैन, ईसाई, सिख आदि धर्माचार्यों और सन्तों ने अकबर के सामने अपने अपने धर्म के श्रेष्ठ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। हिन्दू धर्म ने अकबर को अत्यधिक प्रभावीत किया। हिन्दू विद्वानों में पुरुषोत्तम और देवी प्रमुख थे। रात्रि के समय ये लोग बादशाह के शयन कक्ष के - फ़रोख़ों के समीप उपस्थित होते थे और यहाँ हिन्दू धर्म सिद्धान्तों की विशद व्याख्या करते थे। देवी ने कर्म तथा पुनर्जन्म का रहस्य बताया। इनके प्रभाव से अकबर आत्मा के आवागमन में विश्वास रखने लगा था। हिन्दुओं के देवी - देवताओं और अवतारों के प्रति वह विश्वास करने लगा था। बदायूनी लिखता है कि - "सात नदात्र सप्ताह के प्रत्येक दिन से सम्बन्धित होते हैं। इन नदात्रों में से प्रत्येक के रंग के अनुसार अकबर ने उस दिन के पहिने के लिये अपनी वेश - भूषा बनवाई थी"22

जैनाचार्य कीरविजय सूरि, विजय सेन सूरि, मानुचन्द्र उपाध्याय तथा जिन चन्द्र सूरि ने अकबर को जैन धर्म के सिद्धान्तों की ओर आकर्षित किया। इनके प्रभाव से अकबर ने पिंजड़े में बन्द पदार्थों को मुक्त कर - दिया। कुछ समय के लिये पशुओं का वध और आखेट बन्द कर दिया तथा मांस खाना भी त्याग दिया। Smith says : He cared little for flesh food, and gave up the use of it almost entirely in the later years of his life, when he came under Jain influence."23

अकबर ने जब अपने बर्ताव में इतना परिवर्तन कर दिया था तब इससे यह परिणाम निकालना क्या बुरा है कि उसके दया सम्बन्धि विचार बहुत ही उच्च कोटि पर पहुँच गये थे। अकबर का कहना था कि -

21- Akbarnama Trans. by H.Beveridge Vol. III P. 366.

22- AL-Badaoni Trans. by W.H.Lowe Vol. II P. 268.

23- Smith : Akbar the great Mogul. P. 335.

The world of existence is amenable only to kindness.
No living creature deserves rejection." 25.

पारसी धर्माचार्य मैहरजीराणा ने सूर्य और अग्नि की उपासना को श्रेष्ठ बतलाया । इससे प्रभावित होकर अकबर ने सूर्य व अग्नि की पूजा प्रारम्भ कर दी ।

हसाहर्गों के प्रभाव से अकबर ईसाई गिरजाघर में जाकर घुटने टेक कर व हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता था । पादरियों के द्वारा सम्पादित ईसाई धार्मिक विधियाँ और समारोहों में सम्मिलित होता था । ईसाई पादरियों के प्रति वह इतना अधिक उदार हो गया था कि वह उन्हें - धार्मिक सहायता भी देता था ।

हिन्दू गुरुओं के प्रभाव से अकबर ने सिखों के आदि ग्रन्थ की बहुत प्रशंसा की और पंजाब में कुण्डों का लगान माफ कर दिया ।

इस प्रकार इन विभिन्न धर्माचार्यों ने अकबर के धार्मिक विचारों को उदार बनाने में सहयोग दिया । विभिन्न धर्माचार्यों का अकबर पर जो प्रभाव पड़ा उसका विस्तृत वर्णन आगे के लिये छोड़ कर यहाँ उपरोक्त वर्णन के आधार पर इतना ही कहेंगे कि इन विभिन्न धर्मों के आचार्यों और विद्वानों के द्वारा अकबर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सभी धर्मों में अच्छी और सत्य बातें हैं । इससे अकबर की धार्मिक नीति में एक नवीन अध्याय प्रारम्भ हुआ । उसने तत्कालीन धर्मों के दोषों को दूर कर एक व्यापक समन्वयवादी धर्म स्थापित करने का निश्चय किया ।

धर्मिक नीति

का

विकास

(स्मृतबा पढने से पूर्व सन् १५७६ तक)

धार्मिक नीति का विकास (बुतबा पढ़ने से पूर्व सन् १५७६ तक)

अकबर के प्रारम्भिक धार्मिक विचार -

अकबर १५२६ में सिंहासन पर बैठा । १५२६ से १५६२ तक वह सच्चे मुसलमान शासक के समान था । मौलाना मुहम्मद हुसैन लिखते हैं कि -
 “ ठठारठ बीस वरस तक को उसकी यह वसा थी कि वह मुसलमानी धर्म की आज्ञाओं को उसी प्रकार बड़ा पूर्वक सुनता था जिस प्रकार कोई सीधा साधा धर्म निष्ठ मुसलमान सुना करता है और उन सब धार्मिक आज्ञाओं का वह सच्चे दिल से पालन करता था । ” १ सिंहासनारोहण के प्रारम्भिक काल में तो वह सब के साथ मिल कर नमाज पढ़ता था स्वयं अजान देता था, मसजिद में अपने हाथ से काटू लगाता था, बड़े - बड़े मुल्लाओं वीर मौलवियों का बहुत आदर करता था, उनके घर जाता था, उनमें से कुछ के सामने कभी - कभी उनकी झुतियां तक सीधी करके रख देता था । वह - साम्राज्य के मुकदमों का निर्णय शरब वीर मुल्लाओं के फतवे के अनुसार किया करता था, फकीरों वीर शेरों के साथ बहुत ही निष्ठा पूर्वक - व्यवहार किया करता था वीर उनकी कृपा तथा आशीर्वाद से लाभ उठाया करता था ।

मुहम्मद हुसैन लिखते हैं कि - “ अजमेर में, जहां स्वाजा मुहनुदीन चिश्ती की दरगाह है, अकबर प्रति वर्ष जाता था । यदि कोई युद्ध अथवा वीर कोई आकांक्षा होती या संयोग वल उस मार्ग से जाना होता, तो वर्ष के बीच में भी वहां जाता था । एक पड़ाव पहले से ही पैदल चलने लगता था । कुछ मन्त्रतै ऐसी भी हुई जिनमें फतहपुर या आगरे

१ - अकबरी - दरबार हिन्दी अनुवादक रामचन्द्र वर्मा - पहला भाग
 पृष्ठ ६७.

से ही अजमेर तक पैदल गया । वहाँ जाकर दरगाह में परिष्कृत करता था और हजारों लाखों रूपयों के चढ़ावे और भेंटें चढ़ाता था । पहराँ सच्चे दिल से ध्यान किया करता था और फ़िल की मुरादें माँगता था । - फकीरों बादि के पास बैठता था, निष्ठा पूर्वक उनके उपदेश सुनता था । ईश्वर के मजन और चर्चा में समय बिताता था । धर्म सम्बन्धि बातें सुनता था और धार्मिक विषयों की ज्ञानवीन करता था । विद्वानों, गरीबों फकीरों बादि को धन - सामग्री और जागीरें बादि दिया करता था । जिस समय कच्चाह लोग धार्मिक गजलें गाते थे, उस समय वहाँ रूपयों और बशफ़िरियों बादि की बर्गाँ होती थी । " या हादी " या मुहँ " का पाठ वही से सीखा था । हर रम हसका जप किया करता था और सब को बाज़ा थी कि इसी का जप करते रहें । " २ तत्कालीन इतिहास लेखक बदायूनी के अनुसार भी हमें पता चलता है कि अकबर दिन में न केवल पाँच बार नमाज़ ही पढ़ता था बल्कि वह राज्य, धन - दौलत और मान - प्रतिष्ठा प्रदान करने की मगवान की अपार अनुकम्पा के प्रति - कृतज्ञताप्रकट करने के निमित्त प्रतिदिन प्रातः काल ईश्वर का चिन्तन - करता था और " या - हू या - हादी " का ठीक मुसलमानी ढंग से उच्चारण करता था । " ३ वह मुसलमान धार्मिक पुरुषों का सत्संग लाभ करता था और प्रत्येक वर्ष अजमेर में ख़ाजा मुहन्दीन चिश्ती की दरगाह की भक्ति - भाव से यात्रा करता था । वह इस्लाम का पक्का अनुयायी था और इस्लाम की बुराई या निन्दा करने वालों को कठोर दण्ड भी देता था । मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा में विश्वास करता था और अपने परिवार के सदस्यों तथा सम्बन्धियों को राजकीय व्यय से हज़ के लिये भेजता था ।

२ अकबरी-दरबार हिन्दी अनुवादक -रामचन्द्र वर्मा पृष्ठ ५० ६८

३ - Al-Badaoni Trans. by W.H. Lowe Vol. II P. 203.

अकबर ने मसजिदों का निर्माण करवाया और हिन्दुओं से जजिया तथा यात्रा कर भी वसूल किये । यद्यपि इस अवधि में अकबर मध्य युग के सच्चे मुसलमान सम्राट का प्रतिरूप था, किन्तु वह कट्टर और धर्मान्ध नहीं था और न ही उसने हिन्दुओं पर धार्मिक उत्पाचार किये क्योंकि धार्मिक कट्टरता के लिये तो वह स्वभावतः प्रतिकूल था । १५६१ तक उसने कोई धार्मिक सुधार नहीं किये क्योंकि शासन प्रबन्ध पूर्ण रूप से बैराम खां के अधीन था । इस लिये वह धार्मिक कार्य करने और नीति अपनाने के लिये स्वतंत्र नहीं था । जैसे जैसे उसके साम्राज्य का विस्तार होता गया उसका धार्मिक विश्वास भी दिन पर दिन बढ़ता गया । शैख सलीम चिश्ती के कारण वह प्रायः फतहपुर में रहता था । मथुरा से अलग पास ही एक पुरानी सी कौठरी थी उसके पास पत्थर की एक सिल पड़ी थी, वहाँ तारों की हांव में अकेला जा बैठता था । प्रभात का समय ईश्वराराधन में लगाता था, बहुत ही नम्रता और दीनता से जप करता था तथा ईश्वर से दुबारा मागत था । लोगों के साथ व भी प्रायः धार्मिकता और वास्तविकता की ही बातें करता था । यहीं से उसकी धार्मिक नीति का विकास प्रारम्भ होता है ।

धार्मिक नीति के विकास का क्रमिक वर्णन -

अकबर सत्य धर्म को जानने का इच्छुक था और हिन्दू - मुसलिम भेद - भाव मिटाना चाहता था इसके लिये उसने जो उदार धार्मिक नीति अपनाई उसका क्रमिक विकास इस प्रकार से है -

शराजपुत राजकुमारों से विवाह :-

सन् १५६२ ईस्वी के जनवरी महिने में अकबर ख्वाजा मुहनुद्दीन - चिश्ती की यात्रा के लिये बजौर गया । रास्ते में दाँया गाँव में "बख्श" (जयपुर की पुरानी राजधानी) के राजा बिहारीमल ने अपनी बड़ी लड़की हरकु बाई को अकबर के साथ व्याह देना स्वीकार कर लिया ।

अकबर अजमेर से सीधा बागरा गया और यहाँ से वापिस आकर सांभर में उसने ६ फरवरी १५६२ को हरकू बाई से विवाह कर लिया। हिन्दू - लड़की के साथ यह उसका पहला ही व्याह हुआ था। इसके बाद अन्य राजपूत राजकुमारियों से भी उसके विवाह हुए। इन विवाहों से अकबर के शासन और धार्मिक नीति में परिवर्तन हुआ। धर्म - जाति और वंश के भेद - भाव को मिटा कर हिन्दू - मुसलिम कटुता को दूर करने की नीति यहीं से प्रारम्भ होती है। राजपूतों और मुगलों के पारस्परिक संघर्ष का तो अन्त होने ही लगा था पर अकबर भी हिन्दू रानियों के प्रभाव से हिन्दू धर्म की ओर आकृष्ट हुआ। उसने अपनी रानियों को धार्मिक संस्कारों, विधियों और पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता दे दी।

२ - बाध्यात्मिक चेतना का उदय -

सन् १५६२ ई० में ही यानि जब अकबर बीस वर्ष का हुआ तब प्रजा की असली हालत जानने के लिये उसने फकीरों और साधु - संतों का सहवास करना शुरू किया। यह ठीक भी है कि निष्पक्षता, त्यागी फकीरों और साधुओं के जरिये प्रजा की असली हालत अच्छी तरह से मालूम हो सकती है। साधुओं से मिल कर जैसे वह प्रजा की असली हालत जानने की कोशिश करता था वैसे ही वह आत्मा की उन्नति के - साधनों का भी अन्वेषण करता था। अकबर ने कहा है कि - "On the

Completion of my twentieth year, I experienced an internal bitterness & from the lack of spiritual provision for my last journey, my soul was seized with exceeding sorrow"
4

4- Ain-i-Akbari Trans. by H.S. Jarrett Vol. III P. 433.

One night my heart was weary of the burden of life, when suddenly between sleeping and waking a strange vision appeared to me, & my spirit was some what comforted." 5

इन विचारों से उसके हृदय में यह भाव अंकुरित हो गया कि जाति-धर्म रहन - सहन के भेद - भाव का विचार किये बिना सभी वर्गों के लोगों की निःस्वार्थ सेवा से बढ़कर ईश्वर को प्रसन्न करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है ।

3 - युद्ध बन्धियों को मुसलमान बनाने का निषेध :-

अकबर की इस नवीन भावना का प्रथम ठोस परिणाम यह हुआ है कि उसने अपने बीसवें जन्म दिन (10 अप्रैल 1562 ई०) को एक - नवीन आज्ञा प्रसारित की, जिसके अनुसार युद्ध बन्धियों को गुलाम बनाने तथा उन्हें बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार कराने की मनाही कर दी गयी । 6 इससे पहले विजित सेनाएँ लोगों के स्त्री - बच्चों को दास बना लिया - करती थी । बन्दी हिन्दू सैनिकों की पत्नियाँ, बच्चों और सम्भवबन्धियों का उपयोग करने के लिये इन्हें मुसलिम अधिकारियों को सौंप दिया जाता था । यह प्रथा इस्लाम धर्मानुमोदित मानी जाती थी । बादशाह ने ईश्वर - भक्ति से और दूरदर्शिता तथा एक सदा विचार से प्रेरित होकर आदेश दिया कि उसके साम्राज्य से विजयी सेना का कोई सैनिक ऐसा काम नहीं करेगा । सैनिक नरहे छोटा हो या बड़ा उसको किसी को कभी दास बनाने का अधिकार नहीं था । अबुल फजल लिखता है कि बादशाह ने समझा कि स्त्रियाँ और निरपराध बच्चों को दण्ड देना अन्याय है । यदि पुरुष घृष्टता का मार्ग ग्रहण करते हैं तो इसमें उनकी पत्नियाँ का क्या दोष है । यदि पिता बादशाह का विरोध करते हैं तो उनके बच्चों

5- Ain-i-Akbari Trans. by H.S. Jarrett. Vol. III P.435

6- Akbarnama Vol. II. P.P. 159-60.

ने क्या अपराध किया है। इसके अतिरिक्त सैनिक लोग लोभ वश गांवों को आक्रमण करके लूट लिया करते थे। जब इस विषय में आदेश दिया गया तो यह प्रथा बन्द हुई।^७ इस प्रकार युद्ध बन्धियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने घर और परिवार वालों के पास जाने की अनुमति दे दी गयी।
४ तीर्थ - यात्रा कर का निर्णय -

भारत वर्ष में शासक लोग उन हिन्दुओं से कर लिया करते थे, जो पवित्र स्थानों की यात्रा करने के लिये जाते थे। यह कर यात्रियों के धन और पद के अनुसार लिया जाता था और कमी कल्लाता था। अबुल फजल के अनुसार इससे करोड़ों रुपये की आमदनी होती थी। सन् १५६३ में अकबर चीतों के शिकार के लिये मथुरा गया। जब वह अपने कैम्प में था तो उसे बताया गया कि जो हिन्दू यात्री यहां जाते हैं उनसे यात्रा कर लिया जाता है और यह तीर्थ यात्रा कर अथवा कमी हिन्दुओं के सभी पवित्र स्थानों पर तीर्थ यात्रियों के लिया जाता है। यह अनुक्ति और अन्याय युक्त था। अकबर ने अनुभव किया कि हिन्दुओं की बाराधना - करने के ढंग पर उनसे धन मांगना या उनकी बाराधना में रुकावट डालना अनुचित है। बादशाह ने अपनी बुद्धिमत्ता और उदारता से प्रेरित होकर यह कर बन्द कर दिया। उसने समझा कि इस प्रकार धन संग्रह करना - पाप है। अकबर ने कहा^८ "जो लोग अपने सृजनकर्ता ईश्वर की पूजा के लिये तीर्थ स्थानों पर स्मृति होते हैं, उनसे कर वसूल करना ईश्वर की इच्छा के सर्वथा विरुद्ध है, चाहे उनकी पूजा की विधि पृथक् ही क्यों न हो। फलस्वरूप अकबर ने अपने सम्पूर्ण साम्राज्य में तीर्थ - यात्रा कर वसूल न करने के आदेश प्रसारित कर दिये।"^८ पिछले समय में लोभ या

७ अकबर नामा - हिन्दी अनुवादक - मथुरालाल शर्मा पृष्ठ २२१

८ - Akbarnama. Vol. II P. 190.

या कटहरता के कारण शासक लोग ईश्वर के भक्तों से ऐसा कर लेते थे । बहुत फजूल लिखता है कि^{११} बादशाह प्रायः कहा करता था कि चाहे कोई गलत धर्म के मार्ग पर चलता हो परन्तु यह कौन जानता है कि - उसका मार्ग गलत ही है । ऐसे व्यक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना उचित नहीं है ।^{१२} ६

तीर्थ - यात्रा कर की समाप्ति अकबर की धार्मिक उदारता और सहिष्णुता का ज्वलन्त उदाहरण है । करोड़ों रूपयों की बाय होने पर भी उसने केवल अपनी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे समाप्त कर दिया ।

५ जजिया कर का उन्मूलन -

जजिया की उत्पत्ति भारत में कब से हुई ? इसका यद्यपि निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है तथापि कुछ विद्वानों का कहना है कि आठवीं शताब्दी में मुसलमान बादशाह कासिम ने भारतीय प्रजा पर यह कर लगाया था । पहिले तो उसने आर्य प्रजा को इस्लाम ग्रहण करने के लिये विवश किया । आर्य प्रजा ने अटूट धन - दौलत देकर - अपने आर्य धर्म की रक्षा की । फिर हर साल क ही वह प्रजा से रूपयों वसूल करने लगा, प्रति वर्ष जो द्रव्य वसूल किया जाता था, उसका नाम जजिया था । कुछ काल पश्चात् यहाँ तक हुक्म जारी हो गये थे कि आर्य प्रजा के पास खाने पीने के बाद जो शेष धन माल बचे वह सभी जजिया के रूप से खजाने में दाखिल करवा दिया जाये । फारिश्ता के शब्दों में कहें तो^{१३} मृत्यु तुल्य दण्ड देना ही जजिया का उद्देश्य था । ऐसा दण्ड देकर भी आर्य प्रजा ने अपने धर्म की रक्षा की थी । स्मिथ ने इस कर के बारे में लिखा है कि -^{१४} "The Tax had been originally

६ अकबरनामा - हिन्दी अनुवादक मथुरालाल शर्मा पृष्ठ २४२

instituted by the Khalif Omar, who fixed it in three grades of 48, 24 and 12 dirhams respectively." 10

हसबी सन् की चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी में भी फिरौज शाह - तुगलक ने कानून बनाया था कि ग्रहस्थों के घरों में जितने बालिंग मनुष्य हों उनसे प्रति व्यक्ति धनियाँ से ४० सामान्य स्थिति वालों से २० और गरीबों से १० टांक जजिया प्रति वर्ष लिया जाय। बागे भी यानि जिस सोलहवीं शताब्दी की हम बात कहना चाहते हैं उसमें भी यह जजिया - मौजूद था। यह कर हिन्दू धर्म पर इस्लाम की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता था जो हिन्दुओं के लिये लज्जा जनक था।

सिंहासन पर बैठते ही पहले वर्ष अकबर के मन में जजिया माफ कर देने का विचार उठा था। पर उस समय उसकी युवावस्था थी। कुछ तो लापरवाही और कुछ अधिकार के अभाव से के कारण उस समय कर समाप्त न हो सका।

१५६२ में अकबर के हाथ में सर्व सत्ता आ गयी थी। अतः अकबर ने सर्वस्वीकृत इस्लामी रिवाजों की उपेक्षा करके मुसलमान मंत्रियों और पदाधिकारियों तथा कट्टर मुसलिम नेताओं व उल्माओं के कड़े विरोध के बावजूद १५ मार्च १५६४ को जजिया कर की समाप्ति के आदेश प्रसारित कर दिये और सम्पूर्ण साम्राज्य में जजिया कर बन्द कर दिया गया। ११ बड़े बड़े मुल्लाओं और मौलवियों को इससे बड़ी आपत्ति हुई लेकिन अकबर ने कहा कि "प्राचीन काल में इस सम्बन्ध में जो निश्चय हुआ था, उसका कारण यह था कि उन लोगों ने अपने विरोधियों की हत्या करना और उन्हें लूटना ही अधिक उपयुक्त समझा था। --- इसी लिये उन्होंने एक कर बाँध दिया और उसका नाम जजिया रख दिया। अब हमारे प्रजा - पालक और उदारता आदि के कारण दूसरे धर्मों के अनुयायी भी हमारे

10 - Smith : Akbar the great Mogul. P. 66.

11- Akbarnama. Vol. II P.P. 203-4.

सह धार्मिकों की ही भांति हमारे साथ मिल कर हमारे लिये जान देते हैं, वे सब प्रकार से हमारा पला चाहते हैं और सदा हमारे लिये जान देने को तैयार रहते हैं। ऐसी दशा में यह कैसे हो सकता है कि हम उन्हें अपना - विरोधी समझ कर अप्रतिष्ठित करें और उनका नाश करें। -- जजिया लेने का प्रमुख कारण था कि पहले के साम्राज्यों का प्रबन्ध करने वालों के पास धन और सांसारिक पदार्थों की कमी रहती थी और वे ऐसे उपायों से अपनी आय की वृद्धि करते थे। अब राजकोष में हजारों लाखों रुपये पड़े हैं, जल्द साम्राज्य का एक - एक सेवक वार्षिक दृष्टि से आवश्यकता से अधिक सुखी है। फिर विचार शील और न्यायी मनुष्य कोड़ी कोड़ी चुनने के लिये अपनी निम्न कर्मा बिगाड़े। एक कल्पित लाभ के लिये प्रत्यक्ष हानि करना ठीक नहीं वादि - वादि बातें कह कर जजिया रोक - गया।^{१२}

इसकी समाप्ति का समाचार जब घर घर पहुँचा तो सब लोग अकबर को धन्यवाद देने लगे। जरा सी बात ने लोगों के दिलों और जानों को मील ले लिया। यदि हजारों वादमियों का रक्त बहाया जाता और - लाखों वादमियों को गुलाम बनाया जाता तो भी यह बात नहीं हो सकती थी। बकुल फजल लिखता है कि^{१३} जजिया बंदरगाह का महसूल, यात्री कर, अनेक प्रकार के व्यवसायों पर कर, दरोगा की फीस, तहसीलदार की फीस, बाजार का महसूल, विदेश - यात्रा कर, मकान के क्रय विक्रय का कर, शौरा पर कर -- सारांश यह है कि ऐसे तमाम कर जिनको हिन्दु-स्तानी लोग सैर जिगत कहते हैं, बन्द कर दिये गये।^{१३}

१२ - अकबरी दरबार हिन्दी अनुवादक- रामचन्द्र वर्मा पहला भाग
पृष्ठ १४४-४५

१३ - Ain-i-Akbari Vol. II. P. 62.

६ - गैर मुसलमानों को धार्मिक स्थान निर्मित करवाने की स्वतंत्रता -

विभिन्न अनुचित करों की समाप्ति के पश्चात् उसने पवित्र धार्मिक स्थानों पर लगे सब प्रतिबन्धों को निरस्त कर दिया । फलतः हिन्दू - सामान्तों और राजपूत सरदारों ने अपने मंदिर, देवालय तथा ईश्वर के विभिन्न अवतारों के पवित्र देव स्थान बनवाने प्रारम्भ कर दिये । राजा मानसिंह ने अत्यन्त सुन्दर और भव्य मवन निर्मित करवाये - एक तो वृन्दावन में गोविन्द दास का लाल पत्थर का विशाल पांच मंजिला मंदिर - और दूसरा वाराणसी में । उसने सिक्खों के गुरु रामदास को एक भूमि खण्ड जीवन निर्वाह के लिये दिया । इसी भूमि खण्ड में गुरु रामदास ने जल का छोटा तालाब खुदवाया और तब से यह स्थान अमृतसर (अमृत का तालाब) कहा जाता है । अमृत सर में सिक्खों ने एक गुरुद्वारा भी बनवाया । मुनि हीरविजय के प्रभाव और मुनि मानुचन्द्र के प्रयत्नों से अकबर ने हीरविजय के नाम दो फरमान प्रथम १६ नवम्बर १५६० को और दूसरा १५६२ में प्रसारित किये । इनके द्वारा जैन समाज को शासन की ओर से कुछ विशेष सुविधाएँ दी गयी । सन् १५६० के फरमान में गुजरात के सूबेदार को यह आदेश दिया गया कि उस राज्य में किसी को भी जैन मंदिरों में हस्तक्षेप न करने दिया जाय, उनके जीर्णोद्धार में कोई बाधा न डाले तथा जैन उनमें निवास नहीं करे । सन् १५६२ के फरमान के अनुसार - मालवा गुजरात, लाहौर, मुलतान, बंगाल तथा कुछ अन्य प्रान्तों के - सूबेदारों को यह आदेश दिया गया कि सिद्धाचल, गिरनार, तारंगा, केशरियानाथ, आबू, गिरनार और राजगिरी के जैन तीर्थ स्थानों और मंदिरों की पहाड़ियों को तथा बिहार और बंगाल में जैनियों के तीर्थ स्थानों व इन पहाड़ियों की तलहटी के सभी निवास स्थानों को जैनियों को सौंप दिया जाय । * १४, जैनियों ने उज्जैन में एक जैन मंदिर निर्मित

१४ कमिश्नरियट : हिस्दी ऑफ गुजरात खण्ड २ पृ० २३३, ३५

किया। अकबर ने ईसाइयों को लम्पात, लाहौर, हुगली और आगरा में गिरजाघर निर्मित करने की अनुमति दे दी। इन स्थानों पर धीरे धीरे राजकीय व्यय से गिरजा घर बनवाये गये। सन् १५६६ में अकबर की अनुमति से आगरा में गिरजा घर बनवाया गया।

७ - गैर मुसलमानों की साम्राज्य के उच्च पदों पर नियुक्ति -

अकबर ने इस वाक्यार भूत सिद्धान्त को समझ लिया था कि सभी मर्तों और धर्मों का जनक ईश्वर है और इस लिये सारा मानव समाज ईश्वर के पुत्र के समान होने से जन्म से ही मनुष्य समान अधिकार रखते हैं। इन विचारों के कारण अकबर का शासन और राजत्व का सिद्धान्त - अत्यन्त उदार, सहिष्णु और व्यापक बन गया।

शासन सत्ता अपने हाथ में लेते ही अर्थात् १५६२ के प्रारम्भिक - महीनों में ही टोडरमल, मानसिंह, भगवन्त दास, बेनीचन्द्र, बीरक, जयमल कड़वाहा आदि को अकबर ने अपने राज्य की सेवा में उच्च पदों पर नियुक्त कर लिया था। राजस्व विभाग में उसने इन्ड्रेडवल् के टोडरमल के अतिरिक्त अनेक हिन्दू कर्मचारी और अधिकारों नियुक्ति किये। इससे दोनों के मैद - भाव की खाई पटने लगी। अकबर की यह नीति बहुत कुछ अबुल फज्ज के विचारों से भी प्रभावित हुई। अबुल फज्ज लिखता है कि - "राजपद ईश्वर का एक उपहार है, और यह तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि एक व्यक्ति में हजारों महान गुणों और विशेषताओं का समन्वय न हो जाये। इस महान पद के लिये जाति, धन - सम्पत्ति तथा लोगों की मीढ़ भाड़ ही काफी नहीं हैं। वह इस महान पद के लिये तब तक योग्य नहीं है, जब कि वह सर्वजनिक शांति और - सहिष्णुता पैदा न करे। यदि वह मानवता की सभी जातियों और धर्म सम्प्रदायों को एक आँख से नहीं देखता, और कुछ लोगों के साथ माता का सा और कुछ के साथ विमाता का सा व्यवहार करता है, तो वह इतने

महान पद के लिये योग्य नहीं हो सकता ।” १५ उसका स्वयम् का भी विश्वास था कि राजा को प्रत्येक धर्म और जाति के प्रति पूर्ण सहिष्णु होना चाहिये । इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर उसने शासन में उच्च पदों पर नियुक्ति करने में हिन्दू - मुसलमानों के विभेद को समाप्त कर दिया । यहां तक कि मनसबदारों में भी हिन्दू नियुक्त किये गये । एक सहस्र - सैनिकों के १३७ मनसबदारों ने १४ मनसबदार हिन्दू थे, २०० अश्वारो-हियों के ४१५ मनसबदारों में ५१ मनसबदार हिन्दू थे । साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों के १२ दीवानों में ८ दीवान हिन्दू थे । राजा मानसिंह स्वयम् सात हजार सैनिकों का मनसबदार था । बदायूनी लिखता है कि -

” हिन्दुओं के मुकदमों फँसले करने के लिये उसने (अकबर ने) हिन्दू न्याया-धीश की नियुक्ति की ।” १६, उसका विचार था कि राजा को न्याय प्रिय और निष्पदा होना चाहिये । इस लिये उसने बिना किसी भेद भाव के सभी वर्गों और सम्प्रदायों के व्यक्तियों के साथ समान न्याय और निष्पदा व्यवहार के सिद्धान्त को अपना लिया । हिन्दुओं पर कुरान के नियमों और इस्लाम के कानूनों के अनुसार शासन करने की नीति त्याग दी गयी ।

८ - हिन्दू मुसलमानों की संस्कृति व कला के आदान प्रदान के प्रयास -

अकबर ने मिले जुले विद्यालय और उच्च शिक्षा की ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जहाँ हिन्दू और मुसलिम दोनों वर्गों के विद्यार्थी शिक्षा पा सकते थे । उसने बालकों की शिक्षा के लिये मसजिदों के साथ मकतबों को (प्राथमिक शालाएँ) स्थापित किया । मकतबों के साथ - साथ हिन्दू पाठशालाओं और संस्कृत के विद्यालयों का निर्माण करवाया । इसी समय से हिन्दू फारसी का विशेष अध्ययन करने लगे । हिन्दुओं

15- Akbarnama Vol. II. P. 421

16 - Al-Badaoni Vol. II P. 376

के धार्मिक ग्रन्थों और प्रथम त्रेणी के संस्कृत ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद करने के लिये अनुवाद विभाग खोला गया। विद्या विजयजी लिखते हैं -
 “अकबर साहित्य का पूरा शौकीन था। साहित्य में धर्मशास्त्रों और ज्योतिष, वैद्यक आदि समस्त विद्याओं का समावेश हो जाता है। अकबर सब में रुचि रखता था, इसी लिये अर्थवेदक, महाभारत, रामायण, हरिवंश पुराण तथा भास्कराचार्य की लीलावती और इसी तरह के दूसरे खगोल तथा गणित विद्या के ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद करवाया था। संगीत विद्या के सुनिपुण विद्वानों का भी उसने अपने दरबार में अच्छा सम्कार किया था। --- उसके दरबार में ५६ कवि थे। फर्जी उन सब में श्रेष्ठ समझा जाता था। १४२ पंडित और चिकित्सक थे। उनमें ३५ हिन्दू थे। संगीत विशारद सुप्रसिद्ध गायक तानसेन और बाबा रामदास भी - अकबर की ही सभा के चमकते हुए हीरे थे।” १७

उसके समय में मुसलमान कवियों ने हिन्दी साहित्य में कवितारें की। कुछ मुसलमानी कवियों ने तो हिन्दू संस्कृति का ऐसा सफल वर्णन किया है कि अगर उनके नाम उनके ग्रन्थों से हटा लिये जाये तथा उन ग्रन्थों को अन्य हिन्दू लेखकों की कृतियों में मिला दिया जाये तो पहचानना सम्भव हो जायेगा। इस द्वात्र में अब्दुल रहीम खान खाना तथा रसखान का नाम सर्वोच्च है।

अकबर ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में हिन्दू और मुसलमान दोनों कला - शैलियों का सुन्दर समन्वय किया। स्थापत्य कला में अकबर की यह नीति उसके द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी के भवनों दीवान - ए - खास, परियम का महल, तुर्की सुलतान का महल, जोधा बाई का महल, पंच महल, आगरे के किले में जहांगीरी महल, लाहौर और इलाहाबाद के किले आदि भवनों में अभिव्यक्त हुई है। चित्रकला तथा संगीत कला के क्षेत्र में भी अकबर ने हिन्दू मुसलिम समन्वय करवाया। उसके दरबार में हिन्दू मुसलिम दोनों ही संगीतज्ञ थे।

१७ - सूरिश्वर और सग्राट अकबर हिन्दी अनुवाद कृष्णलाल वर्मा पृ० २४३-४४

इस तरह अकबर ने शासन के प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दू मुसलिम सामन्वयस्थ स्थापित करने का प्रयास किया ।

६. इस्लाम के सिद्धान्तों का प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास -

एक ओर तो अकबर ने हिन्दुओं पर जो जो अन्याय प्रतिबन्ध - हटाये और हिन्दू मुसलिम एकता स्थापित करने का यथा शक्ति प्रयास - किया किन्तु साथ ही साथ दूसरी ओर वह सत्य धर्म की खोज में लगा ही रहा । वह इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों का प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता था । इसके लिये उसने शैख अब्दुल्लाजी और मलदूम - उल - मुहम्मद अब्दुल्ला मुलतानपुरी जैसे विद्वान मुल्लाओं की शर्गिर्दी की । सन् १५७४ तक वह इनके प्रभाव में रहा । इस वर्ष तक वह इस्लाम के नियमों का पालन दृढ़ता से करता रहा । बदायूनी का भी मत है कि सन् १५७५ तक सम्राट अकबर नियमित रूप से नमाज पढ़ता रहा और खलीफ चिश्ती जैसे प्रसिद्ध मुसलिम पीरों के मकबरों के दर्शन करने भी कई बार गया । वह अपने युग के प्रसिद्ध मौलवियों का भी उचित सम्मान करता रहा । अकबर ने शैख अहमद के पुत्र शैख अब्दुल्लाजी को मुख्य सद्द (धर्म व दान मंत्री) नियुक्त किया और वह सन् १५७८ तक इसी पद पर रहा । सद्द को धर्माचार दान तथा न्याय विभागों का अध्यक्ष रखा गया । अकबर अब्दुल्लाजी के घर - हकीस (मुहम्मद साहब के कथन) पर बातें सुनने जाया करता था । कई बार तो सम्मान और बढ़ा प्रकट करने के उद्देश्य से अकबर ने अब्दुल्लाजी के झूठे भी स्वयं उठा कर उसके सामने रखे थे । " १८ - पर रुढ़िवादी सुन्नी धर्म उसे पूर्ण सन्तोष नहीं दे सका था अतः वह शिया धर्म की ओर उन्मुख हुआ । उसने शिया धर्म के प्रमुख मुल्ला याज्दी को अपना मित्र बनाया । याज्दी ने उसे शिया धर्म के सिद्धान्त समझाये

(१८) Al-Badaoni - Vol. II Trans. by W.H.Lowe P. 207.

और उसे शिया बनाने का मरसक प्रयत्न किया, पर वह भी उसके उदार हृदय को वाकूर्णित नहीं कर सका। इसके बाद वह सूफी मत की ओर झुका। सूफी विद्वान शैख मुबारक तथा उनके दोनों पुत्र फैजी व अबुल फजल तथा अन्य सूफी विद्वान मिर्जा सुलेमान ने उसे सूफी मत से अवगत करा कर सूफी सम्प्रदाय की ओर वाकूर्णित किया।

१०. इबादत खाने की स्थापना और इस्लाम धर्म पर वाद विवाद -

उन समस्त सम्प्रदायों का गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिये अकबर ने फरवरी मार्च १५७५ में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना अथवा प्रार्थना गृह बनवाया। अकबर अपने मुसलमान दरबारियों तथा उल्माओं के साथ यहाँ आकर सभा करता था। इस प्रकार सत्य का विकास होने लगा। धार्मिक सभाएँ रात - रात भर और कभी - कभी दूसरे दिन प्रातः काल और दोपहर तक चलती थी जिससे पता चलता था कि किसमें तर्क है ? कल्पना है ? और बुद्धि है ? इन सभाओं में दर्शन, धर्म, कानून और सांसारिक सभी प्रकार के विषयों और समस्याओं पर चर्चा होती थी।

मलदूम - उल - मुल्क की उपाधि से विभूषित शैख अब्दुल्ला सुलतानपुरी, काजी याकूब, मुल्ला बदायूनी, हाजी इब्राहीम, शैख मुबारक अबुल - फजल आदि प्रमुख विद्वान इनमें भाग लेते थे। इन विचार - गोष्ठियों में विशेष गुण, बुद्धि व प्रतिभा प्रदर्शित करने वालों को अकबर सोने चांदी के सिक्के देकर पुरस्कृत करता था। १६ किन्तु धीरे धीरे इन धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं के समय, शैखों, संयदों और उल्माओं की असहनशीलता, अनुशासनहीनता, सामान्य बुद्धि का अभाव अंधार, साम्प्रदायिकता, धर्मान्धता, अमद्व्यता, तथा अहंकार का जुला प्रदर्शन होने लगा। इस्लाम के नियमों के तर्क सम्मत और वास्तविक व्यर्थ दे सकने का उनमें जो अभाव था, वह प्रदर्शित हो गया। मलदूम - उल - मुल्क और

अव्युन्नवी इस्लामी धर्म शास्त्र सम्बन्धित सैदान्तिक प्रश्नों पर परस्पर लड़ते हैं ।

मुल्ला अव्युल कादिर बदायूनी ने वे सब पुस्तकें पढ़ी थी जिन्हें पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं । जो कुछ गुरुर्वा ने बतला दिया था, वह सब उन्हें अक्षरशः याद था पर फिर भी धार्मिक वाचार्थ होना और बात है । वाचार्थ का काम यह है कि जहाँ कोई वायत या मंत्र न हो, या कहीं किसी प्रकार का संदेह हो या किसी अर्थ के सम्बन्ध में मतभेद हो वहाँ वह बुद्धि से काम लेकर निर्णय करें लेकिन मुल्ला बदायूनी में ये सब बातें नहीं थी । इसी तरह शैख अबुल फजल की फाँली में तर्कों की क्या कमी थी । और उनकी ईश्वर वस्तु प्रतिभा के सामने किसी की क्या सामर्थ्य । जिस तर्क को चाहा जुटकी में उड़ा दिया । विद्वानों में विरोध का मार्ग तो खुल ही गया था । थोड़े ही दिनों में यह नौबत हो गई कि धार्मिक सिद्धान्त तो दूर रहें जिन सिद्धान्तों का सम्बन्ध केवल विश्वास से था, उन पर भी वादोप होने लगे और हर बात में तुराँ यह है कि - साथ में कोई तर्क और प्रमाण भी हो । यदि तुम अमुक बात को मानते हो तो इसका कारण क्या है ? इस तरह अविश्वास बढ़ते बढ़ते हवादत खाने में तीन विरोधी दल हो गये । एक मलदूम उल - मुल्क की उपाधि से विभूषित शैख अबुल्ला सुलतानपुरी के निर्देशन में और दूसरा अव्युन्नवी के नेतृत्व में । ये कट्टर सुन्नी मुसलमानों के दल थे उल्मावों के ये दोनों नेता आपस में एक दूसरे को बुरा मला कह कर फगड़ते थे । मलदूम - उल - मुल्क ने अव्युन्नवी पर खिन्न ताँ सरबानी और भीर हक्क को उनके धार्मिक विश्वासों के लिये अन्याय से भरवा डालने का आरोप लगाया । तीसरा दल इब्राहीम शैख मुबारक और उसके पुत्र फौजी व अबुल फजल तथा नवीन लोगों का था । ये तीनों भी परस्पर कुफ़र और बेइज्जती की बातें करते थे । धर्मनिरपेक्ष सुन्नियों ने शैख मुबारक पर धर्म भ्रष्ट होने और नवीन - धार्मिक पद्धति चलाने का दोषारोपण कर उसे मृत्यु दण्ड दे दिया पर

वह बच कर भाग गया । इस पर अकबर ने इन पुन्नियों के गुट की प्रांतिया, उनकी कथन - करनी में भेद बादि को उदाहरणों से स्पष्ट किया और अकबर की पोल खोलना शुरू किया । उसने बताया कि अकबर ने हाजियों को दिया जाने वाला धन स्वयं ले लिया और यह फतवा दिया कि हज करने से पुण्य के स्थान पर पाप होगा, क्योंकि मक्का जाने के दोनों मार्ग संकट ग्रस्त हैं । इन समाजों में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिये क्लृप्ता प्रश्न किये जाते थे । मीलाना मुहम्मद हुसैन लिखते हैं कि " हाजी इब्नालीम सरहिन्दी बड़े फगडालू और चक्मा देने वाले व्यक्ति थे उन्होंने एक दिन सभा में मिरजा मुफिलिस से पूछा कि " मूसा " शब्द सीगा २० (क्रिया का वक्त, पुरुष बादि) क्या है और उसकी व्युत्पत्ति क्या है ? मिरजा यद्यपि विद्या और बुद्धि की सम्पत्ति से बहुत सम्पन्न थे, पर इस प्रश्न के उत्तर में मुफिलिस ही निकले बस फिर क्या था । सारे शहर में घूम मच गई कि हाजी ने मिरजा से ऐसा प्रश्न किया जिसका वे कोई उत्तर ही न दे सके और हाजी ही - बहुत बड़े विद्वान हैं । उसी अवसर पर एक दिन अकबर ने काजी जादा लश्कर से कहा कि तुम रात को सभा में नहीं आते । उसने निवेदन किया कि हुजूर आज तो सही पर यदि वहाँ हाजी जी मुझ से पूछ बैठे कि - " ईसा " का सीगा क्या है तो मैं क्या जबाब दूंगा ? यह दिल्लगी बाद-शाह को बहुत पसन्द आई थी । २१ तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के विरोध फगड़े और वात्साभिमान बादि की कृपा से बहुत से तमाशे देखने में आये । इसी प्रकार की एक अन्य घटना बदायूनी लिखता है कि -

(२०) इसमें असम्बद्धता यह है कि सीगा केवल क्रिया में होता है संज्ञा में नहीं होता, और " मूसा " संज्ञा है ।

(२१) अकबरी - दरबार - हिन्दी अनुवादक रामचन्द्र वर्मा पहला भाग

पृष्ठ ५० ७२-७३

“ यह सुनने पर कि हाजी इब्राहीम ने पीली और लाल रंग की पोशाक पहनने को न्याय संगत घोषित करते हुए फतवा दिया है, मीर बाविल सैयद मुहम्मद की उपस्थिति में उसे घूर्त और मक्कार कहा और उसे मारने के लिये अपना डन्डामी उठा लिया । २२ इस प्रकार के फगड़ों से कट्टर इस्लाम में अकबर का विश्वास टल गया ।

इस्लाम धर्म के प्रति अकबर का दृष्टिकोण -

हबादतखाने में इस्लामी व सूफी विद्वानों के इस प्रकार के उत्तर दायित्व शून्य व्यवहार, इस्लाम की तात्त्विक दृष्टि से विवेचना करने की असमर्थता तथा इन लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थों को देख कर अकबर खिफा उठा । उसने मुल्ला बदायूनी को गाली देने वाले या हाथापाई करने वाले व्यक्तियों की रिपोर्ट करने का मार दिया और घोषणा की कि भविष्य में जिन लोगों में ऐसे दोष होंगे और जो उद्वेगता - करेंगे, उनको हबादत खाने से निकाल दिया जायेगा । हबादतखाने में ऐसे अशिष्ट, संकीर्ण, धर्मान्ध, उद्वेग और उत्तर दायित्वहीन व्यवहार तथा अनवरत फगड़ों से अकबर बहुत ही खिन्न हो गया था । १५७८-७९ के बाद अकबर के मन में इन विद्वान व उल्माओं के चरित्र और धर्म के प्रति किंचित भी श्रद्धा नहीं रही थी । उसने अनुभव कर लिया था कि इन उल्माओं में जिन पर कि बुद्धि का सिर्फ कलेवर ही है, सत्य को खोजने और जानने की पिपासा नहीं है । उसने इस्लाम के विद्वानों में ही भेदभाव, संकीर्णता और कटुता पाई । अतः धीरे - धीरे इस्लाम पर से उसका विश्वास उठने लगा । विद्या विजयजी लिखते हैं कि --- जब मुसलमानी धर्म पर से उसकी श्रद्धा हट गई और जब उस पर वह नाराज हुआ था तब साफ - साफ लफ्जों में वह कहने लगा था कि - “ जिस मुहम्मद ने दस बरस की झोकरी आयेशा के साथ व्याह किया था

और जिसने खास अपने दत्तक पुत्र की स्त्री ज़ेनाब के साथ - जिसको उसके पति ने तलाक दे दी थी - ब्याह कर लिया था। वही - ऐसा बनावार करने वाला मुहम्मद जैसे फौजदार - परमेश्वर का दूत हो सकता है। २३

अब अकबर की धार्मिक नीति के विकास का नया दौर प्रारम्भ हुआ। अभी तक तो हबादत खाना केवल मुसलमान विद्वानों और उल्माओं के लिये ही खुला हुआ था। वे ही वहाँ वाद विवाद करते थे किन्तु हबादत खाने में हुए इस वाद विवाद का परिणाम यह निकला कि जब उल्मा, शैख, सैयद और अन्य विद्वान इस्लाम के सिद्धान्तों को स्पष्ट करने में असमर्थ रहे तब अकबर ने १५७८ से हबादतखाने में हिन्दुओं, पारसियों, जैनियों, ईसाइयों के धार्मिक वाचायों और विद्वानों को धार्मिक गोष्ठियों, वाद विवाद और विचार विमर्श के लिये आमंत्रित करने का संकल्प किया।

-0-

-0-

-0-

-0-

(२३) सूरिश्वर और सम्राट अकबर - हिन्दी अनुवादक कृष्ण ठाठ
वर्मा - पृष्ठ - ७७

विभिन्न धर्माचार्यो

से

सम्पर्क,

खुतबा व महजर

अकबर का विभिन्न धर्माचार्यों से सम्पर्क, बुतबा व महजर -

शिया और सुन्नियों के पारस्परिक गर्भाग्रम वाद - विवाद, हीन आरोप - प्रत्यारोप तथा द्वेष पूर्ण संघर्ष के कारण मुसलमानी धर्म पर से अकबर की रुचि हट गई। पर फिर भी वह यही चाहता था कि किसी प्रकार उसे धार्मिक तत्व की बातें मालूम हों। फलतः उसने ३ अक्टूबर १५७८ को हिन्दू, जैन, ईसाई, यहूदी, सूफी, पारसी विद्वानों एवं सन्तों के लिये इबादतखाने का द्वार खोल दिया। इस समय धार्मिक वाद - विवाद व गोष्ठियों में भाग लेने वाले विद्वानों में अबुल फजल के अनुसार सूफी दार्शनिक बकता, विधि ज्ञाता, सुन्नी, शिया, ब्राह्मण, जति, सिखड़ा, चारवाक, ईसाई, यहूदी, सानी (ईसाईयों का एक सम्प्रदाय) पारसी और अन्य लोग सम्मिलित हुए। (१) अब हम यह देखेंगे कि अकबर की धार्मिक नीति के विकास में इन विभिन्न धर्मों ने क्या सहयोग दिया :-

अकबर और हिन्दू धर्म -

अकबर की प्रकृति हिन्दुओं के उदार आदर्श वाद से बच नहीं सकती थी। राजपूतों के प्रति जो हिन्दुओं का एक लड़ाकू वर्ग था, उसकी नीति के विषय में इससे पूर्व ही लिखा जा चुका है। हिन्दी के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त और सन्त सुरदास से अकबर ने बहुत लम्बे समय तक धार्मिक, चर्चों की और उनके संगीत से प्रभावित हुआ। अकबर को सब बातें - जानने का शौक था। इस लिये उसने इनकी और प्रवृत्त होने का और अधिक प्रयास किया। मोहम्मद हुसैन लिखते हैं कि - सत्य का अन्वेषक

(१) अकबर नामा - हिन्दी अनुवादक मथुरालाल शर्मा पृष्ठ ४७२.

बादशाह गौतम नामक एक ब्राह्मण पंडित को, जिससे आरम्भ में सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद कराया गया था, प्रायः बुलवा कर बहुत सी बातें पूछा और जाना करता था। महल के ऊपरी भाग में एक कमरा था, जो स्वावगाह (शयनागार) कहलाता था। अकबर उसकी खिड़की में बैठता था और स्कान्त के समय देवी नामक ब्राह्मण को जो महाभारत का अनुवाद कराया करता था, एक चारपाई पर बैठा कर रस्सियों से ऊपर लिंचवा लिया करता था। इस प्रकार वह ब्राह्मण अर्ध में लटकता रहता था, न जमीन पर रहता था। और न आसमान पर। अकबर उससे अग्नि, सूर्य, गृह, प्रत्येक देवी और देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कृष्ण व राम आदि की पूजाओं के प्रकार और मंत्र आदि सीखा करता था और हिन्दुओं की धार्मिक सिद्धान्त तथा पौराणिक कथाएँ आदि बहुत सी - ध्यान और शोक से सुना करता था और वाहता था कि हिन्दुओं के सभी धार्मिक ग्रन्थों के अनुवाद हो जाये।” २

बीरबल ने अकबर को सूर्य और नक्षत्रों की पूजा करने का परामर्श दिया और कहा कि मनुष्य के काम में आने वाले फल - फूल, घास पात आदि सब पदार्थ सूर्य ही के प्रताप से उत्पन्न होते हैं। अंधकार को दूर कर जगत में प्रकाश फैलाने वाला भी सूर्य ही है। अतः सूर्य की उपासना करनी चाहिए। उसे यह परामर्श दिया गया कि वह अपने सिंहासनारोहण का दिवस इसी नौरोज के दिन मनाये। १५७७ में वह वृन्दावन में विदल्लेश्वर से मेट करने गया। वहाँ पर उनकी पवित्रता, अलौकिक - व्यक्तित्व, अनुपम भक्ति और ज्ञान से अत्याधिक प्रभावित हुआ।

हिन्दू धर्माचार्यों का अकबर पर प्रभाव :-

हिन्दू धर्माचार्यों के प्रवचनों से अकबर को हिन्दुओं के देवी देवताओं और अवतारों के प्रति श्रद्धा हो गयी थी और हिन्दुओं के प्रमुख त्योहारों

२ अकबरी दरबार - पहला भाग हिन्दी अनुवादक रामचन्द्र वर्मा पृ० १३४-३५

रक्षा बन्धन, दशहरा, दीवाली व बसन्त ऋादि को वह बड़े उत्साह से मनाने लगा था । कभी - कभी वह अपने मस्तक पर हिन्दुओं की मांति तिलक भी लगाया करता था । हिन्दू राजाओं के विधान के अनुसार - उसने भी प्रति दिन प्रातः काल अपनी प्रजा को करों की द्वाारा धन देना आरम्भ कर दिया था । अपनी माता हमीदा बानू बेगम की मृत्यु पर हिन्दुओं की मांति ही छिर मुडवा कर शोक मनाया ।

बदायूनी लिखता है कि अकबर ने अपने पुत्र सलीम का विवाह हिन्दू प्रथा के अनुसार ही किया । विवाह के अवसर पर वह स्वयम् दुल्हे सलीम की बारात लेकर, जिसमें अमीर व दरबारी शामिल थे, दुल्हन के पिता राजा मगवन्त दास के निवास स्थान पर गया । वहाँ सभी अमीरों व सरदारों के सामने हिन्दू प्रथा के अनुसार अग्नि प्रज्वलित करके उसके चतुर्विध फेंके लगा कर प्राणि ग्रहण की रस्म पूरी की गयी थी और दुल्हन के विदा होने के समय उसके निवास स्थान से लेकर राजमहल तक उसकी पालकी चारों ओर पूरे मार्ग में सोने की मुहरें अक्षफियां हर्ष और उल्लास में बिलेरी गयी थी । (३) फतेहपुर सीकरी में दीवान - ए - तास में विष्णु स्तम्भ पर अकबर अपना सिंहासन रख कर बैठता था । यह उस वैष्णव परम्परा का प्रभाव है, जिसके अन्तर्गत राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है ।

अकबर ने स्वयम् ब्राह्मणों से पूजा - पाठ की विधियों और मंत्र - सीखे । वह रात्रि के समय सूर्य के एक सहस्र नाम माला पर जपा करता था । बीरबल के अनुरोध पर बादशाह सूर्य की पूजा करने लगा था । - बदायूनी लिखता है कि - " A second order was given that the Sun should be worshipped four times a day, in the

morning & evening, at noon and midnight. His majesty had also one thousand & one Sanskrit names for the sun collected, & read them daily devoutly turning towards the Sun.⁴

मुगल हरम में हिन्दू रानियाँ और परिवारिकाएँ के रहने से -

अकबर ने मुगल राज मस्लानों में अनेक हिन्दू प्रचारें अपना ली थी। धार्मिक कार्यों को सम्पन्न करने के लिये ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता था। मुहम्मद हुसैन लिखते हैं कि नौरोज (नव वर्षारम्भ) के समय बानन्दोत्सव करना तो ईरान और तुरान की प्राचीन प्रथा है ही, पर उसने उसे स्त्री भी हिन्दुओं की प्रथा का रंग देकर हिन्दू बना डाला। सौर और चान्द्र दोनों गणनाओं के अनुसार जब जब उसकी बरस गाँठ फड़ती थी, तब तब उत्सव होता था। उस समय जुलादान भी होता था। --- पान के बीड़ों ने सब के मुँह लाल कर दिये। गोमांस, लहसुन, प्याज आदि अनेक प्रदार्थ हराम हो गये और बहुत से दूसरे पदार्थ हलाल हो गये। ५

हिन्दुओं के जीव हिंसा न करने के सिद्धान्त को अकबर ने अपना कर उसे कार्यान्वित किया। २६ मई १५६३ को उसने एक फरमान द्वारा - मथुरा, साहर, मंगोटा आदि हिन्दुओं के पवित्र तीर्थ स्थानों में मोर - मारने और सभी प्रकार के बाल्ट करने की मनाही कर दी। गोमांस का निषेध कर दिया गया और कहा गया कि जो कोई उसे पारेगा वह मारा जायेगा क्योंकि हिन्दू पंडितों ने यह कहा था कि गाव के मांस से अनेक प्रकार के रोग होते हैं, वह रक्दी और गरिष्ठ होता है इत्यादि-इत्यादि।

अकबर और पारसी धर्म :

जरदोस्त द्वारा प्रचलित धर्म पारसी लोगों ने अपनाया, जो कि जोरास्त्रियन धर्म कहलाता है। उन दिनों नक्सारी भारत में पारसी धर्म का प्रमुख केन्द्र स्थल था। नक्सारी और सूरत में रहने वाले सभी पारसी

४ - Al-Badaoni- Trans. by W.H. Lowe Vol. II. P.332.

५ - अकबरी दरबार - पहला भाग हिन्दी अनुवादक रामचन्द्र वर्मा पृ० १२१-२२

पुरोहितों में मेहरजी राणा का प्रमुख स्थान था। मेहर जी ने हबादत-ताने में होने वाली गोष्ठियाँ, प्रवचनाँ और वाद - विवाद में भाग लिया। व्यक्तिगत मेटों के समय अकबर ने मेहर जी से पारसी धर्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मेहर जी ने अकबर को पारसी धर्म के गुप्त वाचरणों से परिचित कराया तथा उसके विशेष शब्दों, रीति, रिवाजों उत्सवों और सिद्धान्तों से अवगत कराया। उसने अकबर को पारसी धर्म के प्रवर्तक, जोरास्टर के क़िदाया बमत्कारों के विषय में, सूर्य, चन्द्र, अग्नि के प्रति श्रद्धा व भवित एक ईश्वर की पूजा, पवित्र, सत्य, सुदृढ़, का पहनना कुश्ती, नौराज - ए - बास तथा नौराज - ए - आम के विषय में समझाया। अकबर मेहर जी राणा के पारसी धर्म के सिद्धान्तों के प्रति पावन, उसके विचारों और जीवन की पवित्रता से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने मेहर जी को नवसारी के समीप परचोल में रसी गांव में २०० बीघा जमीन माफ़ी में जीवन निर्वाह के लिये दे दी। सन् १५६१ में दस्तूरजी राणा के निधन के बाद उनका पुत्र कैकुबाद १५६५ में अकबर के दरबार में गया। वहाँ उसने सम्राट से भेंट की अकबर ने इससे प्रसन्न होकर १५६६ में उसे साँ बीघा भूमि और पुरुस्कार में दी कैकुबाद को यह भूमि सूरत जिले में तलरली परगने के तवरी गांव में प्राप्त हुई।

पारसी धर्म का अकबर पर प्रभाव :

दस्तूर मेहर जी राणा के सत्संग और उनके प्रवचनाँ, विचारों तथा पारसी धर्म के सिद्धान्तों से अकबर इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने पारसी धर्म के कुछ सिद्धान्तों, रीति - रिवाजों व परम्पराओं को अपना लिया था। पारसी विधान के अनुसार राजमण्ड में पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गयी। बदायूनी लिखता है कि - "मण्ड के पास ही एक अग्नि मंदिर बनवाया गया था। शूल फजल की देस रेत में

उसमें बराबर अग्नि जलती रहती थी। उसे आज्ञा दी गई थी कि उसमें की अग्नि कभी बुझने न पावे, क्योंकि यह ईश्वर की सब से बड़ी देन और उसके प्रकाश में से एक मुख्य प्रकाश है। ६ पारसियों के समान - अकबर अग्नि में चन्दन डाल कर उसके सामने प्रार्थना भी करता था। और उसके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता था। मुहम्मद हुसैन लिखते हैं कि सन् २२ - जून्सी में अकबर ने निस्संकोच भाव से अग्नि को प्रणाम किया। ७ - अग्नि पंथ या पारसी धर्म में अकबर की निष्ठा एक घटना से स्पष्ट हो जाती है। यह घटना सन् १६०३ में घटित हुई। अकबर मध्याह्न के बाद अपने शयन कक्ष में विराम करने का बन्धुस्त था। एक सन्ध्या को वह अपने शयन कक्ष में विराम करने का समय से आज्ञा से पूर्व ही बाहर निकल आया। पहले उसे वहाँ कोई नौकर दिलाई नहीं दिया। पर जब वह सिंहासन और कोच के समीप आया तब उसने शासकीय मशालों को कुंछी मारे शाही कुर्सी के समीप मौत की सी नींद सोये हुए देखा। इस दृश्य से क्रोधित होकर अकबर ने उसे मीनार से नीचे फेंक देने की आज्ञा दी। इससे उसके कई टुकड़े होकर उसका प्राणांत हो गया। ८ सन् १५८० से उसने सूर्य के सामने साष्टांग दण्डवत करना प्रारम्भ कर दिया था। पारसी धर्म की एक अन्य प्रथा के अनुसार जब शाम को दीपक जलाये जाते थे तो अकबर स्वयम् और उसके दरबारी प्रकाश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये - लड़े हो जाते थे क्योंकि अकबर का कहना था कि -

" To light a Candle is to Commemorate the (rising of the) Sun. To whomsoever the Sun sets, what other remedy hath he but this. 9 - - - - -

६ Al-Badaoni Trans. by W.H. Lowe Vol. II. PP 268-69

७ अकबरी दरबार पहला भाग हिन्दी अनुवादक रामचन्द्र वर्मा पृ० १२६

८ Smith : Akbar the great mogul. P. 164.

९ Ain-i-Akbari Trans. by H.S. Jorrett. Vol. III 443.

अकबर ने पारसियों की पवित्र बुद्धेह या सदरी और कुश्ती भी धारण कर ली थी। सदरी और कुश्ती पहन कर वह अपने दरबारियों में राजसिंहासन पर बैठता था। पादरियों के त्यौहारों और पवित्र - दिनों को भी अकबर ने मनाना प्रारम्भ कर दिया था। १५८२ से उसने पारसियों के नव - वर्ष व चौदह त्यौहारों को अपनाना प्रारम्भ कर दिया था। इन चौदह त्यौहारों का विवरण हमें जाइन - ए - अकबरी में मिलता है। पारसियों के ये चौदह त्यौहार इस प्रकार से हैं :

1. 19th of Farvardin, 2. 3rd of Ardibehesht 3. 6th of Khurdan 4. 13th of Tir. 5. 7th of Amardad 6. 4th of Shehrivar 7. 6th of Meher 8. 10th of Avan. 9. 9th of Adar. 10. 8th of Deh 11. 15th of Deh. 12. 23rd of Deh. 13. 2nd of Behman. 14. 5th of Aspanndarmad. 10"

लेकिन इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि अकबर पूर्ण रूपेण उनके धर्म में दीक्षित हो गया था। वह तो प्रत्येक धर्म की सत्यता जानना चाहता था। इस लिये उसने पारसी धर्माचार्यों से उनके धर्म के सिद्धान्तों और परम्पराओं का ज्ञान प्राप्त किया।

अकबर और जैन धर्म :

अबुल फजल ने जाइन - ए - अकबरी में दरबार में रहने वाले विद्वानों का वर्गीकरण किया है। प्रथम वर्ग में वे लोग थे जो कि दोनों लोकों का रहस्य जानते थे। दूसरे वर्ग में मन और हृदय के ज्ञाता थे, तीसरे वर्ग में धर्म और दर्शन शास्त्र के ज्ञाता, चौथे वर्ग में दार्शनिक तथा पांचवे वर्ग में वे लोग थे जो कि परिदाणों तथा पर्यालोचनों पर आश्रित विज्ञान के जानने वाले थे। इन सम्पूर्ण वर्गों में अबुल फजल ने तीन जैन विद्वानों के नाम गिनाये हैं। इनमें आचार्य श्री ह्रीरविजयसूरि तो प्रथम वर्ग में थे और विजयसेन सूरि तथा भानुचन्द्र उपाध्याय पांचवे वर्ग में थे।

में थे । १० १५

हीरविजय जी ने अकबर को धर्म का सच्चा स्वरूप समझाया कि संसार में ब्रह्मानी मनुष्य जिस धर्म का नाम लेकर लड़ते हैं वास्तव में वह धर्म नहीं है । धर्म वह है जिससे वन्तःकरण की शुद्धि होती है । इसी तरह उन्होंने अकबर को जैन धर्म के सिद्धान्तों परम्पराओं, नैतिक आचरण के नियमों तथा उत्सवों का ज्ञान कराया ।

यद्यपि अकबर ने गददी पर बैठने के नौ वर्ष बाद अपने राज्य में से 'जजिया' उठा दिया था, जिसका उल्लेख हम कर जायें हैं तथापि गुजरात से यह जजिया नहीं हटा था क्योंकि उस समय गुजरात अकबर के अधिकार में नहीं आया था । इस लिये सूरिजी ने अकबर से अनुरोध किया कि आप अपने राज्य से 'जजिया' उठा दीजिये और तीर्थों में यात्रियों से जो कर लिया जाता था उसे बन्द करने के लिये भी अनुरोध किया - क्योंकि इन दोनों करों से जन साधारण को बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता था । सूरि जी के अनुरोध से अकबर ने उसी समय दोनों करों को उठा देने के फरमान लिख दिये । हीरविजय सूरि की तरह शान्तिचन्द्र जी को भी बादशाह से बहुत मानता था । इस लिये उनके आग्रह से बादशाह ने एक ऐसा फरमान निकाला जिसकी रूह से बादशाह का जन्म जिस महीने में हुआ था उस सारे महीने में, रविवार के दिनों में, प्रकान्ति के दिनों में, और नवरात्र के दिनों में कोई भी व्यक्ति जीव हिंसा ना करे । ११ शान्ति चन्द्र जी के प्रभाव से ही अकबर ने अपने तीन लड़कों सलीम, मुराद और दानियाल का जन्म जिन महीनों में हुआ था, उन महीनों में भी जीवहिंसा निषेध का फरमान निकाला ।

१५ - Aim-1-Akbari Trans. by H. Blochmann- Vol. I. P. 607-

१६ - सूरिश्वर और सम्राट अकबर - हिन्दी अनुवादक - कृष्णलाल वर्मा

26 - " " " " " 20844

भी व्यक्त एक वर्ष में है महीने और ३ दिन तक जीव हिंसा न करे। उन दिनों में स्वयं बादशाह भी मांसाहार नहीं करता था। इस बात को अन्यान्य जैतर ऐसकों ने भी माना है। अकबर का सर्वस्य गिना जाने वाला शैल बहुत फजल लिखता है कि "वह (अकबर) वायु की छाग-णियों का कुछ अंशों में पालन करता हुआ भी शनैः शनैः मांसाहार - छोड़ने का हरादा रखता है। वह बहुत दिन तक प्रत्येक शुक्रवार और पश्चात्त रविवार के दिन मांसाहार का परहेज करता रहा था। अब प्रत्येक सौर महीने की प्रतिपाद को, रविवार को, सूर्य और चन्द्र ग्रहण के दिनों में सौर मास के प्रत्येक त्योहार में, फरवरदीन के महीने में, दो उपवासों के बीच के दिनों में, रजब महीने के सोमवारों में और बादशाह जन्मा था उस सारे महीने में यानी सारे अबान महीने में मांसाहार नहीं करता है।" १५

अकबर ने स्वयम् कहा है कि - "Men should annually refrain from eating meat on the anniversary of the month of May accession as a thanksgiving to the almighty in order that the year may pass in prosperity." 16

जैन धर्म के प्रभाव से अकबर ने निश्चित रूप से साम्राज्य में जीव हिंसा का अन्त नहीं तो उसे कम करने का, उसकी तीव्रता और बर्बरता को कम करने का प्रयास अवश्य किया था। पांच पांच सौ चिड़ियों की जीर्मे जो नित्य प्रति लाता था, मृगादि पशुओं का जो नित्य शिकार करता था, वही मुसलमान बादशाह जैन साधुओं के उपदेश से इतना दयालु हो गया था। जैन साधुओं के इस महत्व को बढ़ावूनी भी स्वीकार करता है। वह लिखता है कि - "सम्राट अन्य सम्प्रदायों की अपेक्षा भ्रमणों

15- Ain-e-Akbari Trans. by H. Blochmann Vol. I PP. 61-62.

16- -do- Trans. by H.S. Jarrett. Vol. III P. 446.

(जैन साधुओं) और ब्राह्मणों से स्कान्त में विशेष रूप से मिलता था उनके सहवास में विशेष समय बिताता था । वे नैतिक, शारीरिक, धार्मिक और आध्यात्मिक शस्त्रों में धर्मोन्नति की प्रगति में और मनुष्य जीवन की सम्पूर्णतया प्राप्त करने में दूसरे समस्त (सम्प्रदायों) - विद्वानों और पंडित पुरुषों की अपेक्षा हर तरह से उन्नत थे । वे अपने मत की सत्यता और हमारे (मुसलमान) धर्म के दोष बताने के लिये बुद्धि पूर्वक परम्परागत प्रमाण देते हैं । वे ऐसी दृढ़ता और नुक्ति से अपने मत का समर्थन करते थे कि उनका कल्पना तुल्य मत स्वतः सिद्ध प्रतीत होता है । उसकी सत्यता के विरुद्ध नास्तिक भी कई शंका नहीं उठा सकता था । * १७

अकबर पर जैनधर्म का इतना अधिक प्रभाव देख कर कुछ लोग तो उसे जैनी समझने लगे थे लेकिन जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि वह तो प्रत्येक धर्म की सत्यता जानना चाहता था । इस लिये इबादतखाने में होने वाली विचार गोष्ठियों में उसने जैन धर्माचार्यों को आमंत्रित किया । वाद विवाद में उसे जैन धर्म में जो अच्छाइयाँ दिखाई दी उन्हें उसने अपना लिया । इसके साथ साथ यह भी अविस्मरणीय है कि जन-कल्याण के कार्य, पवित्र तीर्थ स्थानों की सुरक्षा आदि जैन और हिन्दू दोनों धर्मों के सामूहिक प्रभाव का सुफल था ।

अकबर और ईसाई धर्म :

ईसाई धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिये य अकबर ने गोवा से ईसाई पादरियों को आमंत्रित करने का निश्चय किया ।

गोवा से प्रथम जेसुइट मिशन :

पुर्तगाली ईसाई पादरियों का जो प्रथम शिष्ट मण्डल १५८० में -

17- AL-Badaoni Trans. by W.H. Lowe Vol. II. P. 264.

फतेहपुर सीकरी जाया उसके तीन सदस्य थे - रुडोल्फ एक्वाविना, एण्टनी मांसरेट, और फ्रांसिस हेनरीक्वेज । ३ मार्च १५८० को अकबर ने दीवान - ए - तास में इनका सम्मान किया । उस समय पर पादरियों ने अकबर को बाइबिल की एक प्रति सात जिल्दों वाली भेंट की । स्मिथ लिखता है कि अकबर ने बड़ी श्रद्धा से इस बाइबिल को ग्रहण किया । उसने इस बाइबिल की प्रत्येक जिल्द को अपनी फाड़ी उतार कर सिर पर रख कर उसका सम्मान किया और हाथों में लेकर निष्ठा पूर्वक उनको जूमा की ईशान्या में ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र बताया और ईसाइयों को अवतारवाद तथा त्रिकैक्यता की व्याख्या की । उन्होंने पुनरुत्थान, अन्तिम न्याय पवित्र आत्मा, पवित्र मौज, अनुग्रह और विश्वास, ईसा के देवत्व की बात साक्षी आदि अन्य विषयों पर विशुद्ध विवेचन किया और इन पर अकबर की शंकाओं का निराकरण किया ।

प्रथम ईसाई मिशन के पादरियों की धारणा थी कि उनके प्रभाव से अकबर ईसाई मत स्वीकार कर लेगा । परन्तु उनके सतत प्रयत्नों के बाद भी ईसाई धर्म के प्रचार में निराश हो गये और अकबर को ईसाई बनाने में असफल रहे । अतः अपने प्रयत्नों में असफल होने पर वे निराग होकर गौवा लौट गये ।

गौवा से द्वितीय जेसुइट मिशन :

एडवर्ड लियोटन और क्रिस्टोफर डी वेगा नामक दो पुर्तगाली पादरी १५६१ में लाहौर पहुंचे । इन पादरियों ने सम्राट से भेंट के समय ईसाई धर्म के सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला । इन्होंने लाहौर में एक पाठशाला स्थापित की जिसमें अकबर के पुत्र (पुराद और दानियाल) एक पौत्र बूसरी तथा अन्य अमीरों और सामन्तों के लड़के पुर्तगाली भाषा पढ़ते थे । कुछ समय बाद इन पादरियों ने अनुभव किया कि अकबर को वास्तव

में ईसाई धर्म के विषय में सुनने का एक कौतुहल था, श्रद्धा नहीं। अतः निराश होकर पहले के समान दूसरा शिष्ट मण्डल भी वापिस लौट गया।
गोवा से तृतीय जेसुइट मिशन :

सन् १५६४ में अकबर ने तीसरी बार गोवा के पुर्तगाली वायसराय को विद्वान ईसाइयों का एक शिष्ट मण्डल भेजने के लिये एक बार्मिनियम ईसाई को पत्र देकर भेजा। एस० बार० शर्मा लिखते हैं कि^{१९} इस काम के लिये सेण्ट फ्रांसीस जेवियर के भाई का पोता पादरी जेरोम जेवियट - पादरी इमेनुएल पिनहेरो और ब्रदर बेनेडिक्ट डी गोज को चुना गया। ये तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में बड़े योग्य थे।^{२०}

यह मिशन ५ मई १५६५ में लाहौर पहुँचा। ये लाहौर और उसके आस पास के क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार करते थे तथा हिन्दुओं और मुसलमानों को ईसाई बनाते थे। एस. बार. शर्मा के अनुसार - जब अकबर मई में काश्मीर गया तो वह अपने साथ पादरी जेवियट और ब्रदर गोज को भी ले गया। ये लोग वहाँ नवम्बर सन् १५६७ तक ठहरे। जब ये लोग वहीं थे तो काश्मीर की घाटी में एक बड़ा दुमिदा पड़ा और पादरी ने बहुत से अनाथ बच्चों को, जिन्हें गलियाँ में मरने के लिये झोड़ दिया गया था, ईसाई धर्म में दीक्षित किया।^{२१}

ईसाई धर्म का अकबर पर प्रभाव :

अकबर सभी धर्मों के प्राचार्यों, सन्तों, विद्वानों और नेताओं के प्रति अत्यन्त उदार एवं सहिष्णु था। ईसाइयों के शिष्ट मण्डलों के प्रति भी वह शिष्ट, विनय शील, उदार और सहिष्णु था। ईसाई धर्म के सिद्धान्तों से पूर्ण परिचय प्राप्त करने का उत्कृष्ट अभिलाषी होने के

19- एस. बार. शर्मा - हिन्दी अनुवाद मथुरालाल शर्मा (भारत में मुगल साम्राज्य) पृ० २३६
20 - ,, ,, ,, ,, पृ० २३७

कारण अकबर ने इन पादरियों के प्रति न केवल श्रद्धा और शिष्य भाव का ही प्रदर्शन किया अपितु ईसाइयों के ईसा मसीह और मेरी आदि की मूर्तियों के प्रति भी यथेष्ट श्रद्धा प्रकट की। इन पादरियों के गिरजाओं में भी अकबर प्रायः जाया जाया करता था। पादरियों की प्रार्थना के समय कुछ दरबारियों के साथ गिरजा घर में जाकर मेरी तथा ईसा मसीह के चित्रों को साष्टांग प्रणाम करता था। अकबर ने पादरियों को एक अस्पताल स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। उन्हें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कार व समारोह मनाने की भी स्वतंत्रता थी। किसी ईसाई के देहावसान के बाद उसके शव को ईसाई धर्म की परम्परानुसार काशी और मोमबत्तियाँ सहित, जुस में नगर में से ले जाने की अनुमति दे दी थी। जैसुइट पादरियों ने मुगल दरबार में अपना एक कालेज अथवा मठ भी स्थापित कर लिया था। इन ईसाई पादरियों को उच्च श्रेणी के अतिथी मानते हुए अकबर ने उन्हें प्रत्येक प्रकार की सुख सुविधाएँ ही प्रदान नहीं की बल्कि इनके जाने जाने तथा अन्य प्रकार के सारे खर्चों को भी स्वयम् उठाया।

अकबर के ऐसे आतिथ्यपूर्ण व्यवहार तथा ईसाई धर्म के प्रति - इतनी जिज्ञासा देख कर ईसाई मिशनरी यह समझने लगे कि वह ईसाई धर्म स्वीकार करने की ओर अग्रसर हो रहा है और इसी धारणा के आधार पर इन लोगों ने गोवा और लिसबन में अपने उच्च अधिकारियों को अतिरंजित समाचार भेजने शुरू कर दिये। जैसे-सम्राट ने सारे साम्राज्य में से इस्लाम धर्म की समाप्ति कर दी है और मसजिदों को अस्तबलों में परिवर्तित कर दिया है। जब कि वास्तविकता यह है कि तर्क प्रिय होने के कारण अकबर किसी ऐसे धर्म में विश्वास ही नहीं कर सकता था, जो कि इस्लाम तथा सत्ता पर आधारित था।

बुतबा व मजहर

इबादतखाने में मुस्लिम उल्माओं के वाद विवाद से और ईश्या द्वेष तथा आरोप प्रत्यारोप से अकबर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सत्य का इन धार्मिक झगड़ों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस लिये उसने एक और तो इबादत खाने के द्वार हिन्दू, जैन, पारसी व ईसाई सन्तों के लिये खोले तो दूसरी ओर अपने आपको कट्टर धर्मांध मुल्ताओं के हानि कारक प्रभाव से स्वतंत्र करने का निश्चय किया। इस हेतु उसने दो बड़े कदम उठाये - एक तो बुतबा पढ़ना और दूसरा अब्रान्त आशा पत्र अथवा मजहर प्रसारित करना।

बुतबा पढ़ना :

मुख्य इमान के पद को ग्रहण करने के लिये तथा उल्माओं के प्रभाव और महत्व को कम करने के लिये शुक्रवार, २२ जून १५७६ को फतेहपुर सीकरी की प्रमुख मसजिद की वेदी पर बइकर अकबर ने कवि फौजी द्वारा कविता में रचित निम्न लिखित बुतबा पढ़ा :

“ उस अल्लाह के नाम पर जिसने हमें साम्राज्य प्रदान किया है,
जिसने हमें विवेकशील मस्तिष्क तथा शक्तिशाली गुजर दी है,
जिसने हमें धर्म और न्याय की ओर प्रेरित किया है,
जिसने हमारे हृदय से धर्म और बुद्धि के अतिरिक्त सब कुछ
निकाल दिया है,
जिसके गुण मानवी समझ से परे हैं,

उसकी शान बढ़े - अल्ला - हु - अकबर । ” २१

अकबर ने बुतबे के अन्त में जो “ अल्ला - हु - अकबर ” शब्द पढ़े उसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो यह कि अल्लाह सब से बड़ा है और दूसरा

अकबर ही अल्लाह है। अकबर के जो विरोधी थे उन्होंने दूसरे धर्म को सही माना और कट्टर धर्मांध मुसलमानों को अकबर के विरुद्ध भड़काना प्रारम्भ कर दिया। २२ लेकिन अकबर ने कहा कि वह "इमाम - ए - जादिल" है। इस्लामी विधान के अनुसार तो खलीफा और इमाम का पद एक ही व्यक्ति में सम्मिलित होना चाहिये, पर सुल्तानों की योग्यता व निर्बलता के कारण इमाम का पद उन्हें छोड़ना पड़ा। भारत के बाहर इस्लामी देशों में राज्य करने वाले सुल्तान द्वारा बुतबा पढ़ा जाना कोई नवीन बात नहीं थी, किन्तु भारत में अकबर द्वारा "बुतबा" पढ़ने और इमाम ए जादिल की उपाधि धारण करने से मुसलमानों के कट्टर, अनुदार व धार्मिक वर्ग में खलबली मच गई। कट्टर पंथी मुसलमान समझने लगे कि अकबर बहुलनीय देवी सत्ता का पैगम्बर बनने का प्रयत्न कर रहा है। पर अकबर ने इस विरोध और आरोप की परवाह न की।

महजर अथवा अग्रान्त आज्ञा - पत्र :

सितम्बर १५७६ में फांजी और अब्दुल फजल के पिता शेख मुबारक ने बादशाह के कहने से महजर पेश किया जिसके द्वारा सारे देश में इस्लाम सम्बन्धि विवादों में अकबर को पंच फौसले का अधिकार दिया गया। इस प्रपत्र को मसदूम - उल - मुल्क, मुख्य सद्द अब्दुन्नवी, काजी ज़ाहिरुद्दीन मुलतानी, गाजी आं बदल्ली, साम्राज्य के मुफती और प्रधान काजी शेख मुबारक तथा अन्य प्रसिद्ध प्रमुख धार्मिक नेतृत्वों ने स्वीकार करते हुए उस पर अपने हस्ताक्षर किये। इस प्रपत्र का मूल रूप अधोलिखित है -

" क्योंकि हिन्दुस्तान अब शांति और सुरक्षा का केन्द्र तथा न्याय नीति का स्थान बन गया है, जिससे उच्च और निम्न वर्ग के लोगों और मुख्यतः अध्यात्म विद्या विहारद विद्वान लोग और वे लोग जो ज्ञान -

विज्ञान का प्रचार विस्तार करते हैं तथा मुक्ति के मार्ग दर्शक बने हुए हैं, बरब और फारस से यहां आकर बस गये हैं। अब हम प्रमुख उलेमा, जो केवल कानून के विभिन्न अंगों के ही विशेषज्ञ और ज्ञाता नहीं, तर्क और प्रमाण पर आधारित नियमों से ही परिचित नहीं हैं, बल्कि अपनी सच्चाई और सदाशयता के लिये भी प्रसिद्ध हैं। प्रथम तो हमने कुरान की वायत "ईश्वर की और पैगम्बर की और उनकी तुम मैं, जिन्हें सत्ता प्राप्त है आज्ञा पालन करौं।" दूसरे सच्ची परम्परा जो बादमी कयामत के दिन बुदा का प्यारा होता है, वही असली नेता होता है, जो अमीर की आज्ञा का पालन करता है, वह मेरी आज्ञा का पालन करता है, और जो उसके प्रति विद्रोह करता है, वह मेरे प्रति विद्रोह करता है, सिद्धान्त का और तीसरे तर्क और प्रमाणों पर आधारित अन्य अनेक सबूतों का अच्छी तरह से मर्म समझ लिया है। और हम इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि न्याय प्रिय राजा का स्थान इश्वरीय दृष्टि में मुगल हिन्द (धार्मिक नेता) से कहीं ऊंचा होता है।"

"आगे हम यह घोषित करते हैं कि इस्लाम शाह का राजा, मानवता का वाक्य स्थल, स्वामिभक्तों का सेनापति, संसार में ईश्वर का स्वरूप, बहुत फजह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर, बादशाह गाजी, सब से अधिक न्याय प्रिय और बुद्धिमान राजा है और उसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त है।"

इस लिये यदि मविष्य में ऐसे धार्मिक प्रश्न खड़े हों जिन पर मुगल हिन्दों की राये भिन्न भिन्न हों तो सम्राट अपनी सूक्ष्म दृष्टि और बुद्धिमत्ता के अनुसार पुण्यवस्था की दृष्टि से देश की भलाई के लिये इन विरोधी मतों में से किसी एक को स्वीकार करने की कृपा करेंगे, और यह मत ही उसकी सारी प्रजा पर लागू सम्पन्न जायेगा।"

यदि सम्राट कुरान के अनुसार तथा देश के हित में कोई नहीं -

बाज़ा जारी करना उचित समझेंगे तो सभी लोग उसे मानने के लिये बाध्य समझे जायेंगे । और इसका विरोध करने से इस लोक में धार्मिक अधिकार तथा बहु धन सम्पदा से वंचित होना पड़ेगा तथा दूसरे लोक में कष्ट मिलेगा।

यह प्रपत्र विशुद्ध भावनाओं के साथ ईश्वर की कीर्ति और इस्लाम के प्रचार के लिये लिखा गया है और हम धर्म प्रमुख उल्माओं और प्रमुख धर्म शास्त्रियों ने ९८७ हिजरी के रजब महीने में इस पर हस्ताक्षर किये हैं।^{१३}

उपर्युक्त प्रपत्रसेअकबर को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह मुसलिम धर्मशास्त्रियों के विरोधी मतों में से किसी एक को स्वीकार करे तथा मतभेद विहीन मामलों पर किसी भी नीति को निर्धारित करे, बशर्ते कि वह कुरान विहीन न हो । इस प्रकार अब अकबर ने स्वयं वह अधिकार प्राप्त कर लिये जो अब तक उल्माओं के और विशेष रूप से प्रमुख सदर के अधिकार माने जाते थे । अब से वह मुसलमान प्रजाजनों के लिये धार्मिक सत्ताधिपति भी बन गया ।

अकबर के बुतबा पढ़ने से घोंघणा पत्र प्रसारित करने से तथा सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाने से अनुदार मुसलमानों और उल्माओं ने अपना तीव्र असन्तोष प्रगट किया और यह दाँव लगाया कि वह स्वयं में देवत्व का दावा करता है, अपने लिये ईश्वर के पैगम्बर का पद प्राप्त करना चाहता है ।

पर ये आरोप निराधार हैं, क्योंकि अकबर ने कहा कि वह अपने में देवत्व का, ईश्वरीय अंश होने का दावा करने की कल्पना भी नहीं कर सकता । वह इस्लाम का अनादर भी नहीं करता था, अपितु उसके सत्य सिद्धान्तों के प्रति गहरी वास्था रखता था । सन् १५७५ से १५८० तक की इसी अवधि में अकबर ने प्रति वर्ष भारत से मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले मुसलमान यात्रियों के कारवां की व्यवस्था -

राजकोश से की। प्रति वर्ष वह एक प्रमुख अधिकारी को हज के यात्रियों की सम्भाल करने की व्यवस्था के लिये उनके साथ बाने जाने के लिये - नियुक्त करता था। और उसे भीर हज या हाजी कहा जाता था। २४ महजर की घोषणा के बाद भी अकबर १४ अक्टूबर १५७६ को तीर्थ यात्रा के लिये बीर सन्त की मजार से बासीवाद प्राप्त करने के लिये अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर गया था। वापसी यात्रा में उसने नमाज के लिये एक विशेष डेरे या तैम की व्यवस्था की। इसमें वह नमाज पढ़ता था, व जैसा कि एक धर्म निष्ठ मुसलमान कहता है। अजमेर के मजार की वह जियारत करता रहा। ३० जुलाई १५८० को अजमेर के ख्वाजा की वसर्ग होने से अकबर ने इस समय अपने पुत्र दानियाल को अपने प्रतिनिधि के रूप में अजमेर भेजा। वहाँ उसने बहुत सा धन गरीबों व फकीरों में बांटा २५

इन उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि अनुदार उल्मावी ने अकबर पर जो दाँव लगाये थे, वे निराधार हैं।

-0-

-0-

24- AL-Badaoni Trans. by W.H.Bowe. Vol. III P.313.

25- AL-Badaoni Trans. By W.H.Lowe Vol. II P.P. 280-81.

अकबर

और

दीन-ए-इलाही

अकबर और दीन - ए - इलाही

अकबर के धार्मिक विचारों की परिणति दीनइलाही में हुई । उसकी धार्मिक नीति के विकास और विस्तार का यह अन्तिम रूप था । बहुत फजललिखता है कि " जब साम्राज्य से ऐसा समय आता है कि - किसी राष्ट्र में सत्योपासना का भाव जाग्रत हो तो लोग अपने शासक की ओर देखेंगे क्योंकि अपने सर्वोच्च पद के कारण शासक ही उनका नेता हो सकता है । --- एक बादशाह इस लिए विभिन्न मतों में सामन्वय का तत्त्व देख सकता है और इसके विपरीत कभी - कभी साफ तौर से उसकी एकत्व में विभिन्नता भी दिखाई दे सकती है । उसका पद बहुत विशिष्ट है । इस लिए वह कर्षण और शोक से परे है । अब समय यही बात वर्तमान युग के शासक (अकबर) पर लागू है । ---- वह राष्ट्र का धार्मिक नेता है और समझता है कि ऐसे कर्तव्य का पालन करना - ईश्वर को प्रसन्न करना है । " १

धार्मिक रुढ़ियों और सत्ता से असन्तुष्ट होकर अकबर ने तर्कों की ही धर्म का मूलाधार बताया और अपने साम्राज्य में प्रत्येक मत सम्प्रदाय को धार्मिक स्वतन्त्रता और सहिष्णुता प्रदान की । धार्मिक व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव फैलाते देख अकबर को अत्यन्त क्लेश पहुँचता था । इसी धार्मिक विद्वेष को दूर करने के विचार से उसने सभी मतों का समन्वय करने का प्रयास किया और उसका नाम - " तवाहिदे इलाही " (दीन इलाही) अर्थात् देवी एकेश्वरवाद रखा । यह एक सामाजिक - धार्मिक - प्रातृ - सम्प्रदाय था, जिसका संगठन -

विभिन्न जातियों को एक दूसरे के अधिक निकट लाने के विचार से किया गया था। इसकी रचना सर्वजनित सहिष्णुता के सिद्धान्त पर की गई थी और स्वयम् सम्राट ने सभी धर्मों में से अच्छी बातें संगृहीत करके इसमें रखी थी।

दीनहलाही के अम्युदय के कारण :

दीनहलाही का अम्युदय निम्नलिखित कारणों और परिस्थितियों से हुआ -

- (१) उदार विचार धाराएँ अकबर को विरासत में प्राप्त हुईं। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि वंश परम्परा, पैतृक सहिष्णुता, माता, पिता, संरक्षक और शिक्षक की उदारता, धार्मिक भावना और विश्वासों का प्रभाव अकबर पर पड़ा। उन्होंने अकबर की धार्मिक नीति व निष्ठा को उदार पंथी बनाने में बड़ा योगदान दिया। शिक्षक अबुल फतीफ द्वारा पढ़ाये गये सुल्ह - ए - कुल अर्थात् सर्वजनित शान्ति के सिद्धान्तों को वह जीवन भर न भूला। हिन्दु राजकुमारियों के साथ हुए विवाहों तथा राजपूत व हिन्दू अधिकारियों के सान्निध्य व सम्पर्क से अकबर हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों से अधिकाधिक परिचित होने के साथ साथ विभिन्न धर्मों के प्रति और भी अधिक सहिष्णु और उदार हो गया। इस उदार भावना की परिणति दीन हलाही के रूप में प्रस्फुटित हुई।
- (२) अकबर के शासन के प्रारम्भ होने के पूर्व व्याप्त धार्मिक आन्दोलन नवीन धार्मिक जाग्रति और चेतना तथा हिन्दू और बूफी सन्तों के बसाधारण अध्यात्मवाद ने उदारता, सहिष्णुता, प्रेम और सद्भावना का वातावरण निर्मित कर दिया था। इस वातावरण ने ईश्वर की - एकता और वर्ग विनाश पर जोर दिया। तथा विभिन्न धर्मों के समन्वय को प्रोत्साहन दिया। हिन्दू मुसलिम सन्तों ने ऐश्वर्यवाद और बंधुत्व पर धार्मिक वातावरण और साम्प्रदायिक भेद भाव के उन्मूलन पर, धार्मिक

सहिष्णुता, हिन्दू मुसलमन एकता और समन्वय पर व्यक्ति और आत्मा की अभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया। इससे अकबर के उदार धार्मिक विचारों और नवीन प्रयोगों के लिये मार्ग प्रशस्त हो गया। धीरे धीरे इस नवीन वातावरण के प्रभाव से उसका हृदय सभी वर्गों और धर्मों के प्रति उदार और सहिष्णु होता गया जो उस युग की प्रमुख मांग थी। अकबर ने इस मांग की पूर्ति करने के लिये और सभी धर्मों का समन्वय करने के लिये दीन इलाही की स्थापना की।

(३) - अकबर से पूर्व इस्लाम राज्य धर्म के श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित था। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की प्रजा मुसलमानों और गैर मुसलमानों में विभक्त हो गयी थी। गैर - मुसलमानों अथवा हिन्दुओं के लिये - साम्राज्य के सभी उच्च पदों के द्वार बन्द थे। किन्तु उदार चैता, विवेक शील, दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ, अकबर इस अनीतिपूर्ण व्यवस्था का अन्त कर देना चाहता था। इस लिये उसने ऐसे धर्म और नीति को अपनाना चाहा जिससे उसकी प्रजा के एक बहुत बड़े वर्ग हिन्दुओं के साथ सद्व्यवहार हो सके, उनके धर्म को हानि न हो, ऐसी धार्मिक नीति और प्रशासकीय कार्य हो जिससे उसकी आध्यात्मिक पिपासा तो शान्त हो ही, पर उसकी - समस्त प्रजा सार्वजनिक रूप से प्रभावित हो सके और सब को पद व धर्म की समानता प्राप्त हो सके। इस लिये अकबर ने प्रशासन और सेना में - विभिन्न धर्मावलम्बियों को ऊँचे ऊँचे पदों पर बिना किसी - भेद -भाव के नियुक्त किया। राज्यपाल या प्रान्तीय सूबेदार, मनसबदार, वजीर आदि ऊँचे ऊँचे पदों पर राजपूतों व अन्य हिन्दुओं को नियुक्त किया गया। इस कार्य से राज्य की दृढ़ता और स्थायित्व के लिये वह सभी जातियाँ, धर्मों और वर्गों के लोगों का सहयोग और सहभावना चाहता था। अकबर ने क़ात धर्म परिवर्तन कर इस्लाम के प्रसार का निषेध - किया और तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर एवं अनेक अनुचित करों को -

समाप्त कर सबको पवित्र धार्मिक स्थान, देवालय व मंदिर निर्मित करने की स्वतंत्रता दे दी। अकबर ने अपने पूर्ववर्ती सुलतानों की धार्मिक संकीर्णता, कटुता और इस्लामी राज्य की नीति त्याग दी। उसने अपने कार्यों से धर्म निरपेक्ष राज्य स्थापित किया। इस धर्म निरपेक्ष राज्य में वह - विभिन्न धर्मावलम्बियों को एक ही मंच पर लाने को उत्सुक और प्रयत्नशील था। इस प्रयास का परिणाम दीन इलाही हुआ।

(४) - अकबर धर्म निष्ठ और चिन्तशील व्यक्ति था, उसे विश्व और मानव जीवन - के गूढ़तम रहस्यों को जानने तथा निरन्तर समझने की अतृप्त - पिपासा थी, अध्यात्म ज्ञान प्राप्ति की अनूठी जिज्ञासा थी तथा निरन्तर सत्यान्वेषण करने की अलौकिक प्रवृत्ति भी थी। इसी से बदायूनी ने भी लिखा है कि - बहुधा अकबर उषाकाल में फतेहपुर के राज भवन के समीप एक प्राचीन भवन के निर्जन भाग में पड़े एक प्रस्तर बण्ड पर घण्टी अकेला बैठा दार्शनिक तथ्यों और जीवन के निगूढ़ रहस्यों पर विचार किया करता था। " २ विभिन्न धर्मों के सभी सिद्धान्तों और तत्त्वों को जानने की उसमें अपूर्व उत्कंठा थी। अकबर की धार्मिक नीति और विचार उसके इस जन्मजात आत्मीय अंगुर व अध्यात्म ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा का - प्रस्फुटन था। इसी से वह कभी राजकीय जीवन में सत्यान्वेषण के सतत प्रयोग करता था, जिसका परिणाम दीन इलाही के रूप में उदय हुआ।

(५) इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों की विशद जानकारी के लिये अकबर ने १५७५ में इबादत खाना निर्मित किया और वहां शेखों, संयदों और जालिमों के धार्मिक वाद विवाद और गोष्ठियां सुनीं। इबादत खाने की स्थापना की तो उसने इस्लाम के सच्चे सिद्धान्तों को समझने के लिये थी लेकिन इसका परिणाम उल्टा ही निकला क्योंकि इस्लाम के सिद्धान्तों को समझने की

2- AL-Badaoni Trans. by W.H. Lowe Vol. II P. 203.

बात जो एक और रही, यहां तो धार्मिक वाद - विवादों में शियावादी और सुन्नियों के पारस्परिक फगड़े, विद्वेष्ट, कटुता, आरोप प्रत्यारोप का बाहुल्य हो गया। अकबर को इससे बड़ी निराशा हुई और वह इस्लाम को सन्देश की दृष्टि से देखने लगा। जब इस्लाम के प्रति उसकी निष्ठा कम हो गई तो उसने इबादत खाने में विभिन्न धर्मावलम्बियों को अपने धर्म के सत्य सिद्धान्तों के प्रवचनों के लिये आमंत्रित किया। उनके धार्मिक विवेचनों और प्रवचनों में उसने सत्य की खोज करना चाही। अकबर ने - हिन्दू, जैन, पारसी, ईसाई व इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों का बड़ी सावधानी व लगन से अध्ययन किया। उनके उपदेशों, रीति - रिवाजों और उत्सवों के विभिन्न ढंगों का मनन किया। मानव जीवन और विचारों पर उनके प्रभाव को लक्षित किया। अकबर यह कार्य इबादत खाने में अपने दरबार में और व्यक्तिगत भेटों में निरन्तर सात वर्षों तक करता रहा।

अन्त में अकबर अपने दीर्घ अनुभव, अध्यवसाय, धर्म चर्चाओं और अध्ययन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यद्यपि हर धर्म में सत्य का अंश है, परन्तु प्रत्येक में महत्व पूर्ण कमी है। सभी धर्मों में कुछ ऐसे - विभिन्न उत्सव व रस्में हैं, जो परस्पर विरोधी और कटुता उत्पन्न करती हैं। अतएव न तो केवल इस्लाम ही और न अन्य धर्मों में से कोई एक धर्म ही सब को एक राष्ट्रीय एकता में बांध सकता है। इस लिये अकबर इस समस्या के हल के लिये एक ऐसा धर्म चाहता था जिसमें प्रचलित धर्मों की अच्छाइयां व सच्चाई हो, पर किसी धर्म की बुराई न हो। वह ऐसा धर्म चाहता था जिसमें साम्प्रदायिक भेद - भावों को विस्मरण कर सब लोग शाश्वत धर्म के सार्वभौम व सर्वमान्य आवरण से युक्त सिद्धान्तों के अनुयायी हो सकें। धार्मिक व सांस्कृतिक पुर्नजागरण की पृष्ठ भूमि में धार्मिक - संकीर्णता और भेद - भावों से ऊपर उठ कर अकबर अपनी प्रजा में समान धर्म फैलाना चाहता था। अकबर ने कहा कि "एक शासक के अधीन - साम्राज्य में यदि अनता परस्पर विभक्त है और वह एक इधर जाता है और

दूसरा उधर जाता है तो यह बड़ा दोष है । --- अतः हमको चाहिये कि हम सब को एक कर दें, परन्तु इस प्रकार कि वे एकता के साथ एक और सम्पूर्ण हो ताकि किसी धर्म के गुण से वे वंचित न रह जायें - एक धर्म के गुण के साथ - साथ उन्हें दूसरे धर्म की अच्छाई का भी लाभ मिल जाय। इस प्रकार ईश्वर का सम्मान होगा, लोगों को शान्ति प्राप्त होगी और साम्राज्य की रक्षा होगी ।” ३ अतः अकबर ने विभिन्न धर्मों के सत्य तथा महत्व पूर्ण सिद्धान्त अपने मस्तिष्क में संकलित कर लिये और फिर उन्हें लिपिबद्ध करा लिया । इनमें सब धर्मों का समन्वय था, जो कि दीन इलाही के नाम से विख्यात हुआ ।

दीन इलाही का स्वरूप :

मुसलिम इतिहासकार तथा कट्टर धर्मान्ध मुल्ला बदायूनी ने दीन इलाही को एक नया धर्म माना है । स्मिथ ने भी इसे एक नया धर्म माना है । He says-Akbar's long-Cherished project of establishing through his empire one universal religion, formulated & Controlled by himself, was avowed publicly for the first time in 1582.” 4

एस० बार्० शर्मा का मत है कि “उसने अपनी प्रजा के दोनों मुख्य वर्गों (हिन्दू, और मुसलमान) के पारस्परिक मतभेदों को मिटाने का यत्न किया । उसने दोनों जातियों में परस्पर विवाह की प्रथा का उदाहरण उपस्थित किया । ऊंचे पद और उपाधियाँ देने में उसने सबको बराबर समझा और सब से बड़ा काम उसने यह किया कि एक नया धर्म जलाया जिससे एक नये संसार की सृष्टि होगी ।” ५

3- According to Bartoli quoted from Smith: Akbar the great Mogul P.211-12

4- Smith : Akbar the great Mogul P.209.

5- एस. बार्. शर्मा हिन्दी अनुवादक मथुरालाल शर्मा भारत में मुगल साम्राज्य पृ० २६८

परन्तु दीन इलाही कोई नवीन धर्म या सम्प्रदाय नहीं था इसमें तो सब धर्मों के सत्य सिद्धान्तों का समन्वय था । अकबर की स्वयम् की इच्छा थी किसी नवीन धर्म को स्थापित करने की नहीं थी । इसके अलावा नवीन धर्म के लिये यह आवश्यक है कि उसका कोई एक लिखित धर्म ग्रन्थ हो, निश्चित प्रार्थना हो, कोई मंदिर या निश्चित उपासना गृह हो, कोई साम्प्रदायिक धार्मिक चिन्ह अथवा पुरोहित वर्ग हो । लेकिन दीन-इलाही में ऐसा कुछ न था । इस लिये हम दीन इलाही को एक नवीन धर्म सम्प्रदाय अथवा मत नहीं कह सकते हैं और न ही अकबर को उसका प्रवर्तक अथवा पैगम्बर । दीन इलाही तो एक सामाजिक और धार्मिक संस्था थी जिसका वांछ्य देश के विभिन्न धर्मावलम्बियों को परस्पर मिलाना था । इसकी नींव प्रेम, सच्चाई, सदाचारण, संयम और सहिष्णुता पर आधारित थी तथा इसमें सुलह - ए - कुल ह के सिद्धान्त थे । इसमें हिन्दुओं, जैनियों, पारसियों के सिद्धान्तों का सार था और ईश्वरी एकता का सिद्धान्त था ।

दीन इलाही का प्रारम्भ :

मार्च १५८२ में काबुल अभियान से लौट आने के बाद अकबर ने अपने प्रमुख अधिकारियों और दरबारियों का एक सम्मेलन बुलाया और उनके - सम्मुख दीन इलाही का स्वरूप प्रस्तुत किया । उपस्थित सदस्यों ने दीन इलाही के स्वरूप से सहमति प्रगट की और कहा कि बादशाह ईश्वर के बहुत समीप है । उसका पद बहुत ऊँचा और उसकी बुद्धि बड़ी प्रबल है । इस लिये वह सारे साम्राज्य के लिये एक पूर्ण और सार्वजनिक धर्म के निर्माण के लिये आवश्यक देवता, उत्सव, बलिदान, नियम, रीति रस्म आदि जो भी आवश्यक हो, निश्चित करें । इस सभा के बाद अकबर ने एक श्रेष्ठ बुद्ध शैल को सब और यह घोषित करने भेजा कि अल्पकाल में ही सम्पूर्ण मुगल साम्राज्य में दरबार से प्रचारित धर्म माना जायेगा और सभी लोग इसे

श्रेष्ठ धर्म मानकर अपनाने को तैयार रहें ।” ६

बदायूनी जो कि शायद उस समय वहाँ उपस्थित था लिखता है कि इस नये धर्म के प्रस्ताव का विरोध सभा में ही अमैर के राजा विहारीमल ने किया । उसने कहा कि” मैं यह स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार कर दूंगा कि हिन्दुओं और मुसलमानों में प्रत्येक धर्म सराब है । पर हमें केवल यह बताये कि नया धर्म क्या है और वह क्या मत रखता है, ताकि मैं विश्वास कर सकूं । उस पर अकबर थोड़ी देर विचार मग्न रहा और फिर उसने राजा भगवन्त दास को नया धर्म स्वीकार करने के लिये आग्रह नहीं किया । ७ अबुल फजल भी इससे सहमत है । इसी प्रकार कुछ वर्षों बाद अकबर ने मानसिंह से पूछा कि क्या वह दीन इलाही के अन्तर्गत अकबर का शिष्यत्व स्वीकार करेगा ? इस पर मानसिंह ने उत्तर दिया कि यदि शिष्यत्व का यही अभिप्राय है कि अपने प्राणों का बलिदान करने को तैयार रहना चाहिये तो मैं अपनी जान को हमेशा लथेली पर रखता हूँ और इसे प्रमाणित करने के लिये अधिक प्रमाणाँ की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि इसका अर्थ यह है कि अपने धर्म को छोड़ा जाय तो मैं हिन्दू हूँ । इसके बाद अकबर ने मानसिंह से बातचीत बन्द कर दी और उसे स्थानान्तरित करके बंगाल भेज दिया ।” ८

दीनइलाही का विधि विधान :

दीनइलाही का प्रथम विधि विधान था । इस सम्प्रदाय में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अकबर से दीक्षा लेनी पड़ती थी । जब कोई व्यक्ति इसका सदस्य होना चाहता था तो अबुल फजल के पास, जो इस

6-Smith : Akbar the great Mogul. P. 212.

7- Al-Badaoni Trans. by W.H.Lowe Vol. II. P.323, Ain-i-Akbari Trans. by H.Blochmann Vol. I. P. 198

8- AL-Badaoni Trans. by W.H.Lowe Vol. II P. 375.

सम्प्रदाय के प्रधान पुरोहित थे जाता और उसे अपने हरादी की पवित्रता और सच्चाई के प्रति सहमत करता था । इसके बाद अकबर फज्र इस व्यक्ति को अकबर के पास ले जाकर उसका परिचय कराता और वह - व्यक्ति अपनी पगड़ी अपने हाथ में लेकर, अपना सिर बादशाह के कदमों में रखता था । बादशाह उसे उठाता था, उसे सिर पर पगड़ी रखता और उसे " शिस्त " अथवा " अपना स्वरूप " प्रदान करता था जिस पर ईश्वर का नाम तथा " बल्लाही अकबर " सुना होता था । यह अंगूठी स्वस्तिक के आकार की होती थी । इस विधि का यह अभिप्राय था कि सम्राट ने उसे शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया है । शिष्य से यह आशा की जाती थी कि वह सम्राट के अनुकरण द्वारा अपना सुधार करेगा । तथा आवश्यकतानुसार सम्राट से मौखिक शिक्षा ग्रहण करेगा । दीन-इलाही के सदस्य अपने गुरु और दीन इलाही के पैगम्बर सम्राट अकबर की सोने की रत्न जड़ित प्रतिमूर्ति को रेशम के टुकड़े में लपेट कर अपनी पगड़ी में रखते थे । दीन इलाही में दीक्षित व्यक्तियों को " पवित्र शस्त और पवित्र दृष्टि कभी मूल नहीं करती । " इस पवित्र को बार बार दोहराते थे । " ६ यह दीक्षा समारोह रविवार के दिन होता था, क्योंकि रविवार सूर्य का दिन माना जाता था । दीक्षा देकर शिष्य बनाने से अकबर का तात्पर्य उसे अपना अनुचर बनाना नहीं अपितु ईश्वर की सेवा में दीक्षित करना था ।

दीनइलाही के सिद्धान्त :

दीनइलाही के सदस्यों को निम्नलिखित सिद्धान्तों अथवा गुणों का पालन करना पड़ता था ।

- (१) जीवन में उदारता और दानशीलता का पालन करना ।
- (२) सांसारिक इच्छाओं का परित्याग करना ।

- (३) सब के साथ धीर्मे स्वर से कोमल वाणी, मली बात और मधुर भाषण से बातचीत करना तथा सद्व्यवहार करना ।
- (४) अच्छे और उद्भुत कार्य करने की इच्छा रखना ।
- (५) अपने बन्धुओं से सद्व्यवहार करना और उनकी इच्छाओं को अपनी इच्छा के ऊपर महत्व देना ।
- (६) दुष्टकर्मियों को कामा जान देना और क्रोध का नरमी से निराकरण करना ।
- (७) जीवों से पूर्ण विरक्ति और परमात्मा के ब से लगाव रखना ।
- (८) अपने कर्मों के फलों और प्रभाव पर विचार करना, मनन करना, तथा भक्ति व ज्ञान की वृद्धि करना ।
- (९) सांसारिक अस्तित्व के बन्धनों से मुक्त होने तथा परलोक के लिये पुण्य संचित करने हेतु लालसा रखना और कार्य करना ।
- (१०) एकेश्वरवाद में विश्वास करना, भगवत प्रेम और भगवत भक्ति में आत्मा को लगाना और आत्मा का परमात्मा में संयोग करना ।

इस प्रकार व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता और जीवन के कार्यों के प्रति पवित्र दृष्टिकोण पर इन सिद्धान्तों में अधिक जो दिया गया है । ये सिद्धान्त विश्व व्यापी हैं और लगभग प्रत्येक धर्म में पाये जाते हैं ।

दीन इलाही के रीति - रिवाज व नियम :

दीन इलाही के रीति - रिवाज व नियम अधोलिखित थे -

दीन इलाही के अनुयायी जब परस्पर एक दूसरे से मिलते थे तो अभिवादन के लिये एक कहता था । "अल्लाहों अकबर" उसके उत्तर में दूसरा जवाब देता था "जले - जलाटे हू" । ऐसा कहने का उद्देश्य मनुष्य को उसके जीवन की उत्पत्ति पर सोचने और ईश्वर की कृतज्ञ स्मृति में ताजा और सजीव रखना था । " १० दीन इलाही के सभी सदस्य सम्राट अकबर

को साष्टांग प्रणाम करते थे । जिसे जमीन बोंस अथवा सिजदा भी कहा जाता है और जो कि हिन्दू तथा मुसलमान दोनों धर्मों में प्रचलित थी ।

स्मिथ लिखता है कि दीन इलाही के प्रत्येक सदस्य को अपने जन्म दिन पर दावत देना और दान पुण्य करना पड़ता था । इस प्रकार मृत्यु के पश्चात् भोज देने की प्रथा के स्थान पर हर सदस्य को अपने जीवन काल में ही सुन्दर आद भोज देना पड़ता था, जिससे वह अपनी अन्तिम यात्रा के लिये पुण्य संकय कर सकें ।" ११

जहाँ तक निम सके, दीनइलाही के सदस्यों को मांस भक्षण की छूट थी । जन्म के माह में तो वे मांस को छू भी नहीं सकते थे । कसाबियाँ मझेरो और चिड़ीमारो के बर्तन ये लोग काम में नहीं लाते थे । लहसुन, प्याज खाना भी निषिद्ध था ।

इस मत के अनुयायियों को सूर्य और अग्नि की उपासना करनी पड़ती थी । प्रातः सन्ध्या, मध्याह्न और मध्य रात्रि चार बार पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा की जाती थी ।

मृतक मनुष्य के दाह संस्कार के सम्बन्ध में स्मिथ का कहना है कि लोगों के सिर पूर्व की ओर तथा पैर दक्षिण की ओर करके दफनाये जाते थे । अकबर ने इसी तरह अपने शिष्यों को भी सोने की आज्ञा दी थी ।" १२ अकबर फजल लिखता है कि - " Members should not cohabit with pregnant, Old and barren women : for with girls under the age of puberty " 13.

इस्लाम धर्म में नमाज के समय स्वर्ण और जरी के वस्त्रों को पहनने की मनाही है पर दीन इलाही में सार्वजनिक प्रार्थना के समय और दूसरे समयों में इनका धारण करना आवश्यक था । इस मत के अनुयायियों

11- Smith : Akbar the great Mogul P. 218.

12- Smith : Akbar the great Mogul P. 219

13- Ain-i-akbari Vol. I. P. 166

के लिये दाढ़ी मुड़ाना आवश्यक था ।

दीनइलाही के अनुयायियों का वर्गीकरण व सदस्य संख्या -

दीन इलाही के अनुयायियों को चार भागों में विभाजित किया गया था । बदायूनी के अनुसार चार सीढ़ियों थी - सम्पत्ति, जीवन, सम्मान और र्थ बादशाह को अर्पण कर देना । जो इन चारों पदार्थों को अर्पण कर देता था, उसे चार सीढ़ियां मिलती थी । जो एक पदार्थ अर्पण कर देता था उसे एक सीढ़ी । सब दरबारियों ने अपने नाम सिंहासन के बहबूद शिष्यों की सूची में लिखवा दिये थे । (१४)

लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बदायूनी ने यहाँ पर मजाक ही किया है, क्योंकि वह स्वयम् उन सब दरबारियों में नहीं था जिन्होंने चारों पदार्थ सम्राट को अर्पण कर दिये थे । और तब भी वह अपने जीवन के शेष १५ वर्ष तक अकबर के दरबार में रहा था । उसने स्वयम् दीन-इलाही अपनाने वाले केवल सोलह दरबारियों के नामों का उल्लेख किया है । जब कि अबुल फजल ने दो नाम और लिखे हैं । अबुल फजल कहता है कि वीरक के अतिरिक्त वे सब मुसलमान थे लेकिन बदायूनी के कहने से यह मालूम होता है कि अनुयायियों की संख्या और अधिक होगी । (१५)

दीनइलाही के साधारण सदस्यों की संख्या भी कुछ हजार से अधिक नहीं थी किन्तु साम्राज्य के अधिकांश विशिष्ट पुरुष इसमें सम्मिलित नहीं हुए तत्कालीन विशिष्ट व्यक्तियों में से केवल अठारह व्यक्ति ही इसके सदस्य थे । मौलाना मुहम्मद हुसैन ने इन अठारह व्यक्तियों के नाम इस प्रकार गिनाये हैं -

१. अबुल फजल खलीफा २ - फौजी, दरबार का प्रधान कवि, ३ - शेख मुबारक नागौरी, ४ - जाफर बेग आसफ खां, इतिहास लेखक और कवि

(१४) - Aim-i-Akbari Vol. I. P. 191.

(१५) - -do- -do- P. 209.

५ - कासिम काबुली, कवि ६ - अब्दुल समद, दरबार का चित्रकार और कवि । ७- आजम खां कोका, मक्के से लौटने पर ८ - मुल्ता शाह - मुहम्मद शाहाबादी, इतिहास - लेखक ९ सूफ़ी अहमद । १० - सदर जहान, सारे भारत के प्रधान मुफ्ती और (११-१२) इनके दोनों पुत्र १३ - मीर शरीफ अमली, १४ - सुल्तान खाजा सदर, १५ - मिरजा जानी, ठठठे का हाकिम, १६ - नकी शौस्तरी कवि और दो सदी - मन सबदार १७ शैखजादा गोसाला बनारसी १८ बीरबल । १६ मगर्व-न्त दास, मानसिंह और टोडरमल जैसे लब्ध प्रतिष्ठित उच्च पदाधिकारी भी इसके सदस्य नहीं थे । प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया ।

दीन इलाही की असफलता :

दीनइलाही अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया । यह साधारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका और न ही जनता में लोक प्रिय बन सका ।

दीन इलाही के प्रचार और प्रसार के लिये अकबर ने ईसाई - मिशनरियों के समान या यूरोप के ईसाई राजाओं के समान कार्य नहीं किये । इसके राज व्यापी प्रचार के लिये अकबर ने राज्य स्तर पर कोई विभाग या अधिकारी नियुक्त नहीं किये, कोई नियम या उप नियम नहीं बनाये । शासकीय या वशासकीय स्तर पर कोई संगठन या संस्था भी स्थापित नहीं की और न किसी प्रकार का पुरोहित वर्ग ही प्रतिष्ठित किया ।

दीनइलाही स्वीकार करने के लिये अकबर ने किसी को बाध्य नहीं किया । इस मत का अनुयायी बनने के लिये अकबर ने साम, दाम, दण्ड भेद से किसी को बाध्य नहीं किया । इस सम्प्रदाय में सम्मिलित

१६ - अकबरी दरबार हिन्दी अनुवादक रामचन्द्र वर्मा पहला भाग पृ० १४१-४२

होने के लिये अकबर ने किसी को शासकीय सेवाओं में लेने या राज्य के ऊँचे पदों पर नियुक्त करने अथवा अपार धन देने का प्रलोभन नहीं दिया। अकबर के साम्निध्य में रहने वाले जिन व्यक्तियों ने दीनइलाही में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया, उन पर भी अकबर की अनुकम्पा पूर्ववत् ही बनी रही। सत्य तो यह है कि अकबर बड़ा उदार और सहनशील था। उसने लोगों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा अपना व्यक्तिगत धर्म पालने की स्वतंत्रता दे रखी थी। उसकी धार्मिक नीति और दीन इलाही से मतभेद रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी उसने कोई कदम नहीं उठाये। ऐसी दशा में दीन इलाही के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होना असम्भव था। बदायूनी लिखता है कि अकबर ने दीन इलाही के सदस्य बनाने के लिये शक्ति या दबाव से काम नहीं लिया, यदि वह अधिकारों का प्रयोग करता और इसके प्रसार के लिये थोड़ा भी रुपया व्यय करता तो जेका नेक सदस्य बना लेता। १७

अकबर के दीनइलाही का आदर्श उसके युग की भावना और धारणाओं से बहुत आगे था। साधारण लोग जो इस्लाम की कट्टरता में विश्वास करते थे, उन्होंने या तो दीनइलाही को अपनाया नहीं या द्विचकिचाहट और संशय से इसे स्वीकार किया। वे इसके राजनीतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय महत्त्व को समझ नहीं सके। ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर की आध्यात्मवादी व धार्मिक विचार धाराएँ उस युग से बहुत आगे थीं। क्योंकि वह युग विभिन्न धर्मों की पारस्परिक मत-विभिन्नता व संघर्ष का युग था। ऐसे युग में समन्वय और राष्ट्रीय प्रवृत्ति वाले दीन इलाही का प्रसार होना असम्भव था। इस लिये दीन-इलाही अकबर के देहावसान के साथ ही समाप्त हो गया।

According to Smith : The organization can not well have survived the murder of Abul Fazal, its high priest, so to say, and of course, it ceased to exist with the death of Akbar. 18.

यद्यपि जहाँगीर ने अकबर की मांति शिष्य दीक्षात करने तथा शस्त्र व अपने चित्र कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान करने के प्रयास किये, पर यह केवल औपचारिक कार्य था । इस तरह दीनइलाही के बन्धु समाज का, अकबर कालीन आदर्शवाद का आधार समाप्त हो गया ।

दीन इलाही के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत :

दीनइलाही की प्रशंसा और आलोचना में विभिन्न इतिहासकारों और विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किये हैं । अकबर के इस आदर्शवाद में बारतोली को चालाकी और धूर्तता ही दिखाई दी थी । स्मिथ भी कहता है कि यह धार्मिक कट्टरता का उन्माद था जो मई सन् १५७८ में अकबर को आया । यह उसकी विभिन्न धर्मों में गहन रुचि का लक्षण था । जो सन् १५७८-७९ में प्रकट हुआ था, जिसके बाद ही बागामी वर्षों के सितम्बर में उसने अपनी बचक व्यवस्था जारी की थी । आगे चलकर - स्मिथ कहता है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है बुद्धिमत्ता का नहीं ----- यह समस्त योजना हास्यास्पद दम्भ का परिणाम थी, उसकी अनियंत्रित निरंकुशता की उपज थी । १९

According to Laurence Binyon : " The divine faith was, of course, a failure and destined to failure. In religious societies toleration is no virtue, it is the despised offspring of lukewarmness or indifference. A

18- Smith : Akbar the great Mogul P. 222

19 - Smith : Akbar the great mogul P. 163-222

creed to simple was obvious to the reproach of vagueness and emptiness the religion which was to have united all, pleased none. Akbar who had revolted so far from the intolerance of his ancestral creed, now impaired his own toleration by invidious ordinances against Muhammadan practices... this descendent of conquerors who had treated all alien creeds with fierce contempt was warped into oppressing of all faith, the faith in which he was bred." 20.

प्रो० एस० जार० शर्मा के मतानुसार अकबर एक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ था और कहा करता था कि एक शासक के अवीन साम्राज्य में यदि जनता परस्पर विनयित है और एक उधर जाता है और दूसरा उधर जाता है तो यह बड़ा दोष है । ---- अतः हमको चाहिये कि हम सब को एक करके पारन्तु इस प्रकार कि वे एकता के साथ एक और सम्पूर्ण हों, ताकि किसी धर्म के गुण से वे वंचित न रह जायें - एक धर्म के गुण के साथ साथ उन्हें दूसरे धर्म की अच्छाई का भी लाभ मिल जाय इस प्रकार ईश्वर का सम्मान होगा, लोगों को शान्ति प्राप्त होगी और साम्राज्य की रक्षा होगी । २१

डा० ए० ए० श्रीवास्तव का मत है कि " दीन इलाही की स्थापना में अकबर का महान राजनैतिक उद्देश्य यह था कि इसके द्वारा वह हिन्दू और मुसलमान धर्मों को मिला सके और मुगल साम्राज्य में राजनैतिक एकता कायम कर सके । २२

२० - Laurence Binyon - Akbar - Short Biographies No. 21 PP 131-32.

२१ - एस. जार. शर्मा हिन्दी अनुवादक एम. एल. शर्मा भारत में मुगल साम्राज्य पृ० २६६

२२ - ए. ए. श्रीवास्तव - मुगल कालीन भारत पृ० २०१

दीनइलाही की आलोचना व समीक्षा :

उपरोक्त मतों से स्पष्ट है कि दीनइलाही के विषय में परस्पर विरोधी मत और विचार प्रकट किये गये हैं स्मिथ तथा लेरिन्स विनयान ने दीनइलाही की कटु आलोचना की है उनके मतानुसार अकबर अपनी पूजा कराने वाला तुशामदी व्यक्ति था । अतः उसने इस नवीन धर्म का प्रचार किया । जिससे कि वह ईश्वर का दूत कहलाया जा सके । इसके अलावा राजसत्ता, अधिकार, धन सम्पन्नता और ऐश्वर्य ने अकबर का सिर फेर दिया था, इस लिये उसने एक नवीन सम्प्रदाय की स्थापना की और अपने को उसका गुरु अथवा पैगम्बर कहा । उसने धर्म और राजनीति दोनों को मिला दिया । इस लिये वह अक्षफल रहा और दीन इलाही का अन्त निराशासनक हुआ ।

इन मतों का बड़हन आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने किया है जिनमें स्म. आर. शर्मा तथा ए. ए. श्रीवास्तव प्रमुख हैं । उनके मतानुसार अकबर बहुत ही विनीत तथा निराभिमानी पुरुष था और दीन इलाही की स्थापना उसने अपने आडम्बर की संतुष्टि के लिये नहीं की थी । दीन इलाही की स्थापना के पीछे अकबर का उद्देश्य लोगों को अपने अधीन किसी सम्प्रदाय के बंगुल में फंसाने का नहीं था । वह साम्राज्य सत्ता प्राप्ति के साथ साथ, पौप, तलीफा अथवा पैगम्बर बनने की कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं रखता था । वह दीनइलाही के द्वारा मिथ्या अंकार की संतुष्टि भी नहीं करना चाहता था । और न ही वह अपनी अनुपम प्रशंसा या देवतुल्य पूजा का इच्छुक था । एक नवीन धर्म स्थापित करके धर्म प्रवर्तक बनने का लक्ष्य भी अकबर का नहीं था, क्योंकि यदि दीन इलाही की स्थापना में अकबर के ये उद्देश्य होते तो वह इसके प्रचार के लिये राज्य के सभी अधिकारों, शक्तियों, और साधनों का अधिकतम उपयोग करता परन्तु उसने ऐसा नहीं किया ।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि दीन इलाही अकबर के धोये व फूटे बमिमान की उपज था । हास्यास्पद निरर्थक योजना और निर-कुंश एकतंत्र का रूप भी नहीं था, यदि ऐसा होता तो वह अपने सम्बन्धियों मित्रों तथा दरबारियों को दीन इलाही स्वीकार करने को - कहता, उन पर उसे लादने का प्रयत्न करता । वह तो उदार व धर्म - निरपेक्ष विचार धारा का श्रेष्ठ शासक था । वह हिन्दुओं और मुसलमानों को एक राष्ट्रीय धर्म में बांधना चाहता था, दोनों जातियों में - राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एकता स्थापित करना चाहता था, विभिन्न धर्मों के सिद्धान्तों का एक धर्म में समन्वय करना चाहता था । इस लिये हम कह सकते हैं कि दीन इलाही अकबर की - समन्वय प्रवृत्ति और उदार सहिष्णु प्रकृति की महान बमिव्यक्ति थी । इस्लाम दमन के समन्वय में अकबर पर लगाये गये आरोप :

दीनइलाही के समन्वय में परिचय प्राप्त कर लेने के पश्चात् प्रश्न यह उठता है कि क्या अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था ? इस प्रश्न के उत्तर में हमें अकबर पर लगाये गये आरोप तथा उनकी समीक्षा करके यह देखना होगा कि वास्तविकता क्या है ?

स्मिथ तथा वूल्फ्रे हेग आदि इतिहासकारों का मत है कि जब एक और अकबर ने प्रत्येक धर्म के लिये सहिष्णु नीति का अकलम्बन किया, तो दूसरी और उसने कट्टर इस्लाम धर्म को हानि पहुंचाई । यह विचार धारा ईसाई धर्म प्रचारकों तथा बदायूनी के कथन पर आधारित है । बैक्वरीज ने भी बदायूनी के मत का समर्थन किया और अकबर पर आधुनिक र युरोपीय इतिहासकारों ने इस्लाम की ओर से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया । बदायूनी की पुस्तक "मुत्तसब-उत्त-तवारीख" के आधार पर तथा ईसाई धर्म प्रचारकों के कथनों के आधार पर अकबर पर जो इस्लाम धर्म को छोड़ने का दोषारोपण किया गया है उसके

लिये अधोलिखित उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं -

(१) बदायूनी लिखता है कि "अकबर ने नमाज वर्जित कर दी थी उसने दरबार में नमाज पढ़ना निषिद्ध कर दिया था । दरबार - र - जाम में अजान बन्द करवा दी थी, जो कि पांच समय पढ़ी जाती थी । उसने - लोगों को अपने स्वयम् तथा अपने बच्चों के लिये मुहम्मद और अहमद नाम रखने की मनाही कर दी थी, क्योंकि वह मुहम्मद के नाम से घृणा करने लगा था । इस लिये जहाँ जहाँ पैगम्बर मुहम्मद का नाम जाता था, वहाँ वहाँ उसने नाम परिवर्तित कर दिये । २३

(२) अकबर ने नमाज के समय रेशमी वस्त्रों और आपूषणों के पहनने की अनुमति दे दी जब कि इस्लाम धर्म में नमाज के समय जरी के वस्त्र धारण करना निषेध है ।

(३) मुसलमानों धर्म के अनुसार रोजा रखना, ईद का त्यौहार मनाना, मुसलिम त्यौहारों को मनाना आदि अकबर ने छोड़ प दिया था और इनके स्थान पर उसने दीवाली, होली, रक्षा बन्धन जैसे हिन्दू त्यौहारों को अपना लिया था ।

(४) ईसाई पादरी पीन्हीरो लिखता है कि "इस बादशाह ने मुहम्मद के भूटे धर्म को नष्ट कर दिया, उसे बिल्कुल बदनाम कर दिया । इस शहर में न तो कोई मसजिद है, न कुरान । जो मसजिद पहले से थी, उन्हें घोड़ों का अस्तकल या गोदाम बना दिया गया है । मुसलमानों को - अत्यन्त लज्जित करने के लिये प्रत्येक शुक्रवार को ४० या ५० सूवर लाकर बादशाह के सामने लड़ाये जाते हैं । वह उनके सांगों (दण्डा) को लेकर सोने में मढ़ा कर रखता है । बादशाह ने अपना एक नया धर्म बनाया है, जिसका वह स्वयम् पैगम्बर है । २४

23- Al-Badaoni Trans. by W.H. Lowe Vol. II P. 324

24 - Al-Badaoni Trans. by W.H. Lowe Vol. II P. 204,6

५. उसने मुसलिम तीर्थ यात्रियों को प्रोत्साहित नहीं किया। मुसलमानों की हज के यात्रियों को राजकीय धन से भेजना बन्द कर दिया था।

६. अकबर ने कुछ मसजिदें गिरवा दी थीं कुछ को धर्म विरुद्ध कामों में उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया था। कुछ मसजिदों को लूटा और धर्म मग्न व गिरती हुई मसजिदों का जीर्णोद्धार नहीं करवाया।

७. अकबर ने अपनी मुसलमान प्रजा को हजामत करा कर दाड़ी बनाने की अनुमति दे दी थी तथा जुवा खेलने व सुद लेने की अनुमति दे दी जब कि इस्लाम धर्म में इन बातों का निषेध है।

८. अकबर ने बजान के लिये बनी दीवारों को तुड़वा दिया।

९. Smith : Says - The Sijdah or prostration, hitherto considered lawful only in divine worship, was declared to be the due of the emperor...25.

१०. अकबर ने बुतबा पढ़ा और महलर अथवा अग्रान्त वाज्ञा पत्र प्रसारित किया। बदायूनी का कहना है कि महलर पर मुहल्लाजों व शेखों से जबर-दस्ती हस्ताक्षर करा लिये गये। २६

११ अकबर ने हिन्दुओं का पद लेकर गोवध बन्द करा दिया, सूर्य व अग्नि की पूजा करने लगा तथा हिन्दू संस्कारों को अपनाने लगा।

१२ दीनहलाही के मुसलिम अनुयायियों के पैर पश्चिम की ओर अर्थात् मुसलमानों के तीर्थ स्थान मक्का की ओर तथा सिर पूर्व की ओर रख कर - दफनाया जाता था। जब कि मुसलमानों को पश्चिम की ओर सिर तथा पूर्व की ओर पैर रख कर दफनाया जाता था।

१३. अकबर ने अरबी भाषा को प्रोत्साहन नहीं दिया और कुरान की प्रतियां नष्ट करवा दी।

25- Smith : Akbar the great mogul P. 220.

26- Al-Badaoni Trans. by H.H. Lower Vol. II P. 287

१४. अकबर ने इस्लाम के कानूनों और वादेशों को रद्द कर दिया ।

१५. अकबर ने सूअर और कुत्ते पाए तथा चीतों और सूअरों के मांस की

बूट दे दी । विशेष दिनों में उसने मांस खाना निषेध कर दिया ।

निषेध के दिनों में यदि कोई मनुष्य गाय अथवा पशुओं की हत्या करता था तो उसे दण्ड का भागी बनना पड़ता था कभी - कभी तो प्राण दण्ड की सजा दी जाती थी । २७

१६ मुता विवाह को नियमित घोषित कर दिया गया था ।

१७. सन् १५८१-८२ के बीच अकबर के विरोधी अनेक शेरों और फकीरों को देश से निर्वासित करके कन्धार में भेज दिया गया । वहाँ उनको घोड़ों का मूल्य चुकाने में बेच दिया गया । २८

बारोपों की समीक्षा :

इस्लाम दमन के सम्बन्ध में अकबर की जो उपर्युक्त बालोचनाएँ की गयी हैं उनमें से कुछ तो बिल्कुल निराधार हैं । इन बारोपों की समीक्षा हम निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं :-

१. अभी तक विधि ग्रन्थों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह कहा जाये कि अकबर ने नमाज पढ़ना निषिद्ध कर दिया था । केवल बदायूनी के ग्रन्थ के आधार पर ही हमें यह नहीं मान लेना चाहिये कि अकबर ने नमाज वर्जित कर दी थी । बदायूनी कट्टर मुसलमान था शी सकता है कि उसने इस लिये अकबर की बालोचना के लिये ऐसा लिखा हो । दूसरी ओर ईसाई धर्म प्रचारकों, जिन्होंने कि अकबर पर इस्लाम दमन के आरोप लगाये हैं के लेखों से हमें यह ज्ञात होता है कि सर्व साधारण मुसलमान भी नित्य पांच बार नमाज पढ़ता था । सन् १५७६ में हुतबा पढ़ने के बाद

27- Al-Badaoni Trans. by W.H. Lowe Vol. II P. 331

28- Al-Badaoni Trans. by W.H. Lowe Vol. II P. 308.

अकबर ने धर्मासन से नीचे उतर कर नमाज भी पढ़ाई। दीनइलाही के प्रसारण के भी कई वर्षों बाद अकबर फजल की मृत्यु के बाद तथा उसकी कब्र पर अकबर ने स्वयम् नमाज पढ़ी। यह कहना भी व्यर्थ है कि नमाज के समय रेशमी वस्त्र तथा बाधुण्ण पहनना अनिवार्य कर दिया था क्योंकि इस बात का अभी तक कोई फरमान उफलव्य नहीं हुआ है न ही इस बात का प्रमाण है कि रमजान में रोजा न रखने का आदेश दिया गया हो। अकबर के विरुद्ध बिहार व बंगाल में जब मुल्लाबाँ की धार्मिक प्रेरणा से युद्ध हुआ था, तब अनधिकृत मसजिदों में नमाज और अजान बन्द कर दी गयी थी।

२. मक्का व मदीना की तीर्थ यात्रा पर भी अकबर ने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया। मक्का की तीर्थ यात्रा पूर्ववत् की भाँति जारी रही। १५७७ में शाह अबु तुराब के नेतृत्व में राजकीय व्यय से हज के यात्रियों का एक कारवां भेजा गया था। सन् १५८० में जब मीर अबु तुराब मक्का की तीर्थ यात्रा से लौटा तो वह अपने साथ एक मारी पाषाण लाया था। जिस पर कहा जाता था कि मुहम्मद पैगम्बर के पाँव का निशान अंकित था। अबु तुराब ने कहा कि "एक पदचिन्ह सुलतान फिरोज के समय - सलीद जलाल बुलारी लाया था। यह चिन्ह दूसरे पैर का है। अकबर जानता था कि यह बात सच नहीं है। विशेषज्ञों ने भी इसे असत्य सिद्ध कर दिया था, फिर भी अकबर ने आदेश दिया कि यात्रियों का कारवां राजधानी से चार कोस की दूरी पर ठहरे। अकबर के लिये बहुत अच्छा शाभियाना तैयार किया गया और बड़े बड़े अफसरों और विद्वानों के साथ वहाँ रह गया। उसने पद चिन्ह वाले पत्थर को अपने कन्धे पर रखा और कुछ दूर ले गया और फिर अफसरों ने उसको कन्धे पर रखा, अन्त में उसको मीर अबु तुराब के मकान में रख दिया गया। २६ दीनइलाही के प्रसारण

२६ - अकबरनामा - हिन्दी अनुवादक - मथुरालाल शर्मा पृ० ४८४

के बाद भी सन् १५८५ ई० में बहुत से मुसलमान स्त्री - पुरुषों को हज जाने की स्वीकृति दी गई थी। तृतीय ईसाई शिष्ट मण्डल के पादरी जब वाये तो उन्होंने भी अनेक मुसलमान स्त्री पुरुषों को हज जाते देखा।

३. अकबर पर यह आरोप लगाया गया कि उसे हजरत मोहम्मद तथा अहमद के नाम से घृणा हो गयी थी। यह आरोप भी निराधार है। अकबर का स्वयम् का नाम ज़ालुद्दीन मुहम्मद अकबर था। लड़कों का अहमद एवं मुहम्मद के नाम से नामकरण करना साधारणतया सभी स्थानों पर ^{उपलब्ध} प्रचलित था। इसके अलावा मुहम्मद शब्द उसकी राजकीय मुद्राओं पर अंकित किया जाता था। उसने पैगम्बर मुहम्मद के नाम से घृणा नहीं की। मुहम्मद या अहमद नाम न रखने के पीछे अकबर की यह भावना थी कि इस प्रकार नाम रखना पैगम्बर मुहम्मद और इस्लाम की अन्य विभूतियों के प्रति असम्मान प्रकट करना है। इस बात को तो बदायूनी ने भी स्वीकार किया है कि प्रष्ट और दुष्ट स्त्री को मुहम्मद की पुत्री फातिमा के नाम से पुकारना अनप्युक्त होगा।

४. दाढ़ी बनवाना एक सामाजिक और सांस्कृतिक परम्परा है और उससे इस्लाम धर्म का पतन या अवहेलना नहीं होती। दाढ़ी बनवाने की अनुमति साजी इब्नाहीम के फतवे से हो गयी थी। यदि दाढ़ी बनवाने से इस्लाम की उपेक्षा होती तो मुसलमानों का आये से अधिक विश्व इस्लाम की उपेक्षा कर उससे पृथक् हो जाता। इसके अलावा अकबर के शासन काल के पश्चात् के समय के चित्रों से ज्ञात होता है कि दरबारी तथा सरदार सब दाढ़ियाँ रखते थे। यदि अकबर ने अपनी दाढ़ी कटा दी तथा उसके कुछ दरबारियों ने उसका अनुसरण किया तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि अकबर ने इस्लाम का दमन किया।

५. सन् १५७८-७९ ई० में शेर ताजुद्दीन ने सिजदा अथवा साष्टांग प्रणाम प्रारम्भ किया और इसे ज़िं बोस कहा गया। कट्टर इस्लामी धारणाओं के अनुसार सिजदा केवल अल्लाह के लिये ही है, परन्तु इस्लाम के कुछ धर्म

शास्त्रियों के अनुसार जो मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त हो चुका है और - जिसमें ईश्वर का देवत्व है उसे सिजदा किया जा सकता है। बादशाह इनसान - ए - कामिल है, इस लिये उसे सिजदा करना चाहिये और इसे सिजदा - ए - ताजिम कहा जाता था। तर्क की दृष्टि से यह ठीक है, लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अकबर सब समय सिजदा करने पर बाध्य नहीं करता था और इसे सिजदा नहीं, जमीं बोस कहा जाता था।

६. अकबर पर यह आरोप लगाया गया कि उसने मुसलिम त्यौहारों को छोड़कर हिन्दू त्यौहारों को अपना लिया था लेकिन इसके विरुद्ध भी यह तर्क दिया जा सकता है कि तुर्की एवं मंगोली के स्वभाव का यह लचीलापन था कि वे अपने से अधिक श्रेष्ठ संस्कृति के तत्वों को अपना लेते थे। मुल्ताना रजिया ने भारतीय परम्परा के अनुसार राजकीय इत्र रखने की प्रथा अपना ली तो सिकन्दर लोदी ने प्राचीन भारतीय हिन्दू राजाओं की स्वर्ण के तुलादान की प्रथा ग्रहण कर ली। यदि अकबर ने भी ऐसी ही भारतीय परम्पराएँ, रीति - रिवाज और त्यौहार अपना लिये तो यह सामाजिक और सांस्कृतिक बात थी, धार्मिक नहीं। इसके अतिरिक्त उसकी अधिकांश प्रजा हिन्दू थी और वह हिन्दुओं के साम्प्रदायिक सम्पर्क में अधिक था राज्य को स्थायित्व व दृढ़ता प्रदान करने के लिये और हिन्दुओं को सन्तुष्ट करने के लिये हिन्दुओं की ऐसी परम्पराएँ अपनाना या उनके त्यौहार मनाना एक राजनीतिक और न्याय संगत बात थी।

७. इस्लामी परम्परा के अनुसार एक व्यक्ति बार विवाह कर बार पत्नियाँ रख सकता है। एक बार इबादतलाते में अकबर के आदेश पर - विद्वान मुल्लाओं और शेखों के बीच इस प्रश्न पर वाद - विवाद आयोजित किया गया कि एक व्यक्ति कितने विवाह कर सकता है? बदायूनी ने स्वयम् लिखा है कि इस वाद विवाद में इमाम, मलिक और शिया लोगों

ने मुता विवाह को कानूनी व वैध माना तथा बदायूनी ने स्वयम् ऐसे विवाह के लिये अपनी अनुमति दे दी थी । ३० इसके बाद यदि विवाह के प्रश्न पर मतभेद हुए तो इसके लिये अकबर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

८. अकबर ने हाथी, ऊँह, रीह, चीते, सूअर, कुत्ते, भैंसे, - खच्चर तथा कई प्रकार के पक्षी पाल रहे थे । इससे दीनकहाही या इस्लाम का कोई सम्बन्ध नहीं आता । स्वयम् बदायूनी ने भी स्वीकार किया है कि चीते के मांस का उपयोग मुसलमान मध्य एशिया में करते - थे । ३१ सन् १५६८-६९ में चित्तौड़ के घेरे के समय अर्थात् दीनकहाही प्रसारण के कई वर्ष पूर्व अकबर की सेना में तुर्क, राजपूत बादि विभिन्न जातियों के लोग थे । वहाँ अकबर ने तुर्कों के लिये चीते के मांस का और राजपूतों के लिये सूअर के मांस का उपयोग करने की अनुमति दे दी थी, पर सभी मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया । ऐसा प्रतीत होता है कि बदायूनी ने इस आदेश की खिचातानी की है ।

९. अकबर ने फारसी के प्रचार में उन्नति की तथा संस्कृत एवं हिन्दी को भी आश्रय दिया । पर अरबी को नष्ट करने का न तो उसने कोई नियम बनाया और न ही आज्ञा दी । बदायूनी की भांति कुछ - कटटर लोग संस्कृत को प्रोत्साहन मिलने से ही अरबी की अवनति समझते ।

इस प्रकार यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि अकबर ने अपने पूर्वजों के धर्म का दमन करने के लिये कदापि प्रयत्न नहीं किया था । इस्लाम की उपेक्षा करने के लिये उस पर जो आरोप लगाये गये हैं वे निराधार, निर्मूल तथा धोखे हैं । बदायूनी कटटर धर्मांध मुसलमान था

30- Al-Badaoni Trans. by W.H.Lowe Vol. II P. 213

31 - Al-Badaoni Trans. by W.H.Lowe Vol. II P. 317.

उसने अकबर के सुधारों को संकीर्ण दृष्टि कोण से देखा और अकबर पर इस्लाम धर्म के आरोप लगाये । इसी प्रकार जब ईसाई धर्म प्रचारकों के उद्देश्य पूरे नहीं हुए तो उन्होंने अकबर के बारे में मिथ्या बातें लिखनी प्रारम्भ कर दीं ।

सत्य तो यह है कि अकबर ने न तो कुरान का अनादर किया न ही मस्जिद का । उसने न तो बरबी की उपेक्षा की और न ही इस्लाम धर्म की । यह निर्विवाद है कि अकबर मृत्यु पर्यन्त ईश्वर में विश्वास करता रहा तथा हम जाने वाले मुसलिम यात्रियों की भी - व्यवस्था की । अंग्रेज राजदूत सर टामसरों का मत है कि अकबर अपने समस्त जीवन में मुसलमान ही रहा और मुसलमान रहते हुए ही उसकी मृत्यु हुई ।

-0-

-0-

-0-

धार्मिक नीति के परिणाम

धार्मिक नीति के परिणाम

अकबर के पूर्व दिल्ली सुल्तानों ने राजसत्ता को इस्लामी स्वरूप प्रदान किया तथा उसे एक वत्यन्त संकीर्ण, साम्प्रदायिक और मानव समाज विरोधी ईशसत्तात्मक मान लिया था। अकबर ने इस साम्प्रदायिक ईश बधीन सत्ता के स्तरों को ऊपर उठाकर सर्व माननीय ईशसत्ता के उत्कृष्ट तल पर पहुंचा दिया। उसने एक संकीर्ण साम्प्रदायिक राजसत्ता की विचार धारा को परिष्कृत तथा परिवर्तित कर दिया। अकबर ने भारत के प्रचलित अनेक धर्मों का शास्त्रीय विधि से निरीक्षण किया था जिसके फल स्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रत्येक धर्म में सत्य विद्यमान है और यह कहना गलत है कि सत्य केवल इस्लाम धर्म तक ही सीमित है जो कि दूसरे धर्मों की अपेक्षा नया है। अतः उसने इस्लाम धर्म को राज्य धर्म से पृथक् करके दीन इलाही नामक नया धर्म को उस स्थान पर स्थापित किया। यह नवीन धर्म एक सार पूर्ण विश्वास था तथा इसमें प्रत्येक धर्म में से लिये हुए उत्तम नियम संयुक्त थे। दीनइलाही की स्थापना के बाद भी अकबर ने अपनी प्रजा को व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देने की नीति का अनुसरण किया क्योंकि बादशाह को यह पूर्ण विश्वास था कि प्रत्येक धर्म में सत्यांश है, उनमें ईश्वर भी है चाहे उसकी उपासना मंदिर, मसजिद अथवा गिरजा घर में की जाये। उसका कहना था कि प्रत्येक धर्म को समान समझना चाहिये, प्रत्येक धर्मानुयायी को अपने धर्म में विश्वास करने और पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये। इस्लाम धर्म को उच्च स्थान से उतार कर दूसरे धर्मों के बराबर रखने के लिये ही उसने यह सब किया। उसकी इस धार्मिक नीति के परिणाम अत्रिलिखित हुए -

१. धार्मिक एकता व धर्म निरपेक्षता राज्य की स्थापना :

अकबर से पूर्व छुलतानों के शासन काल में शासन धर्मसापेक्षता की नीति पर आधारित था। इस्लाम धर्म को सर्वोच्चता प्राप्त होने के कारण सदियों तक मुसलिम शासक वर्ग ने अपनी विधर्मी प्रजा पर बत्याबाज किये थे। अकबर ने भारत में धार्मिक मतभेदों और संकीर्ण धर्मियता को नष्ट कर विभिन्न धर्मों को समन्वित करने का साराहनीय कार्य किया। राष्ट्रीयता, सहिष्णुता व उदारता की भावना से प्रेरित होकर अकबर ने विभिन्न धर्मों की श्रेष्ठतम विचार धाराओं और सत्य के सिद्धान्तों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। धार्मिक अकट्टरता, अन्ध विश्वास और अहंकारिता के धेरे से ऊपर उठकर अपने राज्य के सभी धर्मिकल्पितियों के साथ उसने समान व्यवहार किया तथा उदारता और सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसे यदि सभी धर्मों में एक और कुछ दोष व अभाव - दिखाई दिये तो दूसरी ओर सत्य बातें भी दिखाई दीं। वह चाहता था कि सम्पूर्ण प्रजा के लिये एक ऐसा सरल एवं सत्य धर्म हो जिसका प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण कर सके और धार्मिक भेद भाव दृष्ट हो जाये। सभी लिये सभी प्रचलित धर्मों की श्रेष्ठ और सत्य बातों का समन्वय कर उसने दीन-इलाही धर्म कहाया। लेकिन इसके प्रकटन के बाद भी उसने विभिन्न धर्मिकल्पितियों को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी, क्योंकि वह धर्म निरपेक्ष - राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसने हिन्दुओं, मुसलमानों व ईसाइयों को मंदिर, मस्जिद व गिरजा घर बनवाने तथा अपने अपने धर्म-नुसार पूजा - पाठ व उपासना आदि करने की स्वीकृति दे दी। इस नीति से अकबर ने विभिन्न धर्मों की कटुता का अन्त कर धार्मिक एकता स्थापित की।

परन्तु दुर्भाग्यवश अकबर का यह धार्मिक एकता और समन्वय का प्रयत्न सफल न हो सका। भारत में हिन्दू व मुसलमान जब इस बीचबी

सदी के उत्तरार्ध में ही इसके लिये तत्पर नहीं है तो इसके पूर्व सोलहवीं सदी में तो और भी पीछे थे। वास्तव में अकबर धार्मिक स्वतन्त्रता और अनन्वय होने के अपने प्रयत्नों में असफल हुआ क्योंकि वह समय से आगे था। उस समय के हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उसके धार्मिक विचारों को समझने में असमर्थ रहे। फिर भी अकबर ने अपनी नीति और सिद्धान्तों से संकुचित धार्मिक दृष्टिकोण, धर्मान्ध कटुता, अश्लिष्टता, पारस्परिक धार्मिक कटुता आदि को समाप्त कर दिया और विभिन्न धर्मों के सिद्धान्तों की स्वतन्त्रता तथा धार्मिक व सामाजिक भाइचारे की भावना को प्रोत्साहित किया। कम से कम अपने शासन काल तक उसने सभी धर्मावलम्बियों को धार्मिक स्वतन्त्रता देकर राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाये रखा। प्रजा में किसी भी धर्म व्यवसाय मत को मानने वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन कर सकता था। अपने धर्म की उपासना व पूजन की विधि अपना सकता था। उसमें राज्य की ओर से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था।

२. विभिन्न धर्मावलम्बियों में संतुलन रहने से साम्राज्य की सुरक्षा :

अकबर के विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक था कि वह विभिन्न धर्मावलम्बियों में संतुलन बनाये रहे। मध्य युग में बड़ी प्रथम सम्राट था जिसने इस बात का स्पष्ट अनुभव कर लिया था कि उसकी प्रजा के सभी व्यक्तियों के साथ, चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय या धर्म के हों, उसका व्यवहार न्याय संगत, निष्पक्ष एवं समान होना चाहिये। उससे पूर्व सुल्तानों के शासन काल में ऐसी नीति का अभाव होने से हिन्दुओं में असन्तुष्टि, विरोध तथा विद्रोह की प्रवृत्ति बढ़ती होती गयी थी। अकबर ने भेद भाव और भेदभाव की नीति को त्याग कर कुछ - स - कुछ की नीति अपनाई। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, जैन, और कूड़ी आदि प्रत्येक पर उसकी दृष्टि समान थी। इतना ही नहीं उसने हर एक

धर्म वाले को जुदा - जुदा ऐसे फर्मान दिये कि, जो यावज्जन्मदिवारकी अकबर का स्मरण कराते रहेंगे । राजनीति और प्रशासन में भी अकबर ने कोई भेद - भाव नहीं माना । उसने मुसलमानों के साथ - साथ बहुसंख्यक हिन्दू जाति को भी अपनाया तथा हिन्दुओं को ऊँचे उत्तरदायि पदों पर नियुक्त किया । न्याय देने में जाति, धर्म, मत, सम्प्रदाय और पद का विचार नहीं किया गया । अकबर ने जिस प्रकार प्रशासन और न्याय की नीति में जाति, धर्म व सम्प्रदाय आदि का विभेद नहीं किया उसी प्रकार दान देने में भी जाति, धर्म, धर्म व पंडित का भेद नहीं रखा । अपने राज्य में अनेक स्थलों पर उसने जनायालय खोले । फतेहपुर सीकरी में भी दो बहुत बड़े मक़द कवाये, इनमें एक का नाम तैरपुरा और दूसरे का नाम धर्मपुरा था । तैरपुरा में मुसलमान फकीरों के लिये ठहरने, विश्राम करने और पौजन करने की व्यवस्था थी । धर्मपुरा में हिन्दू - साधुओं के लिये प्रबन्ध था । प्रजा के लाभार्थी ऐसी - ऐसी व्यवस्थाएँ करने वाला राजा प्रजा का प्रिय क्यों न होता ? उसने अपनी उदार धार्मिक नीति के कारण हिन्दू, मुसलमान पारसी व जैन और ईसाई धर्मावलम्बियों में संतुलन बनाये रखा, जिससे उसके विशाल साम्राज्य की सुरक्षा सम्भव हो सकी ।

३. हिन्दुओं की दशा में सुधार :

उदार हृदयी सुल्तान अकबर ने हिन्दू धर्मावलम्बियों पर लगे अनेक अनुचित करों को समाप्त कर दिया । मुसलिम सुल्तान और शासक हिन्दू यात्रियों से उनके तीर्थ स्थानों में तीर्थ यात्रा कर वसूल करते थे । अकबर ने इसे अनावश्यक, अनुचित और ईश्वर की आराधना में प्रतिबन्ध समझ कर १५६३ में समाप्त कर दिया । लगभग आठ सौ वर्षों से भारत में हिन्दुओं पर मुसलमान शासकों द्वारा जजिया कर लगाया जाता रहा था । उन्हें यह आशा रहती थी कि इस जजिया कर के वार्षिक दबाव के कारण हिन्दू

दिवस होकर इस्लाम ग्रहण कर लेंगे। इस्लाम स्वीकार न करने वाले हिन्दुओं से यह कर दण्ड के रूप में लिया जाता था। अकबर ने इस इस्लामी प्रथा का अन्त कर १५६४ को ज़िजिया कर समाप्त कर दिया। इस प्रकार इस कर की समाप्ति से राज्य की नीति में बाबूत परिवर्तन हुए। १५८२ में अकबर ने अपने साम्राज्य में गुलाबी प्रथा का अन्त कर दिया और एक विशेष दरबार में सहस्त्रों गुलामों की मुक्ति की घोषणा कर दी।

इस समय हिन्दुओं में अनेक सामाजिक दोष, अनिष्ट कारी - लुटियाँ और कुप्रथाएँ प्रचलित थीं जैसे - मक्षान की बहुलता, बाळ - विवाह, बहु पत्नीत्व, सती प्रथा, विधवाओं की विडम्बनाएँ और नारकीय जीवन, नरबलि, वैश्यावृत्ति आदि। इन दोषों के निराकरण व समाप्ति के लिये अकबर ने आदेश प्रचारित किये। मदिरापान को नियंत्रित करने के लिये अकबर ने कुछ नियम बनाये। मुक्त रूप से शराब का बनाना, बेचना और पीना निषिद्ध कर दिया। मदिरा का मूल्य कानून द्वारा निर्धारित कर दिया गया और लाइसेन्स प्राप्त शराब की दुकानें खोल दी गयीं।

बाळ विवाह को रोकने के लिये उसने यह आज्ञा दी कि लड़के का सौलह वर्य और लड़की का चौदह वर्य की अवस्था से पहले विवाह न किया जाये। उसने पुनर्विवाह का निषेध किया और इस बात का - प्रवन्ध किया कि वृद्ध स्त्रियाँ युवकों के साथ विवाह न करें। विधवा विवाह - न और अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया गया।

उस समय हिन्दुओं में पति की बिता पर सती होने की प्रथा प्रचलित थी। अकबर ने यह आदेश दिया कि किसी भी स्त्री को उसकी हज्जा के विरुद्ध सती होने के लिये विवश न किया जाये। यदि स्वेच्छा से कोई हिन्दू नारी अपने पति के शव के साथ सती होना चाहे तो उसे रोकना न जाये।

इसी प्रकार अकबर ने विजावृत्ति पर नियंत्रण लगा दिया । राजपूतों में प्रचलित कन्या वध को दूर करने का प्रयत्न किया । वेश्यावृत्ति को रोकने और उनकी बढ़ती हुई संख्या को कम करने के लिये एक पुष्क नगर की स्थापना की और उसका नाम हैतानपुरा रखा ।

इन सुधारों से हिन्दुओं में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक छिन्नता व दयनीयता की भावना कम हो गई । इसके साथ साथ इन कुप्रथाओं की समाप्ति से हिन्दुओं की क्स्ता भी सुधर गई ।

४. साम्राज्य में मेल - जोड़ का वातावरण :

अकबर की उदार धार्मिक नीति से साम्राज्य में हिन्दू - मुस्लिम मेल जोड़ का वातावरण बन गया । मुसलमान होने पर भी अकबर ने हिन्दुओं की अनेक प्रथाएँ और त्यौहार अपना लिये । उसने अपने रनवास में हिन्दू रानियाँ और उनकी वासियाँ व परिवारिकाओं के लिये हिन्दू धर्म की उपासना, पूजा, व्रत, उपवास, हवन, अनुष्ठान तथा अन्य धार्मिक और सामाजिक कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी । इसका प्रभाव रनवास की अन्य मुसलिम वेगमाँ और महिलाओं पर भी पड़ा । अकबर स्वयम् - हिन्दुओं के त्यौहार जैसे रक्षा बन्धन, वसहरा, दीवाली, होली, व्रत और शिवरात्रि आदि मनाने लगा । वह स्वयम् हिन्दू राजाओं के समान दस्तरे को दरबार करने लगा था और अपने दरबारियों को भी हिन्दुओं के त्यौहारों तथा फारस के नौरोज के त्यौहार मनाने के लिये प्रोत्साहित करता था ।

अकबर ने हिन्दू राजाओं के करीवा दर्शन और जुठावान की प्रथा भी अपना ली थी । उसने स्वयम् अपना और अपने पुत्र का जुठावान किया था । जब अकबर ने अपने पुत्रों के विवाह हिन्दू राजपूत राजकुमारियों से किये तब उसने कुछ हिन्दू विवाह प्रथा अपनाई और कुछ प्रमुख मुसलिम रस्मों का भी पालन किया । अकबर हिन्दुओं के त्यौहारों विशेष कर दस्तरे

के समय और मुसलमानों के बारावफात और हँद के त्यौहार के समय दावत देता था और उनमें हिन्दू तथा मुसलमान दोनों बर्गों के अधि-कारियों, सामंतों और दरबारियों को आमंत्रित करता था। उसने हिन्दुओं की वेष्ट भूजा व मण्डी को अपनाया। अपने सम्बन्धियों की मृत्यु पर हिन्दुओं के समान धी धिर, दाढ़ी व मुँह मड़ा कर शोक - मनाया। उसने हिन्दुओं और मुसलमानों को जामोद प्रमोद के शासन की एक साथ ही उपलब्ध कराये।

अकबर ने हिन्दू मुसलिम संस्कृति का भी समन्वय किया। दोनों बर्गों की शिक्षा हेतु कदम उठाये। मसजिदों के साथ मकतब स्थापित किये। मकतबों के साथ साथ जेक हिन्दू पाठशाळाओं और संस्कृत के विद्यालयों का निर्माण किया गया। ऐसे फिरे - जुड़े विद्यालय और उच्च शिक्षा के हेतु शिक्षाण संस्थान स्थापित की गई जहां हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। उसमें वेष्ट भारतीय और मुसलिम विचार धारा के द्वारा फारसी को साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप दिया। हिन्दुओं, मुसलमानों व ईसाईयों के धार्मिक ग्रन्थ व अन्य शास्त्रों के अनुवाद फारसी में कर देने से विभिन्न वर्ग व जातियाँ परस्पर एक दूसरे के धार्मिक विचारों से अवगत हो गयी।

इस प्रकार अकबर के काल में साम्राज्य में मैठ - जोठ का वातावरण रहा।

५. नवीन स्थापित मुगल - साम्राज्य की आवश्यकता एवं उसकी पूर्ति :

हिन्दुस्तान में मुगलों को ज़ी तक विदेशी मान कर हीनता और घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। भारत में अकबर के पूर्व तैमूर की छूट मार, उसके पिता और विध्वंस के कार्य, क्रूर हत्याएँ आदि के कारण, मुगलों के प्रति भारतीयों में स्वाभाविक घृणा हो गई थी। अकबर और हुमायूँ का शासन भी अल्पकालीन ही रहा। उन्होंने भारत

मैं कोई ऐसी लोकोपकारी कार्य नहीं किये जिससे जनता पर उनका प्रभाव पड़ा हो और उन्हें जनता का सीलाई मिला हो। अतः इस नवीन स्थापित मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक था कि सभी वर्गों का साम्राज्य को सहयोग मिले। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये अकबर ने निष्पदा हो सभी वर्गों के साथ सदभावना की नीति अपनाई। धार्मिक पदापात को त्याग कर सब को अपने - अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई। अन्य धर्मों पर लगे अनेक अनुचित प्रतिबन्ध हटा दिये। साम्राज्य के उच्च पदों पर बिना किसी भेद - भाव के नियुक्तियाँ की गईं। इससे प्रभावित हो सभी वर्गों ने साम्राज्य को दृढ़ बनाने के लिये सहयोग दिया। इस प्रकार अकबर की उदार धार्मिक नीति से नवीन स्थापित मुगल साम्राज्य की आवश्यकता की पूर्ति हो सकी।

4. उल्मावों की शक्ति, प्रभाव और अधिकार का ह्रास :

अकबर द्वारा हुतबा पढ़ने, महजर या अम्रांत बाज़ा पत्र - घोषित करने तथा दीन इलाही स्थापित करने से खैयर्दा, शेखों और मुल्हावों के अधिकार कम हो गये थे, उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी और प्रभाव नगण्य हो गया था। उल्मावों के प्रति लोगों की क्रोधा, शक्ति और सम्मान कम हो गया था। उल्मा वर्ग के कुछ प्रभावशाली व्यक्ति जो प्रशासन में नियुक्ति किये गये थे, उनके पदों से हटाकर दिये गये क्योंकि उनके विरुद्ध प्रष्टाचार व गबन के आरोप थे। इससे राजनीति और प्रशासन में उनका प्रभाव लुप्त हो गया था। इससे प्रशासन और न्याय व्यवस्था में उल्मा वर्ग हस्तक्षेप नहीं कर सका तथा प्रशासन शांति पूर्ण, निष्पदा एवं व्यवस्थित रहा। जहाँ विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय और वर्ग संघर्ष रत थे, वहाँ दीन इलाही ने बल्प काल के लिये सभी - धर्मावलम्बियों और वर्गों के लोगों को एक सूत्र में बाँध दिया। मुल्हावों की धर्मान्धता से मुक्त होकर अकबर ने और भी अधिक धार्मिक उदारता

सहिष्णुता और समान व्यवहार की नीति को कार्यान्वित किया ।

७. हिन्दुओं का मुगल साम्राज्य को सहर्ष स्वीकार करना :

अकबर ने प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दुओं के साथ सदुप्यवहार किया । हिन्दुओं पर लगे अनेक अनुचित करों को हटा दिया क्योंकि उसका कहना था कि सभी मनुष्यों से अच्छे सम्बन्ध रखना मेरा कर्तव्य है । उसने अपने शासन काल में इस बात की अनुमति दे दी थी कि यदि कोई ऐसा हिन्दू जिसको कल पूर्वक मुसलमान बना लिया गया था, फिर अपने पूर्वजों का धर्म ग्रहण करना चाहता हो तो उसे अपने धर्म में जाने दिया जाये । हिन्दुओं पर कुरान के नियमों और कुरान के अनुसार शासन करने की नीति त्याग दी गई । हिन्दू छेला - जोखा और हिसाब किताब में बड़े दक्ष होते थे, अतएव सुलतानों के शासन काल में वे केवल राजस्व विभाग के छोटे सामान्य कर्मचारी के पद पर ही नियुक्ति होते थे । राज्य के ऊँचे पदों पर मुसलमानों के स्काधिकार को त्याग कर हिन्दुओं को योग्यता व निष्पक्षता से प्रतिभा के आधार पर शासन में नियुक्त करने से हिन्दू कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो गई । साम्राज्य के १३७ मनसबदारों में से १५ मनसबदार हिन्दू थे और ६ से अधिक प्रान्तों के दीवान हिन्दू थे । परिणाम स्वरूप हिन्दुओं ने अपनी स्वामिमक्ति ददाता और ईमानदारी से मुगल साम्राज्य के प्रशासन में महत्व पूर्ण योग दिया । टोडरमल इसका उदाहरण है ।

अकबर ने कैलों, मैसों और मेड़ों के मांस का प्रयोग बन्द करवा दिया था । हिन्दू साहित्य एवं संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उसने ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद करवाया । रामायण, महाभारत, वेद आदि का फारसी में अनुवाद हुआ । बीरक, मानसिंह और बब्बु-रहीम खानखाना जैसे योग्य हिन्दी कवियों को उसने प्रशय दिया ।

अकबर के इन कार्यों से हिन्दू जो कि अभी तक मुगलों को विदेशी

समझ रहे थे, सहर्ष मुगल साम्राज्य को स्वीकार कर लिया ।

८. राजपूतों की सेवार्ह मुगल साम्राज्य की कई पीढ़ियों को प्राप्त :

अकबर प्रथम मुसलिम बादशाह था, जिसने राजपूतों के साथ उदारता सहृदयता और मैत्री का व्यवहार किया । सल्तनत काल में सुलतानों ने राजपूतों के प्रति संकीर्णता, धर्मान्धता और बांका की नीति अपनाई थी । इस लिये वे अपने राजवंशों को विरथाई और दुर्द बनाने में असफल रहे । परन्तु अकबर अपनी उदार, सहिष्णु और मैत्री पूर्ण राजपूत नीति के कारण पूर्व सुलतानों की अपेक्षा अधिक सफल रहा । राजपूतों से अपने सम्बन्ध को दृढ़ और स्थाई बनाने के लिये अकबर ने प्रमुख राजपूत राजवंशों की राज कन्याओं से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये । अकबर ने बामेर, बीकानेर तथा जैसलमेर की राज कन्याओं से विवाह किये । जिन राजपूत राजाओं ने अकबर से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये अथवा आत्म समर्पण कर दिया, उन राजपूत नरेशों, सामान्तों और सम्बन्धियों को उनकी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार सैनिक और असैनिक पदों पर नियुक्त किया गया । इससे अकबर को अनेक वीर और रणकुशल सेना नायकों, प्रशासकों प्रान्त पतियों और राजनीतिज्ञों की अमूल्य और अमूर्त पूर्ण सेवार्ह प्राप्त हो गयी । इन्होंने बाह्य एवं आन्तरिक विद्रोहों का दमन कर - साम्राज्य में शांति स्थापित करने में महान योगदान दिया । वे मुगल - साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बन गये । बामेर की राजकुमारी, हरकू बाई से उत्पन्न पुत्र सलीम को अकबर ने अपना उत्तराधिकारी बनाया । इस विवाह (अकबर का हरकू बाई) के महत्त्व के बारे में डा० बेनीप्रसाद ने लिखा है कि यह विवाह भारत की राजनीति में नवयुग के उदय का प्रतीक था, इससे देश में उत्तम शासकों की पीढ़ियाँ चली और इससे मुगल सम्राटों की चार पुस्तों तक मध्य कालीन भारत के सर्वोच्च सेनानायक और कूट नीतिज्ञों की सेवार्ह प्राप्त हो सकी ।

सन् १५५६ में जब अकबर राज्य सिंहासना रुढ़ हुआ था तब उसके पास कोई निश्चित साम्राज्य नहीं था । किन्तु सन् १६०५ में उसकी मृत्यु के समय उसने अपने उत्तराधिकारी के लिये उत्तरी भारत में विस्तृत और सुसंगठित राज्य छोड़ा था । यह अकबर की राजपूतों के प्रति सद्भावना का ही परिणाम था । जहांगीर और शाहजहाँ का जाज्वल्यमान युग राजपूतों के ही सहयोग से निर्मित हुआ था । इस तरह अकबर की उदार नीति से मुगल साम्राज्य की कई पीढ़ियों को राजपूतों की सेवार्हंप्राप्त हुई ।

अकबर की धार्मिक नीति

ग्रन्थ सूची

लेखक	पुस्तक का नाम	प्रकाशक	सन्
सै० अतहर अब्बास रिजवी	सिलुजी कालीन भारत	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	१९५५
„ „	तुगलक कालीन भारत भाग - १	„	१९५६
„ „	भाग - २	„	१९५७
अबुल फजल	१ अकबरनामा हिन्दी अनुवादक एम. एल. शर्मा	कैलाश पुस्तक सदन ग्वालियर	१९७५
	2. Ain-i-Akbari Vol. I Trans. in English by H. Blochmann, Second edition.	Asiatic Society of Bengal	1927
	3. Ain-i-Akbari Vol. III Trans. by H. S. Jarrett.	-do-	1948
Abdul Quadir Badaoni.	Al-Badaoni or Muntakhabut Tawarikh Vol. II Trans. by Hill House	-do-	1924
Vincent A. Smith.	Akbar the great Mogul.	Oxford at the clarendon press.	1929
Sir Wolseley Haig.	Combridge History of India Vol. IV.	Combridge at the University press.	1937
शम्सुल उल्मा मालाना मुहम्मद हुसैन आजाद	अकबरी दरबार हिन्दी अनुवादक रामचन्द्र वर्मा पहला भाग ।	काशीनागरी प्रचारिणी सभा	१९२४

अकबर की धार्मिक नीति

लेखक	पुस्तक का नाम	प्रकाशक	सन्
श्री विद्याविजयजी	सूरीश्वर और सम्राट अकबर हिन्दी अनुवादक श्री कृष्णलाल वर्मा	श्री विजय धर्म- लक्ष्मी ज्ञान मंदिर आगरा ।	सम्बत १६८०
एस. आर. शर्मा	भारत में मुगल साम्राज्य हिन्दी अनुवादक एस. एल. शर्मा ।	लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा-३	१९७३
बाशीवादीलाल श्रीवास्तव	मुगलकालीन भारत	शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी आगरा	१९५७

